

बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 5		BANK OF MAHARASHTRA Head Office LOKMANGAL, 1501, SHIVAJINAGAR, PUNE-5
Investor Services Department		
टेली/TELE: 020 25511360 फेक्स/ FAX: 020 25533246 ई-मेल / e-mail: investor_services@mahabank.co.in		

AX1/ISD/STEX/2016-17

01.07.2016

The General Manager,
 Department of Corporate Services,
 BSE Ltd.,
 P.J Towers,
 Dalal Street, Fort,
 Mumbai - 400 001

The Vice President,
 Listing Department,
 National Stock Exchange of India Ltd,
 Exchange Plaza,
 Bandra Kurla Complex,
 Bandra (East), Mumbai - 400 051

Ref: BSE Scrip Code 532525 –NSE Scrip Code MAHABANK-EQ

Dear Sir/ Madam,

Re: Annual Report for the financial year 2015-16 of the Bank

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the enclosed copy of the Annual Report for the financial year 2015-16 of the Bank for your reference, which has been duly approved and adopted by the Shareholders of the Bank in the 13th Annual General Meeting held on 29.06.2016 at Pune.

We also submit herewith the soft copy of the Annual Report 2015-16 and request you to upload the same on the website.

We request you take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
 For Bank of Maharashtra


 (Chandrakant Bhagwat)
 Company Secretary



Encl: As above



डिजिटल सेवा से ग्राहक संतोष Enhancing Customer Experience, Digitally

वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016
Annual Report 2015-2016



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

Wherever I go,
my bank
goes with me!



Banking

- Balance Enquiry
- Mini statement



Card Services

- Apply for debit/credit card
- Reset ATM PIN
- Block debit card



Fund Transfer

- Transfer to own account
- Transfer to other accounts
- Transfer to other bank a/c with NEFT
- View/add/modify/delete beneficiaries
- Transfer to other bank a/c with IMPS



Service Request

- Search past transactions
- A/c statement request
- Cheque Book Request
- Cheque Status Enquiry
- Stop Cheque
- Demand Draft Request
- Open new a/c



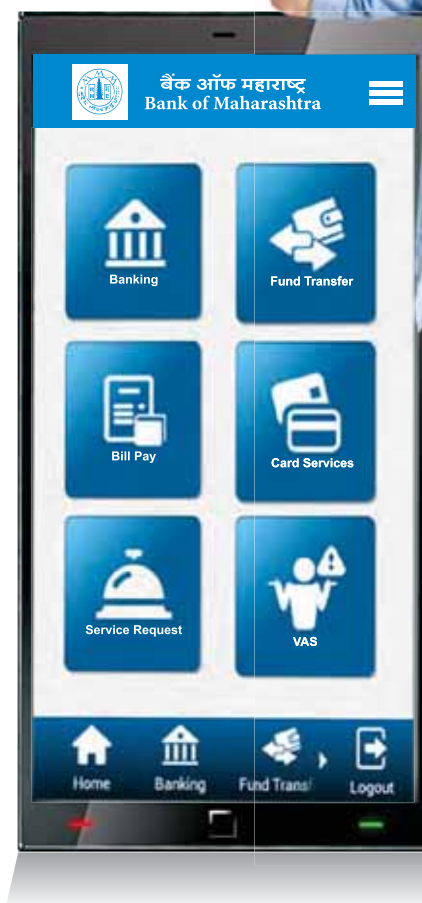
Bill Pay

- Add Billers/Instant Pay
- Delete Billers



VAS

- Log Complaint
- Mobile Passbook
- Change MPIN & MTPIN



Send an SMS MAHAMOBILE TO 9223181818 to
get the download link or find us on the app stores.



अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधक	General Managers	3
3.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Statement of Chairman & Managing Director	4
4.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	8
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	9
	- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	9
	- वर्ष 2015-16 का कार्य निष्पादन	- Performance in 2015-16	9
	- संगठन और समर्थन सेवाएं	- Organisation and Support System	14
	- सामाजिक बैंकिंग,	- Social Banking	20
	- बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	- Important Schemes/Projects of the Bank	22
	- निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	25
	- अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	26
	- सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	27
	- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	29
	- निदेशकों की जिम्मेदारी का वक्तव्य	- Directors' Responsibility Statement	30
	- निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors	30
	- आभार	- Acknowledgements	30
6.	कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	31
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	56
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	57
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Account Policies	67
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	74
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Statement of Cash Flow	138
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	140
13.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	143

तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न NOTICE FOR 13TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
जयपुर

M/s Parakh & Co.
Chartered Accountants
Jaipur

मेसर्स ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पुणे

M/s A. R. Sulakhe & Co.
Chartered Accountants
Pune

मेसर्स कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
कोलकाता

M/s Kothari & Co.
Chartered Accountants
Kolkata

**मेसर्स सीएमआरएस एंड
एसोसिएट्स, एलएलपी**
सनदी लेखाकार
पुणे

M/s CMRS & Associates, LLP
Chartered Accountants
Pune

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2016



श्री एस. मुहनोट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri S. Muhnot
Chairman & Managing Director



श्री आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक

Shri R. Athmaram
Executive Director

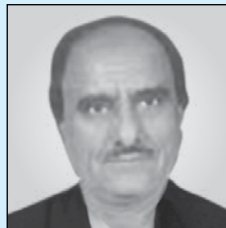


श्री आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक

Shri R. K. Gupta
Executive Director



श्री अतीश सिंह
Shri Ateesh Singh



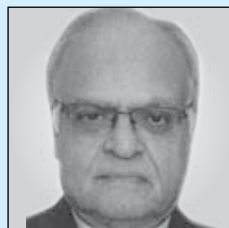
श्री रामदेव सायदीवाल
Shri Ramadev Saydiwal



श्री संजीव जैन
Shri Sanjeev Jain



श्री जी. श्रीकुमार
Shri G. Sreekumar



श्री प्रेमचन्द्र ए. सेठी
Shri Premchandra A. Sethi



श्री आर. थामोधरण
Shri R. Thamodharan



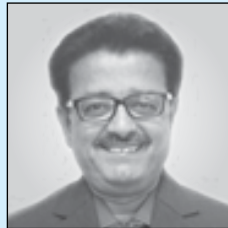
डॉ. अर्चना आर. ढोलकिया
Dr. Archana R. Dholakia

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2016



श्री पी. एन. देशपांडे
Shri P. N. Deshpande



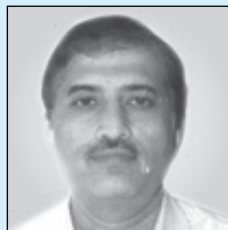
श्री एस. भरतकुमार
Shri S. Bharatkumar



श्री नंदकुमार वी. पुजारी
Shri Nandkumar V. Pujari



श्री नरेन्द्र काबरा
Shri Narender Kabra



श्री एम. सी. कुलकर्णी
Shri M.C. Kulkarni



श्री राजकिरण भोईर
Shri Rajkiran Bhoir



श्री मनोज बिस्वाळ
Shri Manoj Biswal



श्री आर. एच. फडणीस
Shri R. H. Phadnis



श्री आर. के. पाण्डेय (मुख्य सतर्कता अधिकारी)
Shri R. K. Pandey (c.v.o.)



श्री एस. मुहनोट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri S. Muhnot
Chairman and Managing Director

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वर्ष के दौरान वैश्विक वृद्धि वर्ष 2016 में लगभग 3.2% के अनुमानों के साथ मामूली और असमान रही और वर्ष 2017 में यह 3.5% हो जाना अपेक्षित है। अमेरिकी और कुछ हद तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले, तथापि चीन और जापान में वृद्धि के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण रहे, जिसके परिणामस्वरूप, उभरते हुए बाजारों पर अतिरिक्त दबाव बना, तेल के कम मूल्यों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता की, किंतु तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

घरेलू स्तर पर, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मध्यम 5 प्रतिशत की अपेक्षित मुद्रास्फीति सहित 2016-17 में क्रमिक रूप से बेहतर होकर 7.6 प्रतिशत प्रक्षिप्त है। तथापि निवेश मांग, निजी निवेश की धीमी गति तथा कमजोर वैश्विक गतिविधि का उल्लेखनीय जोखिम प्रक्षिप्त वृद्धि संभावनाओं का प्रतिवारक हो सकता है। तथापि सरकार के “स्टार्ट-अप पहल”, वित्तीय लक्ष्यों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता और अवसरचना को बढ़ावा देने पर जोर ऐसे सकारात्मक पक्ष हैं, जो कि निवेश के वातावरण को चमकीला बना सकते हैं, जबकि यूनियन बजट 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु घोषित उपायों, सतत निम्न पण्य मूल्यों तथा पे-कमीशन घोषणा से घरेलू खपत मांग प्रोत्साहित हो सकती है। तथापि, ऋण वृद्धि 10.86% पर मंद रही और जमा राशियां 10.59% तक पहुंच गईं जो पिछले 52 वर्षों में सबसे कम है।

STATEMENT OF CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me a lot of pleasure to place before you the Annual Report and Financial Statement of your Bank for the year ended 31st March 2016.

Global Growth during the year remained moderate and uneven with a projection around 3.2% in 2016 and it is expected to pick up to 3.5% in 2017. There were positive signs of recovery in US and somewhat in Europe; however growth issues in China and Japan remained major international concerns, resulting in further pressure on emerging markets. Low oil price helped in reigning inflation, but also adversely affected the economy of the oil producing countries.

On the domestic front, Real GDP growth is projected to improve gradually to 7.6 per cent in 2016-17 with inflation expected to moderate to 5 per cent. However slow pick up of investment demand, private investment and significant risks of weaker global activity; could be the deterrents to the projected growth prospects. Positive sentiments however emerge from the government's “start-up” initiative, strong commitment to fiscal targets, and the thrust on boosting infrastructure that could brighten the investment climate; while household consumption demand could be spurred by the Pay Commission award, continued low commodity prices and measures announced for rural sector in the Union Budget 2016-17.

However, credit growth remained subdued at 10.86% and deposit growth touched 10.59% lowest in last 52 years.

इस पृष्ठभूमि में आपके बैंक ने बॉटम लाइन पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख मापदंडों पर आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

1. बैंक का कुल कारोबार 31.03.2015 को ₹ 223329.21 करोड़ का था जो 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 250230.10 करोड़ हो गया। इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.05% की वृद्धि दर्ज की गई।
2. कुल जमा राशियां 31.03.2015 को ₹ 122118.95 करोड़ की थीं जो 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 138989.82 करोड़ हो गईं। इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.82% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ने सावधानीपूर्वक उच्च लागत वाली थोक जमा राशियों के संग्रहण को हतोत्साहित किया।
3. चालू खाता बचत खाता जमा राशियां 31.03.2015 को ₹ 45296.80 करोड़ की थीं जो कि 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 50966.82 करोड़ हो गईं। इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.52% की वृद्धि दर्ज की गई। दिनांक 31.03.2016 को कुल जमा राशियों में चालू खाता बचत खाता जमा राशियों का हिस्सा 36.67% था।
4. दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु जमा राशियों की लागत घटकर 6.75% हो गई जबकि 31.03.2015 को समाप्त वर्ष में यह 7.03% थी।
5. सकल अग्रिम 31.03.2015 को ₹ 101210.26 करोड़ थे जो 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 111240.28 करोड़ हो गए। इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.91% की वृद्धि दर्ज की गई।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम 31.03.2015 को ₹ 39094 करोड़ के थे जो 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 41485 करोड़ हो गए। इस प्रकार 6.12% की वृद्धि दर्ज की गई। आवश्यक 40% के स्तर के तुलना में यह अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण का 39.82% हिस्सा थे।
7. ₹ 1155.00 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.03.2016 के अनुसार बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹ 1290.00 करोड़ की राशि संवितरित की। बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य का 111.69% हासिल किया।
8. छोटे और सीमान्त किसानों को बैंक का वित्त 31.03.2015 के ₹ 7017 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹ 8335 करोड़ हो गया (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.18% वृद्धि) और 7% के लक्ष्य की तुलना में 8% हासिल किया गया।
9. समूचे बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्तियों को नियंत्रण में रखना एक चुनौती था और बैंक भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है। दिनांक 31.03.2015 के सकल और निवल अनर्जक आस्ति ₹ 6402.06 करोड़ (6.33%) और ₹ 4126.57 करोड़ (4.19%) की तुलना में 31.03.2016 को सकल और निवल अनर्जक आस्ति क्रमशः ₹ 10385.85 करोड़ (9.34%) और ₹ 6832.03 करोड़ (6.35%) के रहे।
10. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निवल ब्याज आय ₹ 3875.03 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 3878.70 करोड़ की थी।
11. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु निवल ब्याज मार्जिन 2.82% थी जिसकी तुलना में 31.03.2016 को यह 2.57% रही।

In this back drop, your Bank has tried to focus on the bottom line. The performance highlights of your Bank on major parameters in the year 2015-16 are as under:

1. Total Business has increased from ₹ 223329.21 crore as on 31.03.2015 to ₹ 250230.10 crore as on 31.03.2016, registering a growth of 12.05 % on Y-o-Y basis.
2. Total Deposits have increased from ₹ 122118.95 crore as on 31.03.2015 to ₹ 138989.82 crores as on 31.03.2016 registering a Y-o-Y growth of 13.82%. The Bank had consciously discouraged high cost bulk deposit.
3. CASA has increased from ₹ 45296.80 crore as on 31.03.2015 to ₹ 50966.82 crore as on 31.03.2016 registering a Y-o-Y growth of 12.52%. Share of CASA to total deposits was 36.67% as on 31.03.2016.
4. Cost of Deposits has declined to 6.75% for the year ended 31.03.2016 against 7.03% for the year ended 31.03.2015.
5. Gross Advances have increased from ₹ 101210.26 crore as on 31.03.2015 to ₹ 111240.28 crore as on 31.03.2016 registering growth of 9.91% on Y-o-Y basis.
6. Priority Sector advances increased from ₹ 39094 crore as on 31.03.2015 to ₹ 41485 crore showing growth of 6.12%, which came to 39.82% of ANBC as against required level of 40%.
7. Bank has disbursed ₹ 1290.00 Crore under Prime Minister Mudra Yojana against the target of ₹1155.00 Crore as on 31.03.2016. Bank achieved 111.69% of target allotted by Government under PMMY.
8. Banks finance to small and marginal farmers increased from ₹ 7017 crore as on 31.03.2015 to ₹ 8335 crore as on 31.03.2016 (Y-o-Y increase 18.18%) and achieved 8% as against target of 7%.
9. Containing NPAs was challenge for the entire banking sector and the Bank was not an exception. Gross and Net NPAs were ₹ 10385.85 crore (9.34%) and ₹ 6832.03 crore (6.35%) as on 31.03.2016 as against ₹ 6402.06 crore (6.33%) and ₹ 4126.57 crore (4.19%) as on 31.03.2015.
10. Net Interest Income was ₹ 3878.70 crore for the year ended 31.03.2016 as against ₹ 3875.03 crore as on 31.03.2015.
11. Net Interest Margin (NIM) stood at 2.57% for the year ended 31.03.2016 as against 2.82% for the year ended 31.03.2015.



12. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु अब्याजी आय ₹ 1005.98 करोड़ थी जो कि बढ़कर 31.03.2016 को ₹ 1019.29 करोड़ हो गई.
13. दिनांक 31.03.2015 को बैंक का परिचालन लाभ ₹ 2355.09 करोड़ था जिसकी तुलना में 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान यह ₹ 2345.18 करोड़ रहा.
14. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान निवल लाभ ₹ 450.69 करोड़ था जिसकी तुलना में 31.03.2016 को यह ₹ 100.69 करोड़ रहा.
15. दिनांक 31.03.2015 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) 11.94% था जिसकी तुलना में 31.03.2016 को यह 11.20% रहा.
16. दिनांक 31.03.2015 को आस्तियों पर आय 0.33% थी जिसकी तुलना में 31.03.2016 को यह 0.07% रही.
17. दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु लागत से आय का अनुपात 51.75% था जिसकी तुलना में 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु 52.12% रहा.
18. प्रति कर्मचारी कारोबार 31.03.2015 को ₹ 15.74 करोड़ का था जो 31.03.2016 को बढ़कर ₹ 18.18 करोड़ हो गया. इसी प्रकार प्रति शाखा कारोबार हेतु तदनुसूची आंकड़े क्रमशः ₹ 118.79 करोड़ और ₹ 132.05 करोड़ हो गए.

वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नानुसार नई कारोबारी पहलें कीं -

1. बेहतर मूल्यांकन के साथ एसएमई और रिटेल ऋण उत्पाद की त्वरित सुपुर्दगी हेतु पिछले वर्ष आरंभ किए गए ऋण प्रोसेसिंग केन्द्र अब स्थापित हो चुके हैं.
2. बैंक ने संबंध प्रबंधकों की योजना को संशोधित किया है तथा एचएनआई ग्राहकों को सेवा देने के लिए 10 अंचलों में 91 संबंध प्रबंधक नियोजित किए हैं. इसको और मजबूत किया जाएगा.
3. बैंक ने शाखाओं के बोझ में कमी के लिए विभिन्न स्थानों पर 11 स्वचलित नकदी जमाराशि मशीनें तथा 72 स्वचलित सेल्फ पासबुक प्रिंटर स्थापित किए हैं.
4. बैंक ने विभिन्न संस्थानों, संगठनों आदि से ऑनलाइन शुल्क संग्रहण हेतु सीबीएस में व्यवस्था की है जिससे बैंक को कमीशन प्राप्त होगा. बैंक ने पहले ही आईबीपीएस (भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन) से ऑनलाइन शुल्क संग्रहण, अमरावती कलेक्टरट से काउंटर पर शुल्क संग्रहण आदि प्रारंभ किया है.
5. बैंक ने “रेमिट2इंडिया” प्रारंभ किया है जो कि वेब-आधारित, व्यक्ति से व्यक्ति धन अंतरण प्रणाली है और यह व्यक्तियों को विशेषकर हमारे अनिवासी जमाकर्ताओं को भारत में लाभार्थी के खाते में जमा हेतु विदेशी मुद्रा राशि के अंतरण को अनुमत्य करता है.

12. Non Interest Income has increased from ₹ 1005.98 crore for the year ended 31.03.2015 to ₹ 1019.29 crore for 31.03.2016.
13. Operating profit during the year ended 31.03.2016 stood at ₹ 2345.18 crore as against ₹ 2355.09 crore as on 31.03.2015.
14. Net profit during the year ended 31.03.2016 stood at ₹ 100.69 crore as against ₹ 450.69 crore during the year ended 31.03.2015.
15. Capital Adequacy Ratio (Basel III) was 11.20% as on 31.03.2016 as compared to 11.94% as on 31.03.2015.
16. Return on Assets for the year ended 31.03.2016 stood at 0.07% as against 0.33% as on 31.03.2015.
17. Cost to Income Ratio stood at 52.12% for the year ended 31.03.2016 as against 51.75% for the year ended 31.03.2015.
18. Business per Employee improved to ₹ 18.18 crore as on 31.03.2016 as against ₹ 15.74 crore as on 31.03.2015. Corresponding figures for Business per branch are ₹ 132.05 crore and ₹ 118.79 crore respectively.

During the year, your bank had taken new business initiatives as under:-

1. The Credit Processing Centres started last year for faster delivery of SME and retail credit products, along with better evaluation are now stabilized.
2. The bank has revamped scheme of Relationship Managers and deployed 91 Relationship Managers at 10 Zones to cater the HNI customers. The same will be further strengthened.
3. The Bank has installed 11 Automated Cash Deposit machines and 72 automated self pass book printers at various places to reduce load on branches.
4. The Bank has an arrangement in CBS for online fee Collection of different institutes; Organizations etc. wherein Bank will be receiving the commission. The Bank has already started IBPS (Indian Banking Personal Selection) online fee collection, over the counter fee collection for Amravati collectorate, etc.
5. The Bank has started “Remit2India” which is a web-based, person to person money transfer system that allows individuals particularly our Non-Resident Depositors to remit foreign currency amount for credit to the Beneficiary account in India.

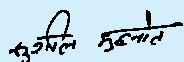
6. नामित शाखाओं में सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ की गई.
7. सभी ग्राहकों के लिए लॉयल्टी रिवार्ड योजना आरंभ की गई जिसमें पंजीकृत ग्राहकों को लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे. ये पॉइंट इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का प्रयोग कर प्राप्त किए जा सकते हैं और खर्च किए जा सकते हैं.
8. सभी ग्राहकों के लिए पे-टीएम वॉलेट प्रारंभ किया गया जिसमें ग्राहक ऑनलाइन खरीद के लिए इस वॉलेट का प्रयोग कर सकते हैं.
9. मोबाइल बैंकिंग के लिए हम ग्राहकों हेतु जोर शोर से कार्य कर रहे हैं.
10. रुपये डेबिट कार्ड के रूप में दिनांक 16.09.2015 को मुद्रा कार्ड आरंभ किया गया जो कि बाधारहित सुविधाजनक ऋण उत्पाद है जो सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है.
11. नए और विद्यमान ग्राहकों के लिए रुपये कार्ड का एक नया प्रकार आरंभ किया गया. यह कार्ड ₹ 10,000/- और अधिक का न्यूनतम तिमाही औसत शेष रखने वाले ग्राहक को दिया जा सकता है.

बैंक ने वित्तीय समावेशन में और विशेषकर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उल्लेखनीय योगदान दिया है तथा बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग से पीएमजेडीवाई खातों में आधार सीडिंग हेतु पीएसयू बैंकों में प्रथम क्रमांक हासिल किया है. महाराष्ट्र हेतु राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक के रूप में बैंक ने महाराष्ट्र में पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन हेतु तथा इन खातों में आधार सीडिंग हेतु अपने उत्तरदायित्व का सम्यक निर्वहन किया है.

बैंक ने विगत वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 7,48,587 पॉलिसियां, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 14,13,165 पॉलिसियां और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 43,936 खाते संग्रहित किए.

आगे कदम बढ़ाते हुए हमें विश्वास है कि सड़क, ऊर्जा, रक्षा, रेलवे, कृषि और सिंचन तथा एमएसएमई क्षेत्रों में विशेष रूप से सरकार द्वारा की गई उत्साहवर्धक पहलों से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर अग्रसर होगी और आपका बैंक इस प्रगति के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. आर्थिक वातावरण में सुधार के साथ आस्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए. उत्पादक और समुचित कारोबार के लिए आपका बैंक रिटेल क्षेत्रों पर ध्यान देना जारी रखेगा.

मैं आप सभी के सतत समर्थन और संरक्षण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि बैंक को नई ऊंचाईयों तक ले जाने के लिए भविष्य में भी आपका समर्थन और संरक्षण मिलता रहेगा.



एस. मुहनोट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

6. Introduced Sukanya Samriddhi Yojana for the designated branches
7. Introduced the Loyalty Rewards Scheme for all the customers wherein the registered customers will get Loyalty Points. These Points can be earned and burned using the internet banking & debit cards.
8. Introduced the Pay TM wallet for all the customers wherein the customers can use this wallet for online purchasing.
9. For Mobile Banking we are working on aggressive on boarding of customers.
10. Launched MUDRA Card on 16.9.2015 as a Rupay Debit Card which is hassle free flexible credit product that meets working capital needs of Micro & Small Entrepreneurs.
11. Introduced new variant in Rupay card, this card can be given to the customer maintaining minimum quarterly average balance of ₹ 10,000/- & above for new and existing customers.

The Bank has contributed significantly in Financial Inclusion especially through the achievement over the targets under PMJDY and Bank has received 1st rank among PSU banks for Aadhar seeding in PMJDY accounts from DFS. As a SLBC convener for Maharashtra it took full responsibility for implementation of PMJDY and Aadhar Seeding in these accounts in Maharashtra.

Bank has mobilized 7,48,587 policies under PMJJBY, 14,13,165 policies under PMSBY and 43,936 accounts under Atal Pension Yojana during last financial year.

Looking forward, we believe, the encouraging initiatives taken by the Government especially in Road, Power, Defence, Railways, Agriculture and Irrigation and MSME Sectors, the Indian Economy is likely to be on a growth path and your Bank is in all readiness to catch this wave. With the improvements in economic environment, the quality of assets should also improve. Your Bank will keep focusing on the retail sectors for productive and substantial business. More focused efforts will also be put in for recovery in NPAs.

I thank you all for your continued support and patronage and solicit the same in future to take the Bank to greater heights



S. Muhnot
Chairman and Managing Director



प्रगति एक नज़र में Progress at a Glance

	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)		
	2013-14	2014-15	2015-16
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1427	1063	1168
आरक्षितियां Reserves	5941	7004	7619
कुल जमा राशियां Total Deposits	116803	122119	138990
वृद्धि % Growth %	23.61	4.55	13.82
कुल जमा राशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	35.89	37.09	36.67
अग्रिम Advances	90369	101210	111240
वृद्धि % Growth %	18.29	12.00	9.91
रिटेल अग्रिम Retail Advances	10769	11817	12568
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	34826	39095	41485
कृषि Agriculture	13091	15521	17175
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	18597	20657	22334
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	2265	3264	3037
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1512	1643	1684
निर्यात ऋण Export Credit	1949	1301	1226
कुल आय Total Income	12851	13671	14072
कुल व्यय Total Expenditure	10845	11316	11727
परिचालन लाभ Operating Profit	2006	2355	2345
निवल लाभ Net Profit	386	451	101
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1854	1880	1895
एटीएम की संख्या Number Of ATMs	1827	1849	1861
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल II (%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%)	10.79	11.94	11.20
प्रति शेयर आय Earning Per Share	4.56	4.50	0.91
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	66.69	65.61	63.36
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	14.39	15.74	18.18
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	2.68	3.18	0.73
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.30	0.33	0.07
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	54.43	51.75	52.12
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	3.16	6.33	9.34
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	2.03	4.19	6.35
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	56.15	46.57	45.04
ऋण- जमा अनुपात Credit- Deposit ratio	77.37	82.88	80.03
एएनबीसी से प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	44.03	41.76	39.82

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

1.1 बैंकिंग व आर्थिक परिदृश्य 2015-16

2015 में वैश्विक उत्पादन में वृद्धि का अनुमान 3.1 प्रतिशत के साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.9 प्रतिशत एवं उभरते हुए बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 4.0 प्रतिशत के अनुमान हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) की अप्रैल, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में वैश्विक विकास मर्यादित रहने के पूर्वानुमान के साथ यह 3.2 प्रतिशत रहेगा।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर बाजार मूल्यों में जीडीपी के वृद्धि दर को, वर्ष 2014-15 के 7.2 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 के लिए 7.6 प्रतिशत बढ़ाना पूर्वानुमानित किया गया है। निर्यातों में लंबे संकुचन एवं मंद निवेश के कारण 2015-16 उत्तरार्ध में घरेलू आर्थिक गतिविधि की गति में गिरावट आई। जबकि सकल मांग को बनाए रखने में निजी अंतिम उपभोग व्यय का मुख्य आधार रहा जोकि व्यापक रूप से एक शहरी पहलू है, तथा ग्रामीण उपभोग के संपाती सूचक, सामान्य रूप से कमजोर अथवा नकारात्मक परिधि में रहे।

कमजोर मानसून के कारण क्रम में दूसरे वर्ष कृषि में कम वृद्धि होने की संभावना है, किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में कृषि में बेहतर कार्यानिष्पादन हुआ है। उद्योग ने मुख्य रूप से बेहतर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में विकास के अंतर्गत उल्लेखनीय सुधार दर्शाए हैं।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में फरवरी में खाद्य मूल्यों में अच्छी गिरावट के बाद 2015-16 के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई। कृषि एवं गैर-कृषि लागत दबावों में मंदी आई तथा ग्रामीण एवं संगठित क्षेत्रों में मजदूरी की स्थिति कमजोर रही। तथापि, (i) निपुण आपूर्ति प्रबंधन के द्वारा अन्न मुद्रास्फीति में नियंत्रण रहने, (ii) दिसंबर से आगे कच्चे तेल की कीमत में कमी होने एवं (iii) दिसंबर 2015 से सब्जियों की कीमत में गिरावट आने के कारण मुद्रास्फीति में नियंत्रण रहा।

1.2 2016-17 के लिए अनुमान

2017 में 3.5% की वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। (विश्व आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2016)

घरेलू क्षेत्र में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2016-17 में 7.6% की वृद्धि द्वारा सुधार का पूर्वानुमान है साथ ही, मुद्रास्फीति में मध्यम स्तर पर सुधार के साथ यह 5% रहेगी। तथापि, निवेश मांग, निजी निवेश एवं कमजोर वैश्विक गतिविधि के महत्वपूर्ण जोखिमों के कारण पूर्वानुमानित वृद्धि आंकड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार के 'स्टार्ट अप' पहल, वित्तीय लक्ष्यों के प्रति सशक्त प्रतिबद्धता एवं संरचना उद्योग को प्रोत्साहित किए जाने पर दिए गए बल से निवेश परिदृश्य में कुछ निखार आ सकता है जबकि वेतन आयोग अवार्ड से घरेलू उपभोग मांग प्रोत्साहित होगी। केन्द्रीय बजट 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए माल की कीमतों को कम रखने के उपाय घोषित किए जाए।

2. व्यवसाय व जमाशायियों का कार्यानिष्पादन 2015-16

2.1 व्यवसाय

आपके बैंक का व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 250103 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹ 223329 करोड़ रहा। (11.99% की वृद्धि)

2.2 जमाशायि

पिछले वर्ष के ₹122119 करोड़ की तुलना में कुल जमाशायियां ₹138990 करोड़ रहीं। (13.81% की वृद्धि)। पिछले वर्ष के ₹45297 करोड़ की तुलना में कासा जमाशायियां ₹ 50967 करोड़ रहीं (12.52% की वृद्धि)। कुल कासा प्रतिशत 36.68% रहा।

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2016.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.1 Economic and Banking Scenario 2015-16:

Global output is estimated to have grown by 3.1 percent in 2015, with 1.9 percent growth for advanced economies and 4.0 percent growth for emerging market and developing economies. Global growth is also projected to remain modest in 2016, at 3.2 percent as per World Economic Outlook (WEO) April 2016.

In the Advance Estimates of GDP released by Central Statistics Office (CSO), the growth rate of GDP at constant market prices is projected to increase to 7.6 per cent in 2015-16 from 7.2 per cent in 2014-15. Domestic economic activity lost pace in the second half of 2015-16, slowed down by muted investment and a prolonged contraction in exports. While private final consumption expenditure has been the mainstay in holding up aggregate demand, it has largely been an urban phenomenon; coincident indicators of rural consumption generally remained weak or in negative territory.

Agriculture is likely to register low growth for the second year in a row on account of weak monsoons; it has performed better than last year. Industry has shown significant improvement primarily on account of the better manufacturing and service growth.

Consumer price inflation rose in the second half of 2015-16 before dropping in February with a sharp decline in food prices. Farm and non-farm cost pressures abated and wage growth in rural areas as well as in the organised sector remained weak. Inflation however remained contained on account of (i) cereal inflation remaining contained by astute supply management; (ii) softening of crude oil prices from December onwards and (iii) sharp fall in vegetable prices since December 2015.

1.2 Outlook for 2016-17

Global growth is expected to pick upto 3.5 percent in 2017. (WEO, April 2016)

On the domestic front, Real GDP growth is projected to improve gradually to 7.6 per cent in 2016-17 with inflation expected to moderate to 5 per cent. However slow pick up of investment demand, private investment and significant risks of weaker global activity; could be the deterrents to the projected growth prospects. Positive sentiments however emerge from the government's "start-up" initiative, strong commitment to fiscal targets, and the thrust on boosting infrastructure that could brighten the investment climate; while household consumption demand could be spurred by the Pay Commission award, continued low commodity prices and measures to announced for rural sector in the Union Budget 2016-17.

2. Performance of Business & Deposits 2015-16

2.1 Business

Total Business of your Bank stood at ₹ 250103 crore as on 31.03.2016 as compared to ₹ 223329 crore last year (growth of 11.99%).

2.2 Deposits

Total deposit stood at ₹ 138990 crore as compared to ₹122119 last year (growth of 13.81%). CASA deposit stood at ₹ 50967 crore against last year figure of ₹45297 crore (growth of 12.52%). Total CASA percentage stood at 36.68%.

2.3 ऋण अभिनियोजन

बैंक के ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2015 के ₹101210 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹111240.28 करोड़ (9.91% की वृद्धि) हो गए।

वर्ष के दौरान सभी 33 अंचलों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्षों की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है। केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग से अपेक्षित है कि इससे ऋण सुपुर्दगी तंत्र में अनपेक्षित विलंब को कम किया जा सकेगा और मूल्यांकन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। सीपीटीएमएस (ऋण प्रस्ताव ट्रेल रख-रखाव प्रणाली) के उपयोग द्वारा प्रस्ताव की स्थिति एवं निपटान पर निरंतर निगरानी रखी जाती है तथा इसका उपयोग टीएटी (टर्न-अराउंड-टाइम) कम करने हेतु सुनिश्चित किया जाता है।

खुदरा/एसएमई एवं नकद ऋण संविभाग में वृद्धि, संविभाग संमिश्र की अदला-बदली के द्वारा ऋण संविभाग आय में सुधार के प्रयास जारी हैं।

2.3.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों का वित्तपोषण करते समय बैंक ने विकेन्द्रित ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तारण सुनिश्चित हो सके। बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माणी, प्राथमिकता क्षेत्र साथ ही आधारभूत परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखे जो आर्थिक वृद्धि में सहायक हुए। राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा।

दिनांक 31.03.2016 को उद्योगवार ऋण अभिनियोजन निम्नानुसार रहा :-

अनु. क्र.	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2016 को बकाया	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2015 को बकाया	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	60953.31	54.79	57019.12	56.34
	इसमें से				
i	अवसंरचनात्मक	13055.62	11.74	13656.17	13.49
ii	रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	3202.56	2.88	1461.41	1.44
iii	पेट्रोलियम	2199.72	1.98	3569.25	3.53
iv	लोहा व स्टील	2870.77	2.58	2979.69	2.94
v	एनबीएफसी व व्यापार	22180.52	19.94	18386.76	18.17
vi	इंजीनियरिंग	3649.50	3.28	3164.07	3.13
vii	निर्माण	3.49	0.00	428.95	0.42
viii	अन्य उद्योग	13791.13	12.40	13372.82	13.21
2	कृषि	14851.67	13.35	12079.59	11.94
3	एमएसएमई	22143.75	19.91	20653.03	20.41
4	आवास	10550.01	9.48	9868.33	9.75
5	शिक्षा	804.06	0.72	702.79	0.69
6	निर्यात	1226.51	1.10	1301.40	0.00
7	वाणिज्यिक भू संपदा	5811.72	5.22	5750.35	5.68
	सकल अग्रिम	111240.28		101210.27	

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

लगभग वास्तविक समय आधार पर दबावग्रस्त खातों की कड़ी निगरानी हेतु दैनिक आधार पर सीबीएस प्रणाली से शीघ्र चेतावनी संकेत संकलित किए जाते हैं। पूर्व सावधानी के लिए ग्राहकों को प्रणाली निर्मित एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। बैंक में समन्वित वेब आधारित रिपोर्टिंग आरंभ की गई है, जिससे ऋण संविभाग की प्रभावी निगरानी हेतु शाखाओं/अंचलों/प्रधान कार्यालय के बीच त्वरित संप्रेषण संभव हुआ है।

उधार खातों की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी आवधिक रूप से आस्ति कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण, ऋण एवं स्टॉक लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। पात्र मामलों में पुनर्भुगतान शर्तों का समय पर पुनरनुसूचीकरण किया जाता है।

2.3 Credit Deployment

Gross advances of the Bank increased from ₹101210 crore as on 31.03.2015 to ₹111240.28 crore as on 31.03.2016 (growth of 9.91%) as a result of Bank's customer centric approach.

Establishing Central Processing Cells at all the 33 Zones is major initiative during the year. The centralized processing is expected to improve quality of appraisal and reduce undue delays in credit delivery mechanism. Proposal movement, along with their disposal is continuously monitored using CPTMS (Credit Proposal Trail Maintenance System) and same is also used to reduce TAT (Turn-Around-Time).

Efforts are continued to improve loan portfolio yield by reshuffling the portfolio mix, by increasing retail/SME & CC portfolio.

2.3.1 Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavored to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

Industry wise credit deployment as on 31.03.2016 is as under:

Sr. No.	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2016	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2015	Percentage to total O/s
1	Industry	60953.31	54.79	57019.12	56.34
	Of which				
i.	Infrastructure	13055.62	11.74	13656.17	13.49
ii.	Chemicals, Dyes, Paints etc	3202.56	2.88	1461.41	1.44
iii.	Petroleum	2199.72	1.98	3569.25	3.53
iv.	Iron and Steel	2870.77	2.58	2979.69	2.94
v.	NBFCs and Trading	22180.52	19.94	18386.76	18.17
vi.	Engineering	3649.50	3.28	3164.07	3.13
vii.	Construction	3.49	0.00	428.95	0.42
viii.	Other Industries	13791.13	12.40	13372.82	13.21
2	Agriculture	14851.67	13.35	12079.59	11.94
3	MSME	22143.75	19.91	20653.03	20.41
4	Housing	10550.01	9.48	9868.33	9.75
5	Education	804.06	0.72	702.79	0.69
6	Exports	1226.51	1.10	1301.40	0.00
7	Commercial Real estate	5811.72	5.22	5750.35	5.68
	Gross Advances	111240.28		101210.27	

2.3.2 Credit Administration and Monitoring

Early warning signals are captured from the CBS system on daily basis for close monitoring of stressed accounts on near real time basis. System generated SMS alerts are sent to the customers to pre-empt delinquency. An integrated web-based reporting has been introduced in the Bank to enable instant communication between branches / Zones /Head Office for effective monitoring of credit portfolio.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review, credit audits and stock audits. Timely rescheduling of repayment terms is undertaken in deserving cases.

2.4 आस्ति निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अनर्जक आस्तियों में नकद वसूली ₹772.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹619.70 करोड़) रही। इसमें से लेजर शेष में वसूली ₹645.45 करोड़ (₹430.13 करोड़) रही जिसमें आस्ति विक्रय से ₹48.48 करोड़ (₹63.67 करोड़) की वसूली, बट्टेखाते में डाले गए खातों में ₹72.83 करोड़ (₹113.69 करोड़) की और न लगाए गए ब्याज के मामलों में ₹54.54 करोड़ (₹75.88 करोड़) की वसूली हुई है। यह ₹191.30 करोड़ (₹397.63 करोड़) की अनर्जक आस्तियों का कोटि-उन्नयन करने के अलावा है।

चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ पत्रों, नोटिसों, वसूली कैम्पों, लोक अदालतों, सरफेसी के अंतर्गत कार्यवाई और डीआरटी के माध्यम से गहन अनुवर्तन के कारण इस वर्ष की उपलब्धि संभव हो पाई। बैंक ने अनर्जक आस्तियों की वसूली में वृद्धि तथा खातों के कोटिउन्नयन हेतु विशेष प्रयास करने के लिए अंचल कार्यालयों में आस्ति वसूली कक्षों की भी स्थापना की है।

नए कोटिअवनयन (स्लिपेज) में वृद्धि होने के कारण बैंक का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात 31.03.2015 के 6.33% के समक्ष 9.34% हो गया। इसी प्रकार स्लिपेज के बराबर प्रावधान न करने के कारण निवल अनर्जक आस्ति अनुपात विगत वर्ष के 4.19% की तुलना में 31.03.2016 को 6.35% हो गए।

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने ₹ 29,562 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27,925 करोड़) का व्यापारी टर्नओवर और ₹565671 करोड़ (पिछले वर्ष ₹546969 करोड़) का अन्तर बैंक टर्नओवर हासिल किया और ₹78.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹75.55 करोड़) का विनिमय लाभ अर्जित किया।

बकाया निर्यात ऋण 31.03.2015 के ₹1301.40 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹1226.62 करोड़ रहे।

मुंबई स्थित खजाना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा (ए-श्रेणी शाखा) और समूचे देश में फैली 35 बी-श्रेणी शाखाएं बैंक के ग्राहकों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अनिवासी भारतीय ग्राहकों (एनआरआई) को त्वरित सेवा देने के उद्देश्य से बैंक की डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे में एक एनआरआई कक्ष उपलब्ध है और अपने एनआरआई ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में शाखाओं को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने तत्काल एनआरआई जानकारी प्रदान की है जो मासिक आधार पर अद्यतित की जाती है।

एनआरआई कक्ष

एनआरआई व्यवसाय में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने और शाखाओं को सहयोग प्रदान करने की दृष्टिकोण से सितंबर 2014 में आयोजना विभाग के अंतर्गत एक अलग एनआरआई कक्ष स्थापित किया गया है। अनिवासी जमाराशियां 31.03.2015 के ₹1153.29 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹1617.87 करोड़ हो गईं (40.28% की वृद्धि)

2.6 निवेश

बैंक के निवल निवेश 31.03.2015 के ₹32765.00 करोड़ की तुलना में 31.03.2016 को ₹36230.87 करोड़ रहे। दिनांक 31.03.2016 को कुल निवेश संविभाग में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 78.74% शामिल है, जबकि विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी का 21.26% शामिल है। निवेश गतिविधि पर हुई निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान ₹2539.53 करोड़ थी जो कि बढ़कर ₹2735.20 करोड़ हो गई (7.70% की वृद्धि)।

2.7 उधारियां :

31 मार्च 2016 को बैंक की उधारियां ₹9228.10 करोड़ रही जिसके अंतर्गत एक्विजि बैंक की ₹331.27 करोड़ का पुनर्वित्त भी शामिल है। 31.03.2015 के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल उधारी ₹11126.72 करोड़ रही।

2.8 व्यापारी बैंकिंग :

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹54060 करोड़ (पिछले वर्ष ₹25175 करोड़) के कर्माश्रित पेपर के 126 निर्गमों (पिछले वर्ष 90 निर्गम) का संचलन किया।

2.4 Asset Performance

During the Financial Year (FY) 2015-16, total cash recovery in NPAs was ₹ 772.82 crore (last year ₹ 619.70 crore). Of this, recovery in Ledger balance was ₹ 645.45 crore (₹ 430.13 crore) including, recovery in sale of assets of ₹ 48.48 crore (₹ 63.67 crore), recovery in written off accounts was ₹72.83 crore (Rs 113.69 crore) and recovery in cases of unapplied interest was ₹54.54 crore (Rs 75.88 crore). This was besides upgradation of NPAs to the tune of ₹ 191.30 crore (₹397.63 crore).

This achievement was result of intensive, follow up with the defaulting borrowers through letters, notices, visits, Recovery Camps, Lok Adalats, appointing Resolutions Agents and Recovery Agents, actions under SARFAESI Act and through DRTs. Bank has also set up Asset Recovery Cells at Zonal offices for focused efforts for upgradation and NPA recovery at field level.

The Gross NPA ratio of the bank is at 9.34 % as against 6.33 % as of 31.03.2015 due to rise in fresh slippages. Similarly the ratio of Net NPAs stood at 6.35% as on 31.03.2016 as against 4.19% a year ago as provision could not keep up pace with slippages.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2015-16, the Bank achieved merchant turnover of ₹ 29562 cr (previous year ₹ 27925 cr) and interbank turnover of ₹ 565671 crore (previous year ₹ 546969 cr) and earned exchange profit of ₹ 78.55 cr (previous year ₹ 75.55 cr)

The outstanding export credit as on 31st March 2016 was ₹1226.62 cr as against ₹ 1301.40 cr as on 31st March 2015.

The Treasury and International Banking Branch at Mumbai (A Category Branch) and 35 B Category branches across the country cater to the international business needs of the customers of the Bank. In order to provide prompt service to Non Resident Indian Clients, Bank has a NRI Cell at Deccan Gymkhana Branch, Pune. With a view to enable branches to provide better service to NRI clients, Bank has provided instant NRI information which is updated regularly.

NRI Cell

A separate NRI Cell has been formed under Planning Dept since Sept 2014 to provide support to branches and to concentrate in increasing NRI business. NR deposits have grown from ₹ 1153.29 crore as on 31.03.2015 to ₹1617.87 crore as on 31.03.2016 (growth of 40.28%).

2.6 Investments

The net investments of the Bank stood at ₹ 36230.87 as on 31.3.2016 as compared to ₹ 32765.00 crore as on 31.03.2015. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 78.74% while Available for Sale (AFS) comprised 21.26% of total investment portfolio as on 31.03.2016. The net interest income from investment activity increased to ₹ 2735.20 crore from ₹ 2539.53 crore during the last year (growth of 7.70%).

2.7 Borrowings:

The borrowing of the Bank as on 31st March 2016 stood at ₹ 9228.10 crores including re-finance from Exim Bank to the extent of ₹ 331.27 crores. The total borrowing as on the previous year 31.3.2015 stood at ₹ 11126.72 crores.

2.8 Merchant Banking:

The Bank handled 126 issues (previous year 90 issues) of Commercial Paper amounting to ₹ 54060 crores (previous year ₹ 25175 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

नई पहल :

महाराष्ट्र राज्य में सभी शाखाओं के माध्यम से जीआरएएस (सरकारी आगम लेखांकन प्रणाली- करों का ई-भुगतान) के अलावा बैंक ने अपनी सभी शाखाओं के माध्यम से ई-एसबीटीआर (इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित बैंक व खजाना रसीद) का आरंभ किया.

- पंजीकरण एवं मुद्रांक नियंत्रण महानिरीक्षक, पुणे, महाराष्ट्र के लिए बैंक के माध्यम से ऑनलाईन/काउंटर पर स्टंप ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क तथा साधारण रसीद/ई-एसबीटीआर की सुविधा प्रदान करना.
- वर्तमान में, यह सुविधा महाराष्ट्र राज्य की 301 शाखाओं में उपलब्ध है.

2.9 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है.
- बैंक में मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) का शुभारंभ किया.

2.10 बैंकएश्योरेन्स

- बैंक को भारत सभी प्रतिभूतियों का बीमा निरपवाद रूप से यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ की गई बैंकएश्योरेन्स व्यवस्था के अधीन किया जाए.
- 31.03.2016 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय में 1504 शाखाओं ने लॉगइन किया है.
- महास्वास्थ्य योजना के प्रचार हेतु हमने एक पोर्टल का सृजन किया है. टी+3 दिनों में सभी नए तथा नवीकरण मामलों का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है. अब इंटरनेट बैंकिंग सुविधा वाला ग्राहक ऑनलाईन भुगतान करके तत्काल पॉलिसी जनरेट कर सकता है.
- इस वर्ष 31.03.2016 तक 13 अंचलों को बीमा अंचल घोषित किया गया है.
- वर्ष 2015-16 के दौरान 13242 जीवन बीमा पॉलिसियाँ एवं 89784 गैर-जीवन पॉलिसियाँ तैयार की गई.
- बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान जीवन बीमा से ₹6.83 करोड़ एवं गैर जीवन बीमा व्यवसाय से ₹4.60 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

2.11 सरकारी कारोबार

- शाखाओं द्वारा वर्ष 2015-2016 के दौरान, कुल 669450 प्रत्यक्ष कर चालान और 173324 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए. हमारी शाखाएं महाराष्ट्र राज्य के जीआरएएस सहित अन्य राज्य सरकारों के करों का भी संग्रहण करती हैं और वर्ष के दौरान कुल 1171589 चालान संग्रहित किए गए. केंद्र सरकार से कर वसूली व्यवसाय से ₹9.21 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ.
- बैंक, केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 1,14,320 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है. वर्ष 2014-15 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹13.05 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.
- बैंक द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा महाराष्ट्र में वैट संग्रहण की अनूठी सुविधाएं महा ई-सेवा के माध्यम से सभी शाखाओं के काउंटरों पर प्रदान की गई हैं. नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए करों के ई-भुगतान की सुविधा, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों/वैट भुगतान (महाराष्ट्र सरकार के लिए) हेतु भी उपलब्ध है.
- वर्तमान में बैंक की कर संग्रहण की व्यवस्था 9 राज्यों के साथ है तथा 2 राज्यों यथा राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के साथ कार्य प्रक्रियाधीन है, अन्य राज्य सरकारों के साथ बैंक का तकनीकी समाकलन प्रक्रियाधीन है.

New Initiative:

In addition to GRAS (Govt. Receipts Accounting System- e-payment of taxes) through all the Branches in the state of Maharashtra, the Bank has introduced e-SBTR (electronic Secured Bank & Treasury Receipts).

- To provide Facility for On-line/Over the Counter payment of Stamp duties/ Registration fees and issue of Simple Receipt/e-SBTR through our Bank for the Inspector General of Registration & Controller of Stamps, Pune, Maharashtra.
- Presently, this facility is available in the state of Maharashtra across 301 branches.

2.9 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has also introduced Basic Services Demat Account Facility (BSDA)

2.10 Bancassurance

- Insurance for all the securities charged to the Bank may be done invariably under Bancassurance arrangement with UIL Co. Ltd.
- 1504 branches are logged in as of 31.03.2016 for LIC Bancassurance business.
- We had created portal for Popularization of Mahaswasthya Yojana, All new as well as renewal of cases are done through the portal in T+3 days. Now, the customer having internet banking facility can make the payment online and generate the policy instantaneous.
- This year, till 31.03.2016, 13 Zones declared as BIMA Zones.
- During the year 2015-16, 13242 life policies and 89784 Non-Life policies were made.
- The Bank earned a commission of ₹ 6.83 crore from life insurance and ₹ 4.60 crore for non-life insurance business during the year 2015-16.

2.11 Government Business

- During the year 2015-16, 669450 challans of Direct Taxes and 173324 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Our Branches are also collecting other state Govt. taxes including GRAS of Maharashtra State and the total number of Challans collected during the Year is 1171589. Total commission to the tune of ₹ 9.21 Cr was received on Tax collection business from Central Government.
- The Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 1,14,320 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2014-15 is ₹ 13.05 Cr.
- A unique facility of direct and Indirect taxes and VAT collection of Maharashtra is provided by the Bank, at the branch counter in all branches through Maha e-seva services. E-payment of Taxes facility available for net banking customers is also available for direct / Indirect Taxes / VAT payments (for Govt. of Maharashtra).
- Presently Bank is having tax collection arrangement with 9 state, 2 states i.e. Rajasthan & Chhattisgarh are in pipeline, Bank is in process of technical integration with other state Governments.

- बैंक ने पहले ही मध्य प्रदेश राज्य में कर संग्रहण व्यवसाय आरंभ कर दिया है.

2.12 गैर-ब्याजी आय

2.13 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹13671.42 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹14072.29 करोड़ की हो गई. (2.93% की वृद्धि)

विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

ब्योरा	2015-16	2014-15	अंतर (प्रतिशत)
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	9934.83	9820.78	1.16
निवेशों पर आय	2735.20	2539.53	7.71
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	382.95	305.13	25.5
कुल ब्याज आय	13052.98	12665.44	3.06
गैर ब्याज आय	1019.29	1005.98	1.32
कुल आय	14072.27	13671.42	2.93
जमा पर ब्याज	8421.88	8084.74	4.17
उधारी पर ब्याज	54.88	79.92	-31.33
अन्य ब्याज व्यय	697.52	625.74	11.47
कर्मचारी व्यय	1540.98	1633.21	-5.65
अन्य प्रचालनगत व्यय	1011.83	892.72	13.34
कुल गैर ब्याज व्यय	2552.81	2525.93	1.06
कुल प्रचालनगत व्यय	11727.09	11316.33	3.63
प्रचालनगत लाभ	2345.18	2355.09	-0.42
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	2244.49	1904.40	17.86
निवल लाभ	100.69	450.69	-77.66

2.14 वित्तीय अनुपात :

विवरण	2015-16	2014-15
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹)	0.91	4.50
आय से लागत का अनुपात (%)	52.12	51.75
आस्तियों पर आय(%)	0.07	0.33
इक्विटी पर आय(%)	1.24	6.68
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	63.36	65.61
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	5.31	23.97
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	0.73	3.18
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	132.05	118.79
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	18.18	15.74
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.71	9.21
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.68	0.73
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	2.59	2.82
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.56	1.71
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.03	1.19
लाभांश (प्रतिशत)	0	8.00
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	7403.05	6975.77
सीआरएआर(%) बेसल II	11.20	11.94
जिसमें से टियर - I सीआरएआर (%) (बेसल II)	9.02	8.76

2.15 भारत सरकार से पूंजी

बैंक ने अधिमानी आबंटन के आधार पर ₹394.00 करोड़ के 10,51,50,787 इक्विटी शेयर (शेयर प्रीमियम सहित) भारत सरकार को जारी किए.

- Bank has already started tax collection Business in Madhya Pradesh State.

2.12 Non Interest Income

2.13 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank grew from ₹ 13671.42 crore in FY 2014-15 to ₹14072.29 crore in FY 2015-16 (growth of 2.93%)

The detailed income/expenditure components are asunder:

(₹ in crore)

Particulars	2015-16	2014-15	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	9934.83	9820.78	1.16
Income on investments	2735.20	2539.53	7.71
Interest on interbank lending and other Interest	382.95	305.13	25.5
Total interest income	13052.98	12665.44	3.06
Non-interest income	1019.29	1005.98	1.32
Total Income	14072.27	13671.42	2.93
Interest on deposits	8421.88	8084.74	4.17
Interest on borrowings	54.88	79.92	-31.33
Other interest expenditure	697.52	625.74	11.47
Staff expenses	1540.98	1633.21	-5.65
Other operating expenses	1011.83	892.72	13.34
Total Non-interest expenses	2552.81	2525.93	1.06
Total Operating Expenses	11727.09	11316.33	3.63
Operating Profit	2345.18	2355.09	-0.42
Provisions and Contingencies	2244.49	1904.40	17.86
Net Profit	100.69	450.69	-77.66

2.14 Financial Ratios

Particulars	2015-16	2014-15
EPS (₹)	0.91	4.50
Cost to Income Ratio (percent)	52.12	51.75
Return on assets (percent)	0.07	0.33
Return on equity (per cent)	1.24	6.68
Book value per share (₹)	63.36	65.61
Profit per Branch (₹ in lakh)	5.31	23.97
Profit per employee (₹ in lakh)	0.73	3.18
Business per Branch (₹ in crore)	132.05	118.79
Business per employee (₹ in crore)	18.18	15.74
Interest income as per cent to Average working funds	8.71	9.21
Non Interest income as per cent to average working funds	0.68	0.73
Net Interest Margin (per cent)	2.59	2.82
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.56	1.71
Staff expenses as a percent to average working funds	1.03	1.19
Dividend (per cent)	0	8.00
Net worth (₹ Crore)	7403.05	6975.77
CRAR (%) (Basel II)	11.20	11.94
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	9.02	8.76

2.15 Capital from Government of India

The Bank issued 10,51,50,787 equity shares amounting to ₹ 394.00 crore (including share premium) to GoI on preferential allotment basis.

वर्ष के दौरान उपर्युक्तानुसार उगाही गई पूंजी के कारण भारत सरकार का शेयर धारण इक्विटी शेयरों में 81.61% हो गया।

2.16 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2015 के ₹6975.77 करोड़ से बढ़कर 31.03.2016 को ₹7403.05 करोड़ हो गया।

2.17 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.63% (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2016 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.20% रहा। सामान्य इक्विटी टायर-1 9.02% रहा।

2.18 लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कोई भी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

3.1 शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 15 नई शाखाएं खोलीं। दिनांक 31.03.2016 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1895 शाखाएं थीं जो 30 राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, स्व-सहायता समूह इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2016 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2015 को	31.03.2016 को
1	ग्रामीण	657	658
2	अर्ध-शहरी	433	434
3	शहरी	364	366
4	महानगरीय	426	437
	कुल	1880 #	1895

01.06.2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 36 शाखाओं यथा सेवा/रिटेल आस्ति/वसूली शाखा को 'बैंक ऑफिस' के रूप में परिवर्तित किया गया है।

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है।

वर्ष के दौरान बैंक ने 351 परीक्षाधीन अधिकारियों, 113 कृषि फील्ड अधिकारी, 10 राजभाषा अधिकारी, 14 विधि अधिकारी, 1 कंपनी सचिव एवं 34 सनदी लेखाकारों की अधिकारी संवर्ग में तथा 61 लिपिकों एवं 36 सशस्त्र गार्डों की भर्ती की है।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा से हटाने एवं मृत्यु के कारण 1044 कर्मचारी सेवा में नहीं रहे।

2015-16 के दौरान अधिकारियों के लिए अंतर्वर्तनमान पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई। उम्मीदवारों को निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की गई :

कप्रवे- I से मप्रवे- II	मप्रवे- II से मप्रवे- III	मप्रवे- III से मप्रवे- IV	मप्रवे- IV से मप्रवे- V	मप्रवे- V से मप्रवे- VI	मप्रवे- VI से मप्रवे- VII
196	485	166	39	20	4

वर्ष 2015-16 के दौरान 106 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में तथा 300 लिपिकों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया।

Consequent upon the capital raised during the year, as above, the share holding of GOI in equity share capital stood at 81.61%

2.16 Networth

The Bank's Net worth increased from ₹6975.77 crore as on 31.03.2015 to ₹7403.05 crore as on 31.03.2016.

2.17 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 11.20% as on 31.03.2016, against the minimum of 9.63 % (Including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio stood at 9.02%.

2.18 Dividend

The Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend for the Financial year 2015-16.

3.1 Branch Expansion

During the year, the Bank opened 15 new branches. As on 31.03.2016, the total branch network comprised of 1895 branches spread over 30 states and 4 union territories. The branch network includes specialized branches in the area of foreign exchange, Government business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Small Scale Industry and Hi-tech agriculture, Pension Payment, Self Help Groups etc.

Area wise classification of branches as on 31.03.2016 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2015	As on 31.03.2016
1	Rural	657	658
2	Semi-Urban	433	434
3	Urban	364	366
4	Metro	426	437
		1880 #	1895

36 Branches like Service /Retail Asset/Recovery Br's are converted as a "Back Office" as per RBI Guidelines on 01.06.2014.

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

During the year the Bank recruited 351 Probationary Officers, 113 Agril. Field Officers, 10 Rajbhasha Adhikari, 14 Law Officers, 1 Company Secretary & 34 Chartered Accountants in Officer Cadre and 61 Clerks & 36 Armed Guards were also recruited.

During the year, 1044 employees ceased to be in service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death.

Inter scale promotions of officers were carried out during 2015-16. Following number of candidates were promoted.

JMGS-I TO MMGS-II	MMGS-II to MMGS-III	MMGS-III TO SMGS-IV	SMGS-IV TO SMGS-V	SMGS-V TO SMGS-VI	SMGS-VI TO TEGS-VII
196	485	166	39	20	4

During the year 2015-16, 106 Substaff were promoted to Clerical cadre and 300 Clerks were promoted to Officer Cadre.

उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन वाली शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को कार्यनिष्पादन लिंक प्रोत्साहन जैसी विभिन्न योजनाएं वर्तमान में हैं जिसके द्वारा बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन करने वालों का सम्मान किया जाता है। साथ ही, अन्यो को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु अभिप्रेरित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिमों के संवितरण एवं वसूली में सर्वोच्च 3 शाखाओं को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्राफी से सम्मानित किया गया।

बैंक अपने निवल लाभ से कर्मचारी सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 3.5 करोड़ रुपये आवंटित करता है। प्रबंधन एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व वाली केन्द्रीय कल्याण समिति द्वारा कल्याण योजनाओं को लागू किया जाता है।

बैंक के औद्योगिक संबंध अच्छे हैं।

बैंक भारत सरकारी की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है। आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग सार्वजनिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की गई है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक संरक्षणों एवं साथ ही व्यवसाय वृद्धि में सहभागिता के संबंध में चर्चा हेतु वर्ष के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारी संगठन के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया गया।

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

अ. क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	3739	27.16
2.	विकलांग कर्मचारी	184	1.34
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2563	18.62
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	1082	7.86
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	2116	15.37
6.	सामान्य कर्मचारी	8004	58.15
	बैंक में कार्यरत कुल कर्मचारी	13765	

सरकार के दिशानिर्देशानुसार रोस्टर्स रखे जाते हैं तथा इनका निरीक्षण/जांच नियमित रूप से की जाती है।

अनुकंपा नियुक्तियां : भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार सेवा के दौरान मृत होने वाले अथवा अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिवारजनों को 'दयामूलक नियुक्ति'/एक्स ग्रेसिया एकमुश्त रकम का भुगतान कि योजना को कार्यान्वित किया गया।

अंशदायी समूह बीमा मेडिकलेम पॉलिसी यह पॉलिसी सभी कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है जिसका नवीनीकरण 01.04.2016 से किया गया है तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए बीमा की रकम बढ़ाकर ₹10.00 लाख की गई।

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के पाठ्यक्रमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए एवं सीएफए के पाठ्यक्रमों के संबंध में **परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** तथा नकद प्रोत्साहन/मानधन का भुगतान किया जाता था जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों की सूची में 5 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके साथ अब परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 22 पाठ्यक्रमों को पात्र घोषित किया गया है।

किसी स्थान पर **ड्यूटी के दौरान** अधिकारी की दुर्घटना/जखमी होने पर **अस्पतालीकरण व्ययों की 100%** प्रतिपूर्ति के साथ उसे विशेष छुट्टी प्रदान करने की नीति तैयार की गई है।

अन्य अंचलों से उत्तर पूर्वी अंचलों में तैनात एवं स्थानांतरित अधिकारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार नीति का गठन किया गया है।

To recognize outstanding performance in Banking activities and to motivate others to perform better, various schemes like Performance Linked incentives to all staff of Best Performing Branches etc. are in vogue.

The top three branches in disbursement and recovery of advances to SC/ST community were awarded Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar.

The Bank has been allocating up to 3 per cent of its net profit towards various schemes for the welfare of staff including retired staff. The welfare schemes are administered by a Central Welfare Committee consisting of management & employees representatives.

The Bank has healthy industrial relations.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices. During the year periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth.

The number of employees belonging to different categories is as under:

SNo	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3739	27.16
2.	Physically Challenged	184	1.34
3.	SC Employees	2563	18.62
4.	ST Employees	1082	7.86
5.	OBC Employees	2116	15.37
6.	General Employees	8004	58.15
	TOTAL employees working in the Bank	13765	

Rosters have been maintained as per Government guidelines and are regularly inspected/ checked.

Compassionate Appointments - A Scheme for 'Compassionate Appointments/ Payment of Ex-gratia lumpsum amount" to/of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented.

The **Contributory Group Insurance Mediclaim Policy** for all employees including retired employees, has been renewed w.e.f. 1.4.2016 and the Sum insured is increased upto ₹10.00 Lacs for existing employees.

The **reimbursement of examination fees** & payment of cash incentive / Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed Institutions & CFA has been widened by adding five more courses in the list of courses for reimbursement of fees thereby making total 22 courses eligible for reimbursement of examination fees.

A policy for granting special leave and **100% reimbursement of hospitalization expenses** to officers when he meets with an accident / injury **while on duty** is in place.

Policy for '**granting incentives, to officers posted & transferred in North eastern zones** from other zones' framed as per the directives of Government of India.

प्रशिक्षण गतिविधियां

वर्तमान एवं उभरती हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है। वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण, विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन, प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया।

एसएमई को वित्तपोषण, खुदरा उधारी, कृषि वित्त, सॉफ्ट कौशल एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

संवर्ग	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षित कर्मचारी
अधिकारी	129	547	4030
लिपिक	64	208	1248
अधीनस्थ कर्मचारी	37	74	692
कुल	230	829	5970

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

जहां तक तकनीकी कार्यान्वयन और संबंधित कोटि उन्नयन का संबंध है, वर्ष 2015-16 बैंक के लिए मील का पत्थर वर्ष साबित हुआ। वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई विभिन्न पहलों के लिए वर्ष 2014-15 'स्थिरता वर्ष'/'तकनीक संवर्धन वर्ष' के रूप में मनाया गया तथा इसके साथ ही वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली नवीन पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

- वर्ष के दौरान डीसी एवं डीआर को कवर करने हेतु सीबीएस हार्डवेयर संवर्धन परियोजना आरंभ की गई तथा सफलतापूर्वक पूर्ण की गई जिससे कि संव्यवहार लोड में वृद्धि होगी तथा फील्ड स्तर पर सीबीएस प्रणाली के तत्परता से कार्य सुनिश्चित होगा।
- बैंक ने विभिन्न स्थानों पर स्व-अद्यतन पासबुक प्रिंटरों, क्यू मैनेजमेंट सोल्यूशन एवं बंच नोट एक्सेप्टर मशीनों के संस्थापन से वर्ष के दौरान ई-गैजेट का व्यापक रूप से कार्यान्वयन किया गया। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान भी यह जारी रहेगा ताकि ग्राहक की आवश्यकताओं/संतोष को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जा सके।
- बैंक ने अपने 4 सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के लिए अद्यतन आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन हासिल किया है तथा इसके साथ हमारे बैंक में गुणवत्ता आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) जारी है।
- जनवरी, 2015 में 'महा मोबाईल' नामक नई सामान्य मोबाईल बैंकिंग एप्लीकेशन आरंभ की गई जिसे हमारे अनेकों ग्राहकों से सराहना प्राप्त हुई तथा वर्ष के दौरान इस योजना को स्थिरता प्राप्त हुई। 31.03.2016 को इस सुविधा के लिए 112210 उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में सूचना सुरक्षा प्रवृत्ति के अवरिल विकास तथा सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धि की जिम्मेदारी की प्रतिक्रिया के अंगस्वरूप खुदरा उपयोगकर्ताओं एवं सक्रिय निगमित उपयोगकर्ताओं के लिए 'महा सिक्वोर' 2 फैक्टर प्राधिकरण (2 एफए) सोल्यूशन का कार्यान्वयन किया गया है। 'महा सिक्वोर' एप्लीकेशन के अधीन निधि अंतरण के लिए एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) को कार्यान्वित किया गया है। इस उत्पाद के कार्यान्वयन के पश्चात कोई फिशिंग आक्रमण की रिपोर्ट नहीं हुई है।
- इंटरनेट बैंकिंग के अधीन आईएमपीएस-पी2ए (तत्काल भुगतान प्रणाली - व्यक्ति से खाता) तथा आईएमपीएस-पी2पी (तत्काल भुगतान प्रणाली - व्यक्ति से व्यक्ति) निजी अंतरण सुविधा क्रमशः 12.06.2015 एवं दिनांक 23.12.2015 को उपलब्ध की गई है। इस

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, Forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

Training programmes were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 1.4.2015 to 31.03.2016 are as under-

Cadre	No. of Prog	Training Days	Employees Trained
Officers	129	547	4030
Clerks	64	208	1248
S/staff	37	74	692
Total	230	829	5970

3.3 Technology Initiatives

The Year 2014-2015 was a milestone year for the Bank as far as technology implementation & up-scaling was concerned. The Year 2015-2016 is being observed as "Stabilization Year"/"Technology Augmentation Year" for the various initiatives undertaken during the Year 2014-2015, in addition to new initiatives that have been taken up for implementation during the Year 2015-2016 and enumerated as under:

- CBS Hardware Augmentation Project covering DC & DR was undertaken & successfully completed during the year to take care of increasing transactions load and to ensure smooth functioning of CBS system at field level.
- E-Gadgets implemented in a big way during the year with commissioning of Self Update Pass Book Printers, Queue Management Solution & Bunch Note Acceptor Machines at various locations across the Bank. The same will be continued during next financial year to ensure fulfillment of customer requirements/satisfaction.
- Latest ISO 27001:2013 Certification secured by the Bank for its four IT Divisions, thereby continuing the Quality ISMS (Information Security Management System) in our Bank.
- 'Maha Mobile' New Gen Mobile Banking Application which was launched in January 2015 got stabilized during the year and was well received by our customers. As on 31/03/2016, 112210 users are registered for this facility.
- 'Mahasecure' a Two Factor Authentication (2FA) Solution for Retail Users & active Corporate Users has been implemented as a part of the effort to respond to the ever evolving information security trends and the responsibility to enhance security features in the Internet Banking facility. One Time Password (OTP) for Fund Transfer is also implemented under Mahasecure Application. No phishing attacks have been reported after the implementation of this product.
- IMPS-P2A (Immediate Payment System - Person to Account) & IMPS-P2P (Immediate Payment System - Person to Person) Fund Transfer facility made available under Internet Banking from 12/06/2015 & 23/12/2015 respectively. Using this facility, customers can do inter-

सुविधा का उपयोग करते हुए ग्राहकगण एक दिन में ₹5,000/- तक का इंटर-बैंक एवं इंट्रा-बैंक (24x7) निधि अंतरण कर सकते हैं.

बैंक के स्वयं के ईएफटी स्विच का 08.05.2014 को सक्रियता से कार्यान्वयन किया गया तथा वर्ष के दौरान यह पूर्णतः स्थिर हुआ. स्वतः के ईएफटी स्विच के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बैंक को उल्लेखनीय फायदे हो रहे हैं जैसे कि नए एटीएम उत्पाद को आरंभ करने में लगने वाले समय में कटौती, बेहतर ग्राहक सेवा, जोखिम में कमी, बहुविध माध्यमों से कार्ड को तत्काल हॉट लिस्ट करना, मूल्य वर्धित सेवाएं इत्यादि.

अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड के लिए बैंक ने वीजा के साथ और रुपे डेबिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ गठबंधन किया है. बैंक ने रुपे प्लेटिनम कार्ड जारी करने का कार्य 28.03.2016 से आरंभ किया है. दिनांक 31.03.2016 को बैंक का कुल कार्ड आधार 57.19 लाख हो गया.

इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म से विभिन्न सुविधाएं यथा करें के ऑनलाईन भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतानों, ऑनलाईन शॉपिंग/ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ई-एसबीटीआर इत्यादि तथा बैंक में टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26एसए एवं डीमैट खाता अवलोकन की सुविधा प्रदान की गई है.

बैंक के पास सशक्त सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएसएमएस) ढांचा उपलब्ध है. उसका सूचना सुरक्षा संबंधी नीतिगत बयान है 'सुरक्षित व्यवसाय प्रचालनों को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र सभी शेयरधारकों की महत्वपूर्ण जानकारी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है.' बैंक ने गोपालकृष्ण समिति द्वारा आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों की सुरक्षा पहलों संबंधी अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया है.

बैंक के पास एक सीमित सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) उपलब्ध है जो कि महत्वपूर्ण आईटी संरचना पर 24x7 आधार पर निगरानी रखता है. सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर लगातार एवं सक्रियता से निगरानी रखने हेतु तथा अनुपालन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एसओसी बैंक को सुरक्षा संबंधी खतरों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने हेतु सक्षम बनाएगा. कोर आईटी सुरक्षा एवं संरचना अनुप्रयोग द्वारा तैयार किए गए लॉगज का लगातार विश्लेषण के द्वारा बैंक असुरक्षित खोज प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम हुआ है. अन्य सेवाएं यथा एन्टी-फिशिंग एवं एन्टी-ट्रोजन सेवाएं भी कार्यान्वित की गई है.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य सरकारों के करों के ई-भुगतानों का कार्य बैंक संभाल रहा है.

मुंबई, पुणे, अहमदाबाद केन्द्रों के आवक समाशोधन को पहले ही आउटसोर्स किया गया है. अब हमने नागपुर में जावक समाशोधन का आउटसोर्स आरंभ किया है. यह कार्य स्थिर होने पर इसे आगे पुणे एवं मुंबई केन्द्रों पर भी लागू किया जाएगा ताकि भविष्य में केन्द्रीयकृत समाशोधन के लक्ष्य की ओर हम बढ़ सकें.

वर्ष के दौरान बैंक ने वैज्ञानिक अंतरण मूल्यांकन तंत्र/निधि अंतरण मूल्यांकन का कार्यान्वयन किया.

वर्ष 2016-2017 में बैंक ने निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को अपनाने/कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है -

1. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा सॉफ्टवेयर
2. ई-टीडीएस सॉफ्टवेयर
3. एनपीसीआई की यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)
4. एनपीसीआई की भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)
5. जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)
6. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)
7. रुपे प्लेटिनम कार्ड

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहल

बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. टी.एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके.

bank as well as intra-bank (24 x 7) fund transfer upto ₹5,000/- in a day.

Bank's Own EFT Switch which was implemented Live from 08/05/2014, got fully stabilized during the year. As a result of the implementation of own EFT Switch, Bank is deriving significant advantages like reduced turn-around-time to introduce new ATM Product, Better customer experience, Reduced risk, Instant Hot-listing of a card through multiple channels, Value Added Services etc.

Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. Bank has commenced issue of Rupay Platinum Cards from 28/03/2016. As on 31/03/2016, the total card base of the Bank stood at 57.19 Lakhs.

Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, e-SBTR etc and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.

Bank has robust Information Security Management System (ISMS) framework in place. Its information security policy statement being: "Bank of Maharashtra is committed to protect and safeguard the critical information of all stakeholders in order to ensure secure business operations". Bank has also implemented major security initiatives recommended by Gopalakrishna Committee for internal and external customers.

Bank has in place a captive Security Operations Centre (SOC) for monitoring Critical IT Infrastructure on 24 x 7 basis. The SOC shall enable the Bank to effectively address security threats by constant, proactive monitoring of security events and meet the compliance requirements. This has enabled the Bank to automate the vulnerability discovery process by constantly analyzing the logs generated by the core IT security and application infrastructure. The other services namely Anti-Phishing & Anti-Trojan services are also implemented.

Bank is handling the e-Payments of State Government Taxes of Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh & Rajasthan States.

Inward Clearing in Mumbai, Pune & Ahmedabad Centers is already outsourced. Now, we have started Outsourcing of Outward Clearing in Nagpur. On stabilization, it shall be extended further to Pune & Mumbai Centers, so as to move towards the goal of Centralized Clearing in future.

Bank has implemented Scientific Transfer Pricing Mechanism / Fund Transfer Pricing during the year.

In Year 2016-2017, Bank proposes to take up / implement the following IT Initiatives -

1. Risk Based Internal Audit Software.
2. e-TDS Software.
3. Unified Payments Interface (UPI) of NPCI.
4. Bharat Bill Payment System (BBPS) of NPCI.
5. Risk Based Supervision (RBS)
6. International Financial Reporting Standards (IFRS).
7. Rupay Platinum Cards.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee.

भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है। बैंक ने 'माई फोल्डर' नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभागों पर जानकारी, सरकार के योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, ओम्बड्समन एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है। इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध किया जाता है।

'जमा', 'चेकों की वसूली', 'शिकायतों का निपटान', 'मुआवजा', 'मृतक जमाकर्ताओं के दावों के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि' एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है।

ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित आयोजित की जाती हैं। प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती है तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती है।

ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है।

ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दाखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव / प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं / शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इन्टरनेट आधारित तंत्र, **मानकीकृत जन शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएसएस)** का आरंभ किया है।

प्रधान कार्यालय में किऑक्स मशीन का प्रतिस्थापन किया गया है ताकि ग्राहक ऑनलाईन शिकायतें / सुझाव पंजीकृत कर सकें तथा यह 14.03.2013 से प्रचालनगत है।

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए (केवायसी) / धन शोधन निवारण प्रणाली

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों/ धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों/ आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं।

बैंक की केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीतियां हैं, जो कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं। इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है। पूर्ण केवायसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है। इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में जोखिम प्रबंधन संरचना तैयार की है, जो उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रति स्वयं अपना बेंचमार्क है। यह संरचना बैंक के लिए प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने, उनके मापन, निगरानी और जोखिम को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में सहायक है।

बैंक की समग्र ऋण प्रदान करने की क्षमता के अनुरूप बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां व नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं। बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी करती है। बैंक ने विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों की निगरानी हेतु विभिन्न उप समितियों यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति

As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.

Bank has printed folder called as "My Folder" containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

Duly documented policies approved by the Board, on "Deposits", "Collection of Cheques", "Redressal of Grievances", "Compensation", "Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors" and Customer Rights Policy are in place.

Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.

The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redressal of customer grievances and to ensure customers satisfaction.

Full-fledged grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has started internet based mechanism, **Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS)** for lodging the complaints or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaints as per the directions of Government of India.

Kiosk Machine has been installed at Head Office to enable the customer to register online complaints / suggestions and is in operation since 14.03.2013.

3.5 KYC/ AML

Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Banks implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Banks web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Banks training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

Bank has its Risk Management Framework in accordance with RBI Guidelines and it benchmarks itself against industry best practices. This enables it to identify measure, monitor and manage risk efficiently.

It has put in place Risk Management Policies and Strategies and establishes control systems in line with Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor risk at Bank level. Bank has also constituted sub-committees known as Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management

(सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको) का गठन किया है। इन समितियों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक करते हैं तथा कार्यपालक निदेशकगण और महाप्रबंधकगण इन समितियों के सदस्य होते हैं।

बेसल III पूंजी विनियमकों के अधीन प्रकटन आवश्यकताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने तिमाही एवं अर्धवार्षिक आधार पर प्रकटन प्रकाशित किये हैं साथ उन्हें अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध किया है।

3.7 निरीक्षण और लेखा परीक्षा:

परिचालनगत जोखिम के अभिनिर्धारण/पहचान करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा प्रणाली एवं विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं।

शाखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा :

सेठ समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा कर रहा है। वर्ष के दौरान व्यवसाय के आकार के अनुसार शीर्ष 142 शाखाओं सहित लेखा परीक्षा हेतु नियत 1139 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु बैंक ने 2015 से ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की हैं जिसके अंतर्गत सीबीएस प्रणाली से दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर महत्वपूर्ण/संवेदनशील क्षेत्रों पर रिपोर्ट उद्धृत की जाती हैं ताकि शाखाओं को परिशोधन हेतु समय पर कार्रवाई करने हेतु मार्गदर्शन किया जा सके।

बैंक विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाओं के आयोजन हेतु वेब आधारित एकीकृत लेखा परीक्षा साफ्टवेयर खरीदने एवं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता है।

आकस्मिक/औचक निरीक्षण:

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए 12 शाखाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

संगामी लेखा परीक्षा:

वर्ष 2015-16 की अनुमोदित लेखा परीक्षा योजना के अनुसार बैंक की 498 शाखाएं 2 विभागों को संगामी लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है। बैंक के कुल कारोबार का 75.78% हिस्सा संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत आता है।

आय व व्यय लेखा परीक्षा (आई एंड ई लेखा-परीक्षा)

01.10.2014 से 30.09.2015 की अवधि के लिए अनुमोदित योजना के अनुसार ₹25.00 करोड़ से अधिक के कुल व्यवसाय और ₹5.00 करोड़ से अधिक के अग्रिम वाली 263 शाखाओं में आय व व्यय लेखा परीक्षा आयोजित की गई।

अंचल कार्यालयों की व्यय लेखा परीक्षा:

अंचल कार्यालयों के व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से छ:माही व्यय लेखा परीक्षा प्रणाली लागू की गई है। प्रत्येक मार्च और सितंबर में व्यय लेखा परीक्षा की जाती है। दिनांक 30.09.2015 को 33 अंचलों की व्यय लेखा परीक्षा की गई।

प्रबंधन लेखा परीक्षा :

व्यवसाय की लाभप्रदता और वृद्धि व पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए 22 अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के 17 विभागों की वर्ष 2015-16 के दौरान प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का निरीक्षण :

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बैंक वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के अधीन रहा। इसके अलावा वर्ष के दौरान बैंक की 1 शाखा का निरीक्षण किया गया।

Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) to monitor specific risk areas. These Committees are headed by Chairman and Managing Director. Executive Directors and General Managers are members of the Committees.

As per RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations, Bank has published Disclosures on quarterly and half yearly basis and put them on the Bank's website.

3.7 Inspection & Audit:

The Inspection and Audit system and various measures of internal control are adopted by the Bank to ensure identification /assessment and mitigations of various risks.

Internal Audit of branches

As per Seth Committee guidelines the Bank is conducting Risk Based Internal Audit of branches. RBIA of 1139 Branches which were due for Audit during the year including Top 142 Branches in terms of Business, were conducted.

The Bank has implemented Off-site monitoring system since 2015 to strengthen the internal control system in which reports on some important/ sensitive areas are extracted from the CBS system on daily/weekly/monthly basis so as to guide the branches to take timely action for rectification.

The Bank proposes to procure and implement web based integrated audit software for conducting various types of audits.

Surprise/Snap Inspection:-

Surprise/Snap Inspection of 12 branches were undertaken during the year, focusing mainly on high risk areas in pursuance of Ghosh Committee Recommendations.

Concurrent Audit:-

As per approved Audit Plan for 2015-2016, 498 branches and two departments of the Bank are covered under Concurrent Audit. Bank's 75.78% total business is covered under concurrent Audit.

Income and Expenditure Audit (I.and E. Audit)

Income & Expenditure audit was carried out at 263 branches as per approved plan for the period 01.10.2014 to 30.09.2015 having total business above ₹ 25.00 crore and advances above ₹5.00 crore.

Expenses Audit of Zonal Office : -

In order to have control over expenditure at Zonal offices a system has been put in place through half yearly Expenses Audit. The Audit is conducted once in half year i.e. March and September. The expenses audit of 33 Zones was conducted as of 30.09.15.

Management audit:

For assessing the effectiveness of Zonal Offices and HO Departments in terms of supervision, control, profitability and growth in business, Management Audit of 22 Zonal offices and 17 Departments at Head Office is carried out during the year 2015-16.

RBI Inspection under Section 35 of the Banking regulation Act:-

The Bank is subject to RBI inspection under Sec.35 of the Banking Regulation Act during the year. Besides that 1 branch was also inspected by RBI during the year.

धन शोधन निवारण (एएमएल)

धन शोधन निवारण अलर्ट निर्मित करने के लिए भारतीय बैंक संघ ने 88 मानदंडों को कार्यान्वित करने की सलाह बैंकों को दी है। बैंक ने अब तक भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार 49 मानदंडों में से 43 मानदंडों का कार्यान्वयन कर दिया है। शेष बचे 6 मानदंड अन्य पार्टि उत्पाद से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त विदेश विनिमय केंद्रों/शाखाओं को एफआईयू-इंडिया द्वारा जारी व्यापार आधारित मनी लांडरिंग पर दिशानिर्देशों के संबंध में जागरूक किया गया ताकि धोखाधड़ी/मनी लांडरिंग को रोका जा सके।

3.8 सतर्कता :

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने ईमानदारी पेक्ट (इंटीग्रिटी पॅक्ट) को अपनाया है एवं ईमानदारी पेक्ट के अधीन उत्तरदायित्व के अनुपालन की स्वतंत्र समीक्षा हेतु स्वतंत्र बाहरी मानिटरों (आईईएम) की नियुक्ति की गई है। इस प्रणाली द्वारा बड़े मूल्य की खरीदारियों में पारदर्शिता, साम्य एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी।

सहभागियों को निवारक सतर्कता पहलुओं के बारे में सजग करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवारक सतर्कता का सत्र शामिल किया जाता है। लेखा वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा निवारक सतर्कता पर 88 सत्र आयोजित किए गए जिसके अंतर्गत विभिन्न संवर्गों के 2325 कर्मचारियों ने भाग लिया।

निवारक सतर्कता अभ्यास के एक अंग के रूप में अंचल शाखाओं का सतर्कता निरीक्षण कर रहे हैं जिससे धोखाधड़ी के मामलों को ढूंढने में मदद मिलती है।

3.9 अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अनुपालन नीति बनाई है। अनुपालन विभाग मुख्य अनुपालन अधिकारी की प्रमुखता में अनुपालन कार्यकलापों की निगरानी करता है। यह समय-समय पर लागू होने वाले सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। सांविधिक विनियामक अनुपालन से संबंधित मामलों का समुचित रूप से निपटान किया जाता है। विभिन्न विनियामक विवरणों की प्रस्तुति की भी निगरानी की जाती है।

3.10 विपणन और प्रचार

बैंक के विभिन्न उत्पादों के प्रचार के साथ-साथ निगमित सामाजिक दायित्वों एवं बैंक के ब्रांड को जोड़ने की दृष्टि से बैंक ने विभिन्न कार्यक्रमों का प्रायोजन किया यथा 'महिला स्वास्थ्य चुनौतियां एवं समाधान' पर पुणे में परिचर्चा हेतु शारदा शक्ति, पुणे को परिचर्चा के आयोजन हेतु प्रायोजन, नासिक कुंभ मेला के लिए प्रायोजन, ग्रीन ऑलंपियाड के आयोजन हेतु टेरे (TERRE) नीति केन्द्र का प्रायोजन, 14वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रायोजन, राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ), चेन्नै बाढ़ के दौरान वृद्ध आयु सदन, चेन्नै, निगडी ग्राम में पानी की टंकी के निर्माण हेतु रोटरी क्लब, निगडी, 7 वॉटर कूलरों के लिए बालेवाडी स्टेडियम, बाहुबली चिल्ड्रेन अस्पताल, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के 'श्रुतकेवली एज्युकेशन ट्रस्ट', भारतीय संस्कृति एवं धर्म पर 10 पुस्तकों के प्रकाशक प्राकृत भारतीय अकादमी को दान (डोनेशन) दिए गए।

3.11 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है। इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नागरिक अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साइट पर प्रदर्शित किया गया है। नोटों और सिक्कों को बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का नागरिक अधिकार पत्र भी बैंक ने स्वीकार किया है।

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों

AML:

IBA has advised the Banks to implement 88 parameters so far for generation of AML alerts. Bank has implemented 43 parameters out of 49 parameters as per IBA guidelines and the remaining 6 parameters are related to 3rd party products. In addition to these the FEX centers/branches have been sensitized on the guidelines on Trade Based Money Laundering issued by FIU-IND to prevent fraud/money laundering.

3.8 Vigilance:

As per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines, the Bank has adopted Integrity Pact & appointed Independent External Monitors (IEMs), for independent review of compliance of obligations by the parties under Integrity Pact. This system will ensure transparency, equity & competitiveness in large value procurements.

To enlighten the participants on preventive vigilance aspects, a session on preventive vigilance is included in every training programme. During the accounting year 88 sessions on preventive vigilance were conducted by vigilance department, where in 2325 employees from different cadres participated.

As a part of preventive vigilance exercise Zones are undertaking vigilance inspection of Branches, which has helped in detecting the fraud.

3.9 Compliance:

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance Department is having a Chief Compliance Officer who monitors the compliance functions. It ensures the implementation of the statutory / regulatory guidelines coming into force from time to time. The issues relating to regulatory / statutory compliances are addressed appropriately. Submission of various regulatory returns is also monitored.

3.10 Marketing & Publicity:

With a view to publicize Bank's various products and also brand image coupled with Corporate Social Responsibilities, Bank has sponsored various programs like "sponsorship to Sharda Shakti, Pune for organizing Seminar on "Women Health Challenges and Solution" in Pune, Sponsorship to Nasik Kumbh Mela, Sponsorship to TERRE Policy centre for organizing Green Olympiad, Sponsorship to 14th Pune International Film Festival, Donations to National Sports Development Fund (NSDF), Old Age Home Chennai during Chennai Flood, Rotary Club Nigdi for the construction of water Tank in Nigade Village, Balewadi Stadium for providing "7 Water Coolers, "Shrutakevali Education Trust" for Bahubali Children's Hospital, Shravanabelagola, Karnataka, Donation to Prakrit Bharati Academy Publishing 10 books on Indian Culture, Religions.

3.11 Citizen's Charter:

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website. The Bank has also adopted a citizen's charter of RBI on exchange of notes and coins.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women

को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए।

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2016 को कुल बकाया अग्रिम ₹41,485 करोड़ के थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 39.82% रहे। (गत वर्ष पर 6.12% की और ₹2391 करोड़ की वृद्धि)

4.2 कृषि

वर्ष 2015-16 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹8179 करोड़ के ऋण वितरित किए। कृषि क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिम दिनांक 31.03.2016 को ₹17174 करोड़ के रहे (10.65 प्रतिशत की वृद्धि)। बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया और ₹1648 करोड़ का वितरण किया। बैंक ने खेत मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर विनिर्माताओं, सूक्ष्म सिंचाई कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन किए। माल गोदाम रसीदों पर ऋण में वृद्धि हेतु बाजार को अधिग्रहित करने के लिए 3 **समर्थक प्रबंधकों (कोलेटरल मैनेजरों)** से गठजोड़ व्यवस्था भी की गई है।

कृषकों को अड़चन मुक्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखाओं हेतु बैंक ने जागरूकता/सुग्राही कार्यक्रम चलाए।

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है। बैंक ने किसानों को कुल 5,72,221 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। 31 मार्च 2016 को यथास्थिति एमकेसीसी हिताधिकारियों को ऋण प्रवाह बढ़कर ₹6691 करोड़ हो गया। (19.70% वृद्धि)

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है। ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध किया गया है।

बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ₹ 1.00 करोड़ तक के ऋणों के लिए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साइट पर प्रदर्शित किया है। बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (प्राथमिकता + गैर-प्राथमिकता) को बैंक की उधारी 31.03.2015 को ₹ 20,657 करोड़ की थी, जो 31 **मार्च 2016 को बढ़कर ₹ 22,334 करोड़ की हो गई।** मार्च, 2016 को प्राथमिकता के अधीन सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम एनबीसी का 7.79% रहा जबकि आरबीआई के लक्ष्य 7.00% है।

इस वर्ग में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने ट्रक/ट्रैक्टर/वाहन/पैसेंजर कार विनिर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला संवर्ग के सूक्ष्म उद्यमियों की हैण्ड होल्डिंग और उन्हें ऋण देना सुगम बनाने के लिए बैंक ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट एवं दे-आसरा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

एमएसएमई प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी अंचल कार्यालयों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित कर उन्हें सुप्रवाहित बनाया गया है।

बैंक ने पिछले वर्ष आरंभ किए गए 5 उत्पादों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एमएसएमई उधारकर्ताओं के वित्तपोषण हेतु 'महाबैंक एमएसएमई ऋण+' नामक एक नए उत्पाद का शुभारंभ किया है।

4.3.1 मुद्रा :

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), जिसमें मुख्यतः विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं से जुड़े हुए गैर-कृषि उद्यम आते हैं तथा जिनकी ऋण आवश्यकता ₹ 10.00 लाख से कम होती है के आरंभ से ही बैंक इस खंड पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस खंड के अंतर्गत आय हेतु दिए गए ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ऋण कहलाते हैं तथा तदनुसार उन्हें नामांकित किया गया है।

Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of 31st March 2016, aggregates to ₹ 41,485 Crore constituting 39.82% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). (Growth of ₹ 2,391 Crore, 6.12% over last year).

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹8179 Crore for agriculture and allied activities during the year 2015-16. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of ₹17174 Crore as on 31.03.2016 (growth of 10.65 per cent). Bank focused on growth of investment credit under Agriculture during the year 2015-16 and disbursed ₹1648 Crore. Bank also entered into strategic tie-up arrangements with Tractor Manufacturers and Micro Irrigation Companies for promoting farm mechanization and micro irrigation activities during the year. Tie up arrangement is also made with three **Collateral Manager** to capture market for expanding loan against ware house receipts.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme has gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 5,72,221 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has reached to the level of 6691 Crore as on 31.03.2016 (growth of 19.70 %).

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website.

Our Bank has adopted Simplified Loan Application for MSMEs for loans up to ₹ 1.00 Crore and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and the same is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises (Priority + NP) which was at the level of ₹20,657 Crore as at 31.03.2015, increased to ₹22,334 Crore as at 31.03.2016. Advances to Micro enterprises under priority are 7.79 % of ANBC against RBI target of 7.00 % for March 2016.

For promoting finance under this category, Bank has entered into strategic tie up arrangements with Truck / Vehicle / Tractor / Passenger car manufacturers. Bank has also entered into a MOU with Bharatiya Yuva Shakti Trust and de-Asra foundation for Credit facilitation and hand holding of the Micro entrepreneurs especially under Women and SC/ST categories.

Centralized Processing Cell set up last year at all Zonal Offices for speedy disposal of MSME proposals has been streamlined.

Bank has launched a new product namely "Mahabank MSME Credit +" for financing to MSME borrowers during the FY 2015-16 in addition to five products introduced last year.

4.3.1 MUDRA: With the introduction of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) which mainly consists of non-farm enterprises in manufacturing, trading and services whose credit needs are below ₹ 10.00 lakh. Bank is giving special attention to this segment. Loans given to this segment for income generation are known as **MUDRA** loans under Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and branded accordingly.

31.03.2016 को बैंक ने ₹1155.00 करोड़ के लक्ष्यों के विरुद्ध पीएमएमवाई के अधीन ₹1290.00 करोड़ संवितरित किए. बैंक ने सरकार द्वारा पीएमएमवाई के अधीन आबंटित लक्ष्य को 111.69% से प्राप्त किया.

बैंक ने दिनांक 16.09.2015 को मुद्रा कार्ड का शुभारंभ किया. रुपये डेबिट कार्ड के रूप में जारी मुद्रा कार्ड एक अड़चन मुक्त लचीला ऋण उत्पाद है जिसका उपयोग सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, किसी भी एटीएम से नकद आहरित करने एवं वस्तु खरीदी हेतु बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीन पर किया जा सकता है.

31.03.2016 को बैंक ने 7537 मुद्रा कार्ड जारी किए.

4.3.2 सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत शामिल उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अधीन ₹100.00 लाख तक की ऋण सुविधाओं को शामिल किया गया है, जहां बैंक द्वारा कोई समर्थक प्रतिभूति एवं तृतीय पक्ष गारंटी की मांग नहीं की जाती. इस योजना के अधीन शामिल खातों के अंतर्गत ₹10.00 लाख से अधिक के ऋणों के लिए 50% वार्षिक गारंटी शुल्क का वहन बैंक द्वारा किया जाता है तथा ₹10.00 लाख से कम के ऋणों की वार्षिक गारंटी शुल्क का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाता है. मार्च 2016 तक बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 21,287 उधारकर्ताओं को ₹2005.54 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवरेज 11.10% से बढ़ा.

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय संपत्तियां/प्लॉट्स खरीदने, उसकी मरम्मत, नवीनीकरण हेतु, उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा हेतु और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है. बैंक का रिटेल ऋण संविभाग ₹12,567.96 करोड़ का है.

5.2 महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना

भारत में स्वर्ण आभूषण परंपरागत रूप से बचत के आनुवंशिक साधन के रूप में विद्यमान है. एक सर्वाधिक तरल और मूल्यवान संपत्ति होने के कारण कारोबार, कृषि, विवाह, चिकित्सा, शिक्षा व्ययों इत्यादि जैसी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने हेतु जमानत के रूप में एक विश्वसनीय और स्वीकार्य योग्य संपत्ति का कार्य करती है. लोग अपने स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर बहुत अधिक ब्याज की दर पर धन उधार लेते हैं. आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की व्यावसायिक संभावनाओं का लाभ उठाने और हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 26.09.2014 से प्रभावी नया रिटेल ऋण उत्पाद उमहाबैंक स्वर्ण ऋण योजना आरंभ किया है. दिनांक 31.03.2016 को हमारे बैंक का कुल स्वर्ण ऋण संविभाग ₹31.86 करोड़ का है.

5.3 जन सामान्य हेतु आवास ऋण

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने आवास ऋण योजना लागू की है. भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है. वर्ष के दौरान बैंक का आवास ऋण संविभाग 31.03.2016 को ₹10550.79 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जो बैंक रिटेल संविभाग का 83.94% है. बैंक की आवास ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई और “नए आवास/फ्लैट की खरीद/निर्माण, वर्तमान फ्लैट/घर की मरम्मत/नवीनीकरण/विस्तार, प्लॉट खरीदने एवं उस पर घर बनाने” जैसी संशोधित योजनाएं लागू की गई. बैंक ने हाल ही में एक साथ घर और कार खरीदने के लिए “महाकॉम्बो ऋण योजना” आरंभ की है.

5.3.2 महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना

हमारे मानक आवास ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए बैंक ने दिनांक 26.02.2016 से उमहाबैंक टॉप-अप ऋण योजना आरंभ किया. इस योजना के अधीन आवास की मरम्मत, नवीनीकरण एवं साज-सज्जा के अलावा अन्य प्रयोजनों जैसे बच्चों की शिक्षा, बच्चों का विवाह, वैद्यकीय चिकित्सा, वाहन अथवा अन्य उच्च-तकनीक उपकरणों इत्यादि की खरीद हेतु ऋण देय होगा.

Bank has disbursed ₹1290.00 Crore under PMMY against the target of ₹1155.00 Crore as on 31.03.2016. Bank achieved 111.69% of target allotted by Government under PMMY.

Bank has launched MUDRA Card on 16.9.2015. MUDRA Card issued as a Rupay Debit Card which is hassle free flexible credit product that meets working capital needs of Micro & Small Entrepreneurs and cash can be withdrawn from any ATM or purchase from Merchandise using POS machine.

Bank has issued 7537 MUDRA Cards as on 31.3.2016

4.3.2 Coverage under CGTMSE Scheme

Under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India credit facilities up to ₹100.00 lakh are covered, wherein no collateral security and third party guarantee are insisted by the Bank. For the accounts covered under this scheme, Bank is bearing 50% annual guarantee fee for loans above ₹10.00 lakh and annual guarantee fee for loans below ₹10.00 lakh is borne by borrower. The Bank has sanctioned loans of ₹2,005.54 Crore to 21,287 borrowers under this scheme up to March 2016. During the current FY, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has increased by 11.10%.

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK

5.1. Credit Flow to Retail Sector

The Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. The retail loan portfolio of the bank is ₹12567.96 Crore.

5.2. Mahabank Gold Loan Scheme

Gold ornaments are the traditional and inherited form of savings among the people in India. Being one of the most liquid and precious asset, it serves as a dependable and acceptable form of security to raise loans for meeting immediate financial needs for business, agricultural, consumption purposes such as marriage, medical, educational expenses etc. People borrow money by pledging Gold Ornaments at very high rate of interest. To tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to meet the credit requirement of our customers. With a view to meet the credit requirement of our customers, Bank has launched a new retail loan product “Mahabank Gold Loan Scheme” w.e.f. 26.09.2014. The total portfolio of Gold Loan of our Bank as on 31.03.2016 is ₹31.86 Crore.

5.3. Housing loan to public

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing sector in rural and urban parts of India is a thrust area. The housing loan portfolio of Bank is ₹10550.79 Crore as on 31.03.2016, which constitutes 83.94% of total retail portfolio of the Bank. The housing loan schemes of the Bank were revisited and revised schemes were launched like “purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon”. The Bank has also launched “Maha Combo Loan Scheme” for purchase of house and a car taken together.

5.3.2 Mahabank Top-Up Loan Scheme

In order to extend additional credit support to our standard housing loan borrowers, Bank has launched “Mahabank Top Up loan Scheme” w.e.f. 26.02.2016. Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, Marriage of Children, Medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets etc.

5.4 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, बैंक भारतीय बैंकिंग संस्थान के दिशानिर्देशानुसार, आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। मार्च 2016 को बैंक के शैक्षणिक ऋण ₹804.12 करोड़ थे, जो 30,554 छात्रों में वितरित किए गए। बैंक में वेब एक्सेस ऑनलाईन के जरिये शैक्षणिक ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। बैंक ने “आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना” के साथ एक नया पहलू “पूर्व अनुमोदित शिक्षा ऋण” आरंभ किया है जो कि विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के बहुविध मंजूरी पत्रों की मांग को पूरा करेगा। बैंक के पास कुशलता ऋण (स्किल लोन) के रूप में “आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना” उपलब्ध है जहां अल्पावधि के रोजगार उन्मुख विकास कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु ऋणों की मंजूरी की जा सकती है। योजना के अधीन ₹ 1.50 लाख तक का ऋण मंजूर किया जा सकता है।

5.5 ऋणों का केंद्रीकृत प्रक्रियाकरण

बैंक ने अपने सभी 33 अंचलों में खुदरा/वाणिज्यिक अग्रिमों हेतु केंद्रीकृत प्रक्रियाकरण कक्षों की स्थापना की है जो कि ऋण का कठिनाई-मुक्त एवं समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगा जिससे आय में सुधार होंगे।

5.6 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए ऋण देने के कार्य को हमेशा महत्व दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। बैंक ने सभी छह अग्रणी जिलों और गोरगांव, मुंबई में स्वसहायता समूह विशेषज्ञ शाखाओं का आरंभ किया है।

31.03.2016 को बैंक द्वारा 139194 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से 107286 स्वसहायता समूहों को बैंक ऋण से लिंक किया गया जिनकी 31 मार्च, 2016 को बकाया रकम ₹154.62 करोड़ है।

5.7 अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सहायता

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है। 31 मार्च 2016 को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को कुल ऋण ₹1728.34 करोड़ थे, जो कमजोर वर्गों को अग्रिमों का 15.73 प्रतिशत है।

5.8 कमजोर वर्गों को अग्रिम

बैंक लघु/सीमांत किसानों, फसल अंशधारक, भूमिहीन श्रमिकों, अजा/अजजा लाभार्थियों, स्व-सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। 31.03.2016 को हमारे बैंक का कमजोर वर्ग को अग्रिम का कुल संविभाग ₹10,985 करोड़ रहा जो कि समायोजित निवल बैंक ऋण का 10.55% है।

5.9 अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है। अल्पसंख्यकों की सघन जनसंख्या वाले जिलों में शाखाओं का अभिनिर्धारण किया गया है तथा इन शाखाओं को अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तपोषण के लिए विशेष लक्ष्य आबंटित किए गए हैं। मार्च 2016 को अल्पसंख्यक समुदाय को दिया गया अग्रिम ₹3037.22 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह ₹3264.25 करोड़ था।

5.10 द्वार पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने उच्च मूल्य वाले अपने ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं आरंभ की है तथा इन सेवाओं के अंतर्गत ग्राहक के द्वार पर निगमित एवं खुदरा नकद प्राप्ति (पिक अप) तथा सुपूर्दी एवं चेक संग्रहण सेवाएं शामिल हैं।

5.11 बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

- बीओएम एसबीआई कार्ड का आधार 45,347 है जिसमें से 23,542 कार्ड उपयोग में हैं तथा इनमें मासिक व्यय अनुमानतः ₹12.00 करोड़ है।
- वर्ष 2015-16 के दौरान एसबीआई कार्ड से कमीशन के रूप में ₹ 66.00 लाख प्राप्त हुए।

5.4. Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that all deserving students get opportunity to pursue higher education, the Bank implemented a Model Educational Loan Scheme as per IBA guidelines. As of March 2016, the Bank had lent ₹ 804.12 Crore to 30554 students. The Bank has provided the facility of submission of application for education loan through web-access (on line) also. Bank has also introduced a new feature called “Pre Approved Education Loan”, to its “Model Education Loan Scheme” to address the requirement of multiple sanction letters required by students applying for study at foreign universities. Bank also has “Model Education Loan Scheme for as Skill Loan, where loans can be sanctioned for completion of short duration job oriented skill development programmes. A loan up to ₹1.50 lakh can be sanctioned under the scheme.

5.5. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralized Processing Cells for retail / commercial advances at all its 33 Zones for hassle free & due diligence of loans with aim to improve turnaround time.

5.6. Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activity. The SHGs have proved to be effective instruments for empowerment of women Bank has specialized SHG branches in all six lead districts and at Goregaon, Mumbai.

As on 31.03.2016, there were 139194 SHGs formed by the Bank, out of which 107286 SHGs have been linked with the bank credit with outstanding of ₹154.62 Crore as on 31st March 2016.

5.7. Assistance to SC/ST beneficiaries:

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as on 31.03.2016 to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 1728.34 Crore, constituting 15.73 per cent of advances to weaker sections.

5.8. Weaker Sector Advances:

Bank is providing credit facilities to small / marginal farmers, share cropper, landless labor, SC /ST Beneficiaries, Self Help Groups, Joint Liability Groups, The total portfolio of weaker Sector advance of our Bank as on 31.03.2016 stood at ₹ 10,985 Crore constituting 10.55% of ANBC.

5.9. Advances to Minority Community

A special cell has been set up at Head Office to review and ensure smooth flow of Credit to minority community. The branches were identified in minority concentrated districts and special targets were allotted to these branches for lending to minority communities. As of March 2016, advances to Minority community are at ₹ 3037.22 crore as against ₹3264.25 Crore of previous year.

5.10 Door Step Banking Services

Bank has introduced Door Step Banking Services for its High End Customers and the services include Corporate and Retail Cash pickup and delivery & Cheque Collection Services, at Clients Doorstep.

5.11 BOM SBI International Credit Card

- The BOM-SBI card base is 45347 out of which 23542 cards are used and monthly spend is approximately ₹ 12.00 Cr.
- The commission received from SBI Card is ₹ 66.00 Lakhs during the year 2015-16.

5.13 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.13.1 एटीएम

- एटीएम का स्थान परिवर्तन करने से पहले साईट-वार संभाव्यता/अर्थक्षमता का अध्ययन करने तथा साथ ही प्रति एटीएम 100 से अधिक औसत दैनिक हिट्स हासिल करने के बारे में सलाह दी गई है.
- कम हिट लाबी एटीएम (कुल 405) का स्थान परिवर्तन करने के बारे में लगातार अनुवर्तन किया गया एवं 31.03.2016 तक 335 लाबी एटीएम का स्थान परिवर्तन किया गया. शेष 70 एटीएम के स्थान परिवर्तन का कार्य जल्द समाप्त करने हेतु अनुवर्तन किया जा रहा है.
- अंचल कार्यालयों को विशिष्ट दिशानिर्देश एवं स्थान परिवर्तन की संख्याएं देकर उन्हें अधिकार प्रदान करने पर ऑन-साईट एटीएम के स्थान परिवर्तन का कार्य गति से हो रहा है.
- अंचल प्रबंधकों को यह अधिकार दिए गये हैं कि वे आवश्यक निविष्टियों को ध्यान में रखते हुए कम हिट वाले एटीएम को उचित/अर्थक्षम स्थानों पर अंतरित करने का निर्णय लें. अन्य बैंकों के एटीएम पर अधिक संख्या में हिट्स के कारणों का विश्लेषण करना तथा ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण करने हेतु अंचलों को सलाह दी गई है साथ ही वे कम हिट वाले एटीएम को अपने अंचल के बीच स्थान परिवर्तित कर सकते हैं. संबंधित क्षेत्र में एटीएम उपलब्ध रहने पर भी वहां एटीएम स्थान परिवर्तित किया जा सकता है.
- विपणन एवं प्रचार के दृष्टिकोण से हमारे उत्पादों / सेवाओं को मॉल जैसे स्थानों पर प्रदर्शित करने के साथ एटीएम का ब्रांडिंग किया जाता है. ऐसे कुछ एटीएम पुणे के अग्रणी मॉलों में प्रस्थापित किए जा रहे हैं. ब्रांडिंग वाले दो एटीएम पुणे शहर के दो अग्रणी मॉल में प्रचालनगत हैं.
- कम हिट लाबी एटीएम के स्थान परिवर्तन का 100% कार्य बारह (12) अंचलों में पूर्ण किया गया है यथा औरंगाबाद, दिल्ली, गोवा, जलगाँव, इंदौर, जयपुर, सोलापुर, लातूर, मुंबई शहर अंचल, पुणे शहर अंचल, सातारा एवं पुणे पूर्व अंचल. शेष अंचलों से दैनिक आधार पर अनुवर्तन किया जा रहा है.

5.13.2 इंटरनेट/एसएमएस/फोन बैंकिंग

पिछले वर्ष की तुलना में बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग में 28% फोन बैंकिंग में 31% एवं एसएमएस बैंकिंग में 33% की वृद्धि हासिल की है.

आईबीएन उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्क्योर के माध्यम से लगातार अनुवर्तन एवं नेट सुरक्षा में वृद्धि के फलस्वरूप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ऑनलाईन लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है.

5.13.3 मोबाइल बैंकिंग :

- पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाइल कार्य प्रणाली को ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत किया गया है.
- इंटरनेट बैंकिंग एवं नई महामोबाइल कार्यप्रणाली पर उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार कर सभी फील्ड कर्मचारियों को तत्काल संदर्भ तथा प्रोद्योगिकी आधारित उत्पादों के विपणन हेतु भेजा गया है.
- माह दिसंबर 2015 में बैंक ने 'महा मोबाइल ऐप' को डाउनलोड करने पर शाखा सदस्यों के लिए प्रोत्साहन एवं ग्राहकों के लिए नकद वापसी ऑफर योजनाओं का आरंभ किया है.
- माह दिसंबर 2015 में 'महा मोबाइल ऐप' में 15744 की वृद्धि हुई है.
- वर्तमान में 112210 मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता हैं.

5.14 गठजोड़

5.14.1 भुगतान गेटवे सेवाएं

- वर्तमान में हमारे ऑनलाईन एग्रीगेटरों के माध्यम से हम सभी ग्राहकों को भुगतान गेटवे सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

5.13 ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

5.13.1 ATMs

- ATM site wise feasibility/viability study before relocation was advised and also to achieve more than 100 average daily hits per ATM.
- Continuous follow up for relocation of Low hit Lobby ATMs (Total 405) has been made and relocation of 335 lobby ATMs is done by 31.03.2016 Of the remaining 70 ATMs relocations follow up is being made for early completion.
- Relocation of Onsite ATMs is geared up by empowering Zonal Offices by giving specific guidelines and numbers of relocations
- Zonal managers are empowered with necessary inputs to decide and shift low hit ATMs to suitable/viable locations. Analyzing the reasons for high number of hits on other bank ATM locations (Remote on us) advised zones to survey the area and relocate the low hit ATMs within the zone, additionally, Even if we have ATM in the vicinity.
- ATMs are being branded with display of our products / services at prominent places like Malls, Marketing & Publicity point of view. Few such ATMs are being installed in the leading malls of Pune. Two ATMs with branding are made operational in two leading malls in the city of Pune.
- 100% relocation of low hit lobby ATMs is completed in Twelve (12) Zones viz. Aurangabad, Delhi, Goa, Jalgaon, Indore, Jaipur, Solapur, Latur, MCZ, PCZ, Satara & PEZ. Remaining Zones are followed up on daily basis.

5.13.2 INTERNET /SMS/Phone Banking

Bank could achieve an increase of 28% in Internet Banking, 31% in Phone Banking and 33% in SMS banking over the previous year.

With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IBN users, substantial rise in users/online transactions is expected.

5.13.3 MOBILE BANKING

- Maha Mobile functionality has been customized and simplified for increasing the enrolments.
- A user manual on Internet Banking & New Maha Mobile functionality is prepared & sent to field staff for ready reference & marketing of the technology based products.
- Bank has introduced a Incentive schemes for Branch staff & Cash Back Offer to customers for Downloading "Maha Mobile App" in the month of December 2015
- Maha Mobile App has been increased by 15744 nos. in the month of December 2015.
- Presently, there are 112210 Mobile Banking users.

5.14 Tie Ups

5.14.1 Payment Gateway Services:

- Presently we are providing the facility of Payment Gateway to all our customers through our online aggregators.

- हमने निम्नलिखित एग्रीगेटरों के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है:

अनु.	ब्योरा	अनु.	ब्योरा
1	मे. एटम टेक्नोलॉजीस	7	मे. सीसी एव्हेन्यूस
2	मे. बिल डेस्क	8	मे. सिट्रस पेमेंट सोल्युशन्स प्रा. लि.
3	मे. ईबीएस सोल्युशन्स लि.	9	मे. पे टीएम
4	मे. आईबीबी यथा पीएवाययू	10	मे. टेकप्रोसेस पेमेंटस सोल्युशन्स
5	मे. टाइम्सऑफमनी लिमिटेड	11	मे. एसबीआई ई पे
6	मे. एअरपे	12	मे. एफएसएस पेमेंटस सोल्युशन्स

5.14.2 'रेमिट2इंडिया' सुविधा

- 'रेमिट2इंडिया' बैंक आधारित व्यक्ति से व्यक्ति धन अंतरण प्रणाली है जो व्यक्तियों, विशेषतः हमारे अनिवासी जमाकर्ताओं को विदेशी मुद्रा रकम के विप्रेषण एवं भारत में लाभार्थी के खाते में जमा की सुविधा प्रदान करता है.
- यद्यपि इस उत्पाद में आय बहुत कम है तथापि यह सुविधा/सेवा एनआरआई ग्राहकों को आकर्षित करने में उपयोगी है.

5.14.3 ईसीएस अधिदेश एवं प्रत्यक्ष नामे प्रणाली

- केंद्रीयकृत ईसीएस अधिदेश एवं केंद्रीयकृत प्रत्यक्ष नामे प्रणाली के सत्यापन हेतु बैंक का मेसर्स बजाज फाईनांस लि. (ऑटो फाईनांस) के साथ गठजोड़ है जहां बैंक को अधिदेश सत्यापन एवं केंद्रीयकृत प्रत्यक्ष नामे हेतु प्रति माह ₹ 50,000/- कमीशन के रूप में प्राप्त होते हैं.
- इसी प्रकार बैंक का मेसर्स बजाज फाईनांस लि. (उपभोक्ता फाईनांस) एवं टीवीएस, बंगलुरु के साथ गठजोड़ है.

5.14.4 ऑन लाइन शुल्क समाहरण

- सीबीएस में विभिन्न संस्थानों, संगठनों इत्यादि के ऑन-लाइन शुल्क समाहरण की व्यवस्था है जहां बैंक को कमीशन प्राप्त होगा.
- हमने पहले ही आईबीपीएस (भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन) के ऑन-लाइन शुल्क समाहरण तथा अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय इत्यादि के शुल्क का कार्डर पर समाहरण आरंभ किया है.

5.14.5 ऑन-लाइन ट्रेडिंग

- बैंक ने अपने ऑन-लाइन शेअर ट्रेडिंग सुविधा के अधीन ऑन-लाइन शेअर ट्रेडिंग हेतु तीन ब्रोकरों को शामिल किया है यथा मेसर्स रेलीगेअर सिक्युरिटीज लि., मेसर्स रिलायंस सिक्युरिटीज एवं मेसर्स वेंचुरा सिक्युरिटीज लि.
- अंचलो को अधिकाधिक ट्रेडिंग खाते खोलने की सलाह दी गई है.

6. निगमित सामाजिक दायित्व :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थी वर्मी कंपोज्ड, खारी मिट्टी का पुनर्विकास, मिट्टी की जांच इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं. बैंक ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) भिगवण में मार्डफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है. वर्ष 2015-16 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 7418 मिट्टी तथा जल नमूनों का परीक्षण किया गया और तदनुसार परामर्श दिया गया. पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं.

बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों

- We have made tie up arrangement with following aggregators.

Sr	Particular	Sr	Particular
1	M/s Atom Technologies	7	M/s CC Avenues
2	M/s BILL DESK	8	M/s Citrus Payment Solutions Pvt Ltd
3	M/s EBS solutions limited	9	M/s PayTm
4	M/s Ibibo i.e. PAYU	10	M/s Techprocess payment Solutions
5	M/s TimesofMoney Limited	11	M/s SBI e pay
6	M/s Airpay	12	FSS Payment Solutions

5.14.2 'Remit2India' facility

- "Remit2India" is a web-based, person to person money transfer system that allows individuals particularly our Non-Resident Depositors to remit foreign currency amount for credit to the Beneficiary account in India.
- Although the income is very less in this product but this facility/Services which we may be useful to attract NRI customers.

5.14.3 ECS Mandate and Direct Debit System

- Bank has a tie up with M/s Bajaj Finance Limited (Auto Finance) for Centralized ECS mandate verification & centralized direct debit system where in bank is receiving commission of ₹50,000/- per month for mandate verification & centralized direct debit.
- Similarly, Bank has also a tie up with M/s Bajaj Finance Limited (Consumer Finance) & TVS at Bangalore.

5.14.4 Online Fee Collection

- We have an arrangement in CBS for online fee Collection of different institutes; Organizations etc. wherein Bank will be receiving the commission.
- We have already started IBPS (Indian Banking Personal Selection) online fee collection, over the counter fee collection for Amravati collectorate etc.

5.14.5 Online Trading

- Bank has introduced Three Brokers under our Online Share Trading facility. i.e. M/s Religare Securities Limited, M/s Reliance Securities Ltd. & M/s Ventura Securities Limited for Online Share Trading.
- Zones have been advised to open the maximum trading accounts.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Rural Development Centers at Hadapsar- Pune and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers' viz. Vermi compost, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil testing lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan. The Soil Testing Laboratory has analyzed 7418 Soil and Water samples in the year 2015-16 and accordingly counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Solapur and Satara are taking benefit of the lab.

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers

को प्रशिक्षण देता है। मार्डफ ट्रस्ट ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी), भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 94 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 2363 किसान लाभान्वित हुए।

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एम-सेटी) की स्थापना की है। संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं। संस्थान ने अब तक 21,386 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इनमें से 56% युवक रोजगार-रत हुए हैं।

बैंक और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमबीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन स्व-सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें बैंक ऋण से सम्बद्ध करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है।

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छह अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना व ठाणे में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों का शुभारंभ किया है।

7. अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे व पालघर में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधीश के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है और राज्य की वार्षिक ऋण योजना बनाता है। वर्ष 2015-16 के लिए योजना ₹1,86,620/- करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था। राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 15,000 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के 16,000 से अधिक गाँव में लगातार सूखे तथा प्राकृतिक विपदाएं आती रही जिसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि और संबंधित गतिविधियों पर हुआ। इस प्रकार के आपदाकाल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति राहत उपायों विशेष बैठकों के आयोजन और जहां आवश्यक हुआ वहां सदस्यों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय रही है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। राज्य में कुल 136 लाख खाते खोले गए और खाता खोलने के उद्देश्य से महाराष्ट्र संतुष्ट राज्य घोषित किया गया। तथापि खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है।

एसएलबीसी महाराष्ट्र को पीएमजेडीवाय खातों का सर्वाधिक आधार सीडिंग करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

7.3 वित्तीय समावेशन योजना/प्रधानमंत्री जन-धन योजना

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित और आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) में बैंक का सक्रियता से सहभाग जारी है।

on various subjects in Agriculture. Trust has implemented 94 training programmes for farmers at RDC Bhigwan and Hadapsar and has benefited 2,363 farmers from April 2015 to March, 2016.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far imparted training to 21386 educated unemployed youths. The settlement rate is 56.00%.

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

The Bank has opened Financial Literacy Centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna and Thane for creating awareness about banking schemes.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra and prepares State Annual Credit Plan. The plan for the year 2015-16 was for ₹ 1,86,620/- crore which is highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra. SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, priority sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various member banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC coordinates a network of more than 15,000 bank branches in the state.

In FY 2015-16, the State suffered due to continual draught in more than 16000 villages and also onslaught of natural calamities, the brunt of which is mostly borne by Agriculture and related activities. SLBC has always been very proactive in such calamities by issuing necessary guidelines in respect of relief measures, organizing special meetings and guiding the members whenever necessary.

As SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. A total of 136 lakh accounts were opened in the State and the State was declared as saturated for the purpose of opening of accounts. The process of opening of accounts is continued.

S L B C Maharashtra received award for highest Adhar seeding of PMJDY accounts from Department of Financial Service, MOF New Delhi.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY:

Bank continued to actively participate in the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) announced and launched by the Prime Minister of India.

बैंक ने बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु आबंटित 3051 ग्रामीण उप सेवा क्षेत्र और 755 शहरी वार्डों का सर्वेक्षण किया। सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बैंक के स्वयं के बीसीए मॉडल और कार्पोरेट बैंक प्रतिनिधियों के माध्यम से 2974 बैंक मित्र तैनात किए। बैंक मित्रों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है और निर्धारित मासिक वेतन और परिवर्तनशील कमीशन के माध्यम से न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना अभियान अवधि के दौरान बैंक ने कुल 32.18 लाख बचत बैंक खाते खोले और सभी खाताधारकों को रु-पे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए। सभी अभिनिर्धारित गैर-समावेशी परिवारों के भी बचत खाते खोले गए। अभियान अवधि के दौरान खोले गए इन खातों में कुल ₹ 531.97 करोड़ की रकम बैंक ने संग्रहित की। बैंक ने ई-केवाईसी का उपयोग करके आधार क्रमांक के आधार पर खाता खोलने की प्रणाली का कार्यान्वयन किया। बैंक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ऑन-अस और ऑफ-अस) तथा रु-पे कार्ड पिन आधारित व्यवहारों पर बैंक सक्रिय (लाइव) है। खाताधारकों के लिए बैंक डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) और डीबीटीएल (एलपीजी गैस सबसिडी) का भी प्रोसेसिंग कर रहा है। बैंकिंग उद्योग में बैंक के ईपीएस व्यवहार सर्वाधिक हैं।

बैंक ने जीवन के लिए सूक्ष्म बीमा उत्पाद (पीएमजेजेवाय) का शुभारंभ किया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन 7,69,482 पॉलिसियां जारी की गईं। एक और दुर्घटना सूक्ष्म बीमा योजना (पीएमएसबीवाय) का शुभारंभ किया गया तथा इस समूह बीमा योजना के अधीन 14,13,165 पॉलिसियां जारी की गईं। हमारे बैंक द्वारा अटल पेन्शन योजना का कार्यान्वयन भी पूर्ण उत्साह के साथ किया गया और इस योजना के अधीन 43,936 पेन्शन खाते खोले गए।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक ने **1800-102-2636 टोल फ्री क्रमांक** वाला पूर्ण विकसित कॉल सेंटर खोला है।

स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता की सामग्री तैयार कर शाखाओं और बैंक मित्रों को उपलब्ध की गई है ताकि वित्तीय साक्षरता कैंपों के दौरान इन्हे खाताधारकों में वितरित किया जा सके। वित्तीय साक्षरता शिबिरों का आयोजन महाराष्ट्र के जिलों के विभिन्न विद्यालयों में किया जा रहा है। सभी कौशल केंद्रों/आईटीआई को वित्तीय साक्षरता परियोजना के अधीन चिन्हित किया गया है। प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भारतीय बैंकिंग संस्थान, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु बैंक को पुरस्कृत किया गया है।

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। दिनांक 31.03.2016 बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 397 हैं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं।

सभी 397 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं। इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 06 नई शाखाएं खोली हैं।

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) ने ₹10,000 करोड़ के कुल व्यवसाय एवं ₹100 करोड़ का प्रचालन लाभ के मानदंड को पार करते हुए 31.03.2016 को ₹10224 करोड़ का कुल व्यवसाय एवं ₹105 करोड़ का प्रचालन लाभ हासिल किया है। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 22.30% रही।

कुल जमा राशियों में चालू खाता बचत खाता जमा राशियों का हिस्सा 53.52% रहा। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का परिचालनगत लाभ ₹105.20 करोड़ का रहा (15.01% की वृद्धि)। वर्ष 2015-16 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशियों में 22.48% और कुल अग्रिमों में 22.06% की वृद्धि हुई।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आबंटित 898 उप सेवा क्षेत्र और 80 वार्डों का सर्वेक्षण बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु किया गया। बैंक ने सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बीसीए तैनात किए। प्रधानमंत्री जन-धन योजना अभियान अवधि के दौरान कुल 4.50 लाख खाते खोले गए और सभी खाता धारकों को 'रु-पे एटीएम डेबिट कार्ड' जारी किए गए।

Survey of all allotted 3051 rural Sub Service Areas (SSAs) and 755 urban wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has engaged 2,974 Bank Mitrs through corporate BCs and under own BCA model in all the allotted SSAs. The Bank Mitrs are being paid monthly remuneration regularly and minimum remuneration is ensured by paying fixed monthly pay and variable commission.

Total 32.18 lakh Savings Bank accounts have been opened by the Bank during the PMJDY campaign period and RuPay ATM Debit cards have been issued to all the accountholders. Savings accounts of all the identified uncovered households have been opened. The Bank has mobilized ₹ 531.97 Crore in these accounts opened during the campaign period. The Bank also implemented Aadhaar based account opening using e-KYC. The Bank is live on Aadhaar Enabled Payment System (On-us and Off-us) and RuPay card PIN Based transactions. The Bank has been processing the DBT (Direct Benefit Transfer) and DBTL (LPG Gas Subsidy) for the accountholders. Bank is having highest number of AEPS transactions in banking industry.

The Bank has introduced micro insurance products for life (PMJJY). During this financial year 7,69,482 policies were issued under this scheme. Other accident micro insurance scheme launched (PMSBY) was also launched and as many as 14,13,165 policies are issued under this group insurance scheme. Atal pension Yojana was also implemented with full vigour by our bank by issuing 43936 pension accounts under this scheme.

The Bank has a full-fledged call centre with toll free number 18001022636 for redressal of PMJDY grievances.

The Financial Literacy Material has been prepared in vernacular languages and supplied to all Branches / Bank Mitrs for supplying the same to accountholders during FLC camps. Financial literacy camps are organized in different schools in districts of Maharashtra. All skilling centers /ITI are mapped under financial literacy project Bank has been awarded for excellent performance in the field of financial inclusion from prestigious institutes like IBA, DFS, and Economic Times.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no of branches as on 31.3.2016 stood at 397 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra State.

All 397 branches and controlling offices are now under CBS. MGB opened 06 new branches during this year.

Maharashtra Gramin Bank has crossed the benchmark of ₹10000 Cr Total Business and ₹100 Cr Operating Profit by achieving ₹10224 Cr Total Business and ₹105 Cr Operating Profit as on 31.03.2016 with a YOY growth rate of 22.30%

The percentage of CASA to total deposit is 53.52 %. Operating profit of MGB is ₹ 105.20 Crore (growth of 15.01 %). During the year 2015-16, MGB has grown by 22.48 % in total deposits and 22.06 % in advances.

Under Pradhan Mantri Jandhan Yojana surveys of all allotted 898 SSAs and 80 wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has covered all allotted SSAs by engaging BCAs. Total 4.50 lakh accounts have been opened during the PMJDY campaign period and "RuPay ATM debit cards" have been issued to all the account holders. Maharashtra Gramin Bank has actively participated in

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय तथा एपीवाय एवं साथ ही भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा घोषित पीएमएमवाय योजना में सक्रियता से भाग लिया।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन मानदंडों के अंतर्गत एमओयू डीएपी के अधीन अधिकांश लक्ष्य प्राप्त किए :

अनु.	कार्यनिष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य	31.03.2016 को वास्तविक
1	कोर जमा में वृद्धि (%)	17.18%	22.48%
2	अग्रिमों में वृद्धि %	23.02%	22.06%
3	जून 2014 का वसूली %	65%	67%
4	एनपीए स्तर	₹195.00 करोड़	₹153.99 करोड़
5	कृषि अग्रिमों में वृद्धि	19.67%	25.18%
6	सीडी अनुपात	75.44%	71.61%
7	एसएचजी क्रेडिट लिंक में वृद्धि की संख्या	2500	5067
8	केसीसी कार्ड में वृद्धि की संख्या	35000	173483
9	निवल लाभ, कर के बाद	₹ 45.50 करोड़	₹ 53.86 करोड़
10	प्रति शाखा लाभ	₹ 15.85 लाख	₹ 17.60 लाख
11	प्रति कर्मचारी लाभ	₹ 4.19 लाख	₹ 4.67 लाख

8.2 दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100% अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं। कंपनी लगभग 1085 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है। वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 37 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1110 हो गई है।

कंपनी द्वारा वर्तमान में 72 ग्राहकों की चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 170 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 6 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मेटको का निवल लाभ ₹ 41.01 लाख है। कंपनी ने अपने शेअरधारकों के लिए वर्ष 2015-16 हेतु प्रथम बार 10% का लाभांश प्रस्तावित किया है।

निदेशक मंडल ने संस्था के नये बहिर्नियम एवं संस्था के अंतर्नियम पारित करके विभिन्न प्रकार की अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी का मार्ग प्रशस्त किया है।

the PMJJBY, PMSBY and APY as well as the PMMY scheme declared by GoI, DFS.

Bank has achieved most of the Targets under MOU_DAP for the financial year 2015-16 in the major Key performance parameters.

SR NO	PERFORMANCE PARAMETER	TARGET FOR THE FY 2015-16	ACTUAL AS ON 31.03.2016
1	Growth in Core Deposit (%)	17.18%	22.48%
2	Growth in Advances (%)	23.02%	22.06%
3	Recovery % June 14	65%	67%
4	NPA Level	₹195.00 Cr	₹153.99 Cr.
5	Growth in Agriculture Advances	19.67%	25.18%
6	CD Ratio	75.44%	71.61%
7	Increase in No. of SHGs credit linked	2500	5067
8	Increase in No. of KCC Cards	35000	173483
9	Net Profit After Tax	₹45.50Cr	₹53.86 Cr.
10	Per Branch Profit	₹15.85 lacs	₹17.60 lacs
11	Per Employee Profit	₹4.19 lacs	₹4.67 lacs

8.2 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd.

Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting & Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1085 Public & Private Trusts. During the year, additional 37 Wills were added making total 1110 Wills in its custody for execution.

At present, the Company manages properties both movable and immovable of 72 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 170 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 6 cases.

The net profit of METCO for F.Y. 2015-16 is ₹41.01 lakh. It has for the first time (Maiden) proposed Dividend of 10% for the year 2015-2016 to its Shareholders.

The Board of Directors has passed New Memorandum of Association and Article of Association paving way to the Company to undertake different types of other financial Services.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं :

मुंबई स्थित देश की प्रतिष्ठित हिन्दी-सेवी संस्था, “आशीर्वाद” द्वारा बैंक में राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु मुंबई में दिनांक 23.09.2015 को आयोजित भव्य समारोह में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए :

बैंक के महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा) **श्री मनोज बिस्वाळ** को ‘**राजभाषा गौरव**’ पुरस्कार

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वर्ष 2014-15 के दौरान बेहतर हिन्दी कार्यान्वयन के लिए ‘**विशेष पुरस्कार**’

प्रधान कार्यालय में दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक **श्री एस. मुह्नोट** की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वान और आकाशवाणी, पुणे के कार्यक्रम कार्यपालक डॉ. सुनील देवधर थे. महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा श्री मनोज बिस्वाळ मंच पर उपस्थित थे. इस अवसर पर बैंक के कार्यपालकगण, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे. समारोह में आंतरिक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के विजेता अंचल कार्यालयों, शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को पुरस्कृत किया गया.

दिनांक 28 और 29 दिसंबर, 2015 को बेंगलूरु में सभी राजभाषा अधिकारियों हेतु राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन का उद्घाटन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री एस. मुह्नोट के करकमलों से हुआ. महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा श्री मनोज बिस्वाळ भी सम्मेलन में उपस्थित हुए और उन्होंने राजभाषा अधिकारियों का मार्गदर्शन किया.

वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय, पुणे द्वारा बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन ‘अनुभूति’ का प्रकाशन किया गया.

हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के मध्य सेतु निर्माण की भावना से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने विभिन्न अंचलों में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अनेक कार्यक्रमों का प्रायोजन किया. इनमें साहित्य सम्मेलनों, नाटक, सुगम-संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रायोजन शामिल है.

राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से मासिक राजभाषा ई-पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है. नवोन्मेषी प्रयास के अंतर्गत मासिक राजभाषा ई-पत्रिका का ब्रेल लिप्यांतरण भी प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि बैंक के दृष्टिबाधित कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें.

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने दिनांक 17 सितंबर, 2015 को हमारे लखनऊ अंचल कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया. उल्लेखनीय है कि समिति के माननीय सदस्यों ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में बैंक द्वारा की जा रही नई पहलों और कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और कार्य की सराहना की.

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2015-16 की तृतीय तिमाही में जयपुर में अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी एवं समीक्षा बैठक दिनांक 06 व 07 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई. बैंक के महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा श्री मनोज बिस्वाळ ने इस कार्यक्रम में बैंक का प्रतिनिधित्व किया और सभी बैंकों के कार्यपालकों को संबोधित किया.

संयुक्त निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.11.2015 को जयपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया. उन्होंने अपने निरीक्षण में जयपुर अंचल कार्यालय के हिन्दी कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर व जळगांव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजन करता है. बैंक द्वारा संयोजित उक्त पांचों नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने वर्ष के दौरान हिन्दी से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संपन्न कीं और निर्धारित समय पर बैठकों का आयोजन किया.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2015-16, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

Mumbai based prestigious Institution in the field of Hindi, ‘Aashirvad’ awarded following trophies in a grand function held on 23.09.2015 to the Bank:

‘**RajbhashaGourav**’ Award to Bank’s General Manager (HRM and Rajbhasha) **Shri Manoj Biswal**.

‘**Special Award**’ to Bank of Maharashtra for Better Hindi Implementation during the year 2014-15.

On 07th October, 2015 Hindi day function was held in Head Office, Pune. **Shri S. Muhnot**, Chairman & Managing Director of the Bank presided over the function. Dr. Sunil Deodhar, renowned Hindi litterateur & Programme Executive of Akashvani Pune was the Chief Guest. Shri Manoj Biswal, General Manager, HRM & Rajbhasha was also graced the Function, Bank’s Executives, Officers & Employees were also present. Bank’s Internal Rajbhasha Trophy Scheme winner Zonal Offices, Branches and Head Office Departments were awarded during the function.

An All India Rajbhasha Seminar was organized in Bengaluru on 28th and 29th December, 2015 for all Official Language Officers of the Bank. Shri S. Muhnot, Chairman & Managing Director of the Bank inaugurated the seminar. Shri Manoj Biswal, General Manager, HRM & Rajbhasha guided all the participants.

Rajbhasha Vibhag, Head Office, Pune published a collection of story stories ‘Anubhuti’ written by bank’s own officers and employees.

As per instructions issued by DFS, Ministry of Finance, Govt. of India a bridge-building exercise between Hindi and other Regional Languages, our bank sponsored numerous Hindi and Regional language programmes in various Zones. Sponsored programmes include literary meets, dramas, folk music and cultural programme.

Monthly Rajbhasha E-Patrika is being regularly published every month. As a new initiative Brail script of Rajbhasha E-Patrika is also published for the benefit of visually challenged employees of the Bank.

During its visit on 17th September, 2015 to Lucknow, Committee of Parliamentary Committee on Official Language reviewed Official Language Implementation work of Bank’s Lucknow Zonal Office. The honourable members of the Committee expressed their satisfaction regarding progressive use of Hindi and the implementation of new initiatives by the Bank.

Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, India has organized All India Rajbhasha Seminar & Review Meeting in Jaipur in the third quarter of 2015-16 on 06th and 07th November, 2015. Our Bank’s General Manager Human Resources Management and Rajbhasha, Shri Manoj Biswal represented the Bank in the programme and addressed the executives of all banks.

Joint Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, Jaipur has inspected our Jaipur Zonal Office on 05.11.2015. He appreciated Hindi work of Jaipur Zonal Office.

Bank of Maharashtra is convener of Town Official Language Implementation Committees of Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. All the five Town Official Language Implementation Committees convened by the Bank conducted various activities throughout the year and organized meetings as per schedule.



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) कोलकाता द्वारा दिनांक 26 नवंबर, 2015 को हमारे बैंक को 'ग' क्षेत्र में 'प्रथम पुरस्कार' प्रदान किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) नागपुर द्वारा हमारे नागपुर अंचल को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

10. सुरक्षा

शाखाओं में सुरक्षा की आवश्यकताओं एवं बैंक के कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ साथ सभी शाखाओं में भौतिक सुरक्षा संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से सक्रिय कदम उठाए गए। यह कार्य खतरे की संकल्पना, चालू अपराध परिदृश्य, अपराध के तरीकों, बैंक डकैती की कार्य प्रणाली, सुरक्षा भंग, आग की घटनाओं का विश्लेषण करने तथा ऐसी परिस्थितियों के लिए सुरक्षा कार्मिकों एवं अन्य बैंक कर्मचारियों को तैयार एवं प्रशिक्षित करने के द्वारा किया जाता है।

11. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गईं और उनको सतत आधार पर लागू किया गया। यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और वर्ष के लिए लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए।

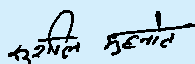
12. निदेशक मंडल में परिवर्तन

- वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
- श्री आर. थामोदरन का बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में 30.06.2015 से निर्वाचन हुआ।
- डॉ. अर्चना आर. ढोलकिया की 28.01.2016 को अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई।

13. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबद्धता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से



(एस. मुहनोट)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: पुणे

दिनांक: 12 मई, 2016

Our bank was awarded first prize in "C" Region on 26th November, 2015 by Town official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata.

Our bank was awarded Second prize by Town official Language Implementation Committee (Bank), Nagpur.

10. SECURITY

Proactive steps were taken in view of the security requirements at the branches and for Bank's staff and also for provisioning of physical security infrastructure at all branches. This was done after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, the breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any such eventuality.

11. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2016:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

12. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

- During the year 2015-16, the following changes took place in the Board of Directors:
 - Shri R. Thamodharan was elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f 30.06.2015.
 - Dr. Archana R. Dholakia was appointed as Part time Non Official Director of the Bank w.e.f 28.01.2016.

13. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors



(S. Muhnot)

Place: Pune

Date: 12th May, 2016

Chairman and Managing Director

वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स)
पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE
GOVERNANCE FOR THE YEAR 2015-16

1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है। बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। हमारे ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल:

- 2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है।
- 2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरीयों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

31 मार्च 2016 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

- 2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended from time to time.
- 2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2016 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2016 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2016	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्यक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री सुशील मुहनोट Shri Sushil Muhnot	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य NIL	11	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 09.11.2013 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 09.11.2013 by the Central Government .
2	श्री आर. आत्मराम Shri R. Athmaram	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	12	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07.08.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as the Executive Director w.e.f. 07.08.2013 by the Central Government.



अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2016 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2016	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात् बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
3	श्री आर.के. गुप्ता Shri R.K. Gupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	13	01	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2013 by the Central Government. He is also the Chairman of the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
4	श्री अतीश सिंह Shri Ateesh Singh	निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारत सरकार द्वारा नामित Director (Non Executive) Government Nominee	शून्य NIL	08	02	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 20.07.2012 को निदेशक के रूप में नामित किए गए. वे जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लि. एवं सिंचाई व जल संसाधन वित्त निगम लि. के निदेशक मंडल में निदेशक हैं. Nominated as a Director w.e.f. 20.07.2012 by the Central Government. He is Director on the Board of Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Limited & Irrigation and Water Resources Finance Corporation Limited.
5	श्री जी. श्रीकुमार Shri G. Sreekumar	निदेशक (गैर-कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित Director (Non Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	05	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2014 से निदेशक के रूप में नामित किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government.
6	श्री रामदेव एल. सायदीवाल Shri Ramadev L Saydiwal	निदेशक (गैर- कार्यपालक) - कर्मकार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले Director (Non Executive) Representing Workmen employees	शून्य NIL	03	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2013 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2013 by the Central Government.
7	श्री संजीव जैन Shri Sanjeev Jain	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	08	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.08.2013 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 19.08.2013 by the Central Government.

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2016 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2016	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात् बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभ्युक्तियाँ (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
8	श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी Shri Premchandra Amolakchand Sethi	निदेशक (गैर-कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Shareholders	200	08	02	शून्य NIL	दिनांक 27.06.2014 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए. वे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और प्रो-जी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं। Elected as Shareholder Director w.e.f.27.06.2014. He is also Director on the Board of Aarti Industries Ltd. & Pro-G Agro Pvt. Ltd.
9	श्री आर. थामोदरान Shri R.Thamodharan	निदेशक (गैर-कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Shareholders	100	04	01	शून्य NIL	दिनांक 30.06.2015 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए. वे टिडेल पार्क लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक हैं। Elected as Shareholder Director w.e.f. 30.06.2015. He is nominee Director on the Board of Tidel Park Ltd., representing LIC of India.
10	डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया Dr. Archana Ravindraraai Dholakia	निदेशक (गैर-कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	01	शून्य NIL	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 28.01.2016 को निदेशक के रूप में नामित किए गए. Nominated as a Director w.e.f. 28.01.2016 by the Central Government.

2.3 वर्ष (2015-16) के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत श्री आर थामोदरान, दिनांक 30 जून, 2015 से तीन वर्षों की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए हैं।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से तीन वर्षों की अवधि हेतु निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल:

2.4.1 श्री आर. थामोदरान

नाम	श्री आर. थामोदरान
पता	भारतीय जीवन बीमा निगम, वित्त व लेखा विभाग, 3 री मंजिल, योगक्षेम बिल्डिंग, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.
जन्म दिनांक	15.03.1959
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी एस सी (भौतिक शास्त्र), एसीए

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year (2015-16):

Shri R.Thamodharan, was elected as Shareholder Director on 30th June, 2015 under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for the period of three years from 30th June 2015.

Dr. Archana Ravindraraai Dholakia was appointed as Director on 28th January, 2016 under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for the period of three years from 28th January 2016.

2.4 Profile of Directors appointed during the financial year 2015-16:

2.4.1 Shri R. Thamodharan

Name	Shri R. Thamodharan
Address	LIC of India, F & A Department, 3rd Floor, Yogakshema Building, Jeevan Bima Marg, Mumbai-400 021
Date of Birth	15.03.1959
Age	57 years
Qualification	B Sc (Physics), ACA

निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2015 से तीन वर्षों की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
अनुभव	वे भारतीय जीवन बीमा निगम (वित्त व लेखा) के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न वरिष्ठ पदों के साथ ही चार्टर्ड एकाउंटेंट का 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	वे टिडेल पार्क लिमिटेड, चेन्नई के निदेशक मंडल पर भारतीय जीवन बीमा निगम के नामित निदेशक के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।

2.4.2 डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया

नाम	डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया
पता	घर क्र. 313, आईआईएम, पुराना कैम्पस, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015
जन्म दिनांक	04.12.1955
आयु	60 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम, एम. ए., अर्थशास्त्र में पी.एच.डी
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (ज) के अंतर्गत डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया, दिनांक 28 जनवरी, 2016 से तीन वर्षों की अवधि हेतु निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं।
अनुभव	वे गुजरात विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका तथा समाज विज्ञान के विद्यालय में पहले निदेशक हैं। वे भारतीय उद्यमशीलता विकास (ईडीआईआई), अहमदाबाद की विशिष्ट प्राध्यापिका हैं, उन्हें विश्वविद्यालयों व संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श का 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है।
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति के पद धारण की स्थिति	शून्य

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 09 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

14.05.2015	30.06.2015	12.08.2015	01.09.2015	15.10.2015
04.11.2015	07.12.2015	10.02.2016	17.03.2016	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2015 से 31.03.2016	09	09
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	09	09
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	09	07

Nature of appointment as Director	Elected as the Shareholder Director of the Bank w.e.f. 30.06.2015 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of 3 years.
Experience	He is working as Executive Director, LIC of India (Finance & Accounts). He is Chartered Accountant having more than 30 years experience with LIC of India holding various senior positions.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	He is a Nominee Director representing LIC of India on the Board of Tidel Park Ltd., Chennai.

2.4.2 Dr. Archana Ravindrarai Dholakia

Name	Dr. Archana Ravindrarai Dholakia
Address	House No.313, IIM, Old Campus, Vastrapur, Ahmedabad - 380 015
Date of Birth	04.12.1955
Age	60 years
Qualification	B.Com, M.A., Ph.D in Economics.
Nature of appointment as Director	Appointed as Director of the Bank w.e.f. 28.01.2016 u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of 3 years.
Experience	She is a Professor of Economics and former director at School of Social Sciences at Gujarat University. She is distinguished professor at Entrepreneurship Development Institute of India, (EDII), Ahmedabad. She has more than 32 years of teaching, research and consulting experience at Universities and Institutions.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2015-16, 09 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.

14.05.2015	30.06.2015	12.08.2015	01.09.2015	15.10.2015
04.11.2015	07.12.2015	10.02.2016	17.03.2016	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Sushil Muhnnot	01.04.2015 to 31.03.2016	09	09
Shri R. Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	09	09
Shri.R.K. Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	09	07

श्री अतीश सिंह	01.04.2015 से 31.03.2016	09	06
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2015 से 31.03.2016	09	06
श्री आर. एल. सायदीवाल	01.04.2015 से 31.03.2016	09	09
श्री संजीव जैन	01.04.2015 से 31.03.2016	09	09
श्री पी.ए. सेठी	01.04.2015 से 31.03.2016	09	08
श्री आर. थामोदरण	30.06.2015 से 31.03.2016	07	06
डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया	28.01.2016 से 31.03.2016	02	01

2.6 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात् सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा सूचीकरण करार के खंड 49 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) अधिनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.7 बैंक द्वारा उनके निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्योरा बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

2.8 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार, दिनांक 29 जून, 2015 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

01	श्री एस. मुहनोत	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
02	श्री आर. आत्माराम	कार्यपालक निदेशक
03	श्री आर.के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
04	श्री संजीव जैन	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक और निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
05	श्री रामदेव एल. सायदीवाल	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
06	श्री पी. ए. सेठी	शेयर धारकों के प्रतिनिधि निदेशक

4. निदेशक मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की छह सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना
- ख) ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ग) परिसर/क्वार्टर्स व अन्य वस्तुओं को अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना तथा

Shri Ateesh Singh	01.04.2015 to 31.03.2016	09	06
Shri.G. Sreekumar	01.04.2015 to 31.03.2016	09	06
Shri.R.L. Saydiwal	01.04.2015 to 31.03.2016	09	09
Shri. Sanjeev Jain	01.04.2015 to 31.03.2016	09	09
Shri.P. A. Sethi	01.04.2015 to 31.03.2016	09	08
Shri.R. Thamodharan	30.06.2015 to 31.03.2016	07	06
Dr. Archana R. Dholakia	28.01.2016 to 31.03.2016	02	01

2.6 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with Clause 49 of the Listing Agreement and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the code.

2.7 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2015-16 are available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in.

2.8 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. Annual General Meeting:

The 12th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Monday, the 29th June 2015 at Appasaheb Joag Hall Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 where following Directors were present.

1	Shri S. Muhnot	Chairman & Managing Director
2	Shri R. Athmaram	Executive Director
3	Shri R.K. Gupta	Executive Director
4	Shri Sanjeev Jain	Director appointed by Govt. of India and Chairman of Audit Committee of the Board
5	Shri Ramdev L. Saydiwal	Workmen Employee Director
6	Shri P.A. Sethi	Director representing shareholders

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with six members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- a) Sanction of credit and investment proposals,
- b) Sanction of loan compromise / write off proposals,
- c) Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and other procurements

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 18 बैठकें हुईं:

05.05.2015	14.05.2015	01.06.2015	30.06.2015	14.07.2015	12.08.2015
01.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	06.10.2015	04.11.2015	07.12.2015
19.12.2015	29.12.2015	04.02.2016	03.03.2016	19.03.2016	29.03.2016

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोट	01.04.2015 से 31.03.2016	18	18
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	18	18
श्री आर. के गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	18	15
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2015 से 31.03.2016	18	12
श्री आर. एल. सायदीवाल	14.05.2015 से 13.11.2015 10.02.2016 से 31.03.2016	13	13
श्री पी. ए. सेठी	14.05.2015 से 13.11.2015 10.02.2016 से 31.03.2016	13	12
श्री आर. थामोदरण	12.08.2015 से 11.02.2016	10	10

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i	श्री सुशील मुहनोट	अध्यक्ष
ii	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii	श्री आर. के गुप्ता	सदस्य
iv	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
v	श्री आर. एल. सायदीवाल	सदस्य
vi	श्री पी. ए. सेठी	सदस्य

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

- क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।
- ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता, पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है।
- ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।

d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 18 times during the period under review on the following dates:

05.05.2015	14.05.2015	01.06.2015	30.06.2015	14.07.2015	12.08.2015
01.09.2015	14.09.2015	28.09.2015	06.10.2015	04.11.2015	07.12.2015
19.12.2015	29.12.2015	04.02.2016	03.03.2016	19.03.2016	29.03.2016

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	18	18
Shri R. Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	18	18
Shri R. K. Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	18	15
Shri G. Sreekumar	01.04.2015 to 31.03.2016	18	12
Shri R. L. Saydiwal	14.05.2015 to 13.11.2015 10.02.2016 to 31.03.2016	13	13
Shri P. A. Sethi	14.05.2015 to 13.11.2015 10.02.2016 to 31.03.2016	13	12
Shri. R.Thamodharan	12.08.2015 to 11.02.2016	10	10

The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under:

i	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii	Shri R.Athmaram	Member
iii	Shri R.K.Gupta	Member
iv	Shri G. Sreekumar	Member
v.	Shri. R.L.Saydiwal	Member
vi.	Shri.P.A. Sethi	Member

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

- a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.
- b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.

- घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।
- ड) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य पर निगरानी रखता है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण का अनुपालन करता है।
- च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है। यह समिति लॉग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।
- छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति लिस्टिंग समझौता के खंड 49 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) अधिनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

14.05.2015	01.06.2015	29.06.2015	12.08.2015	01.09.2015	06.10.2015
15.10.2015	04.11.2015	07.12.2015	19.12.2015	09.02.2016	16.03.2016
30.03.2016					

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री संजीव जैन	01.04.2015 से 31.03.2016	13	13
श्री आर. आत्माराम*	01.04.2015 से 31.03.2016	13	13
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	13	10
श्री अतीश सिंह	01.04.2015 से 31.03.2016	13	08
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2015 से 31.03.2016	13	11
डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया	01.02.2016 से 31.03.2016	02	02

* भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 सितंबर, 2015 के परिपत्र क्र. डीबीएस. एआरएस.बीसी 4/08.91.020/2015-16 के अनुसार कार्यपालक निदेशक श्री आर.आत्माराम आमंत्रित सदस्य के रूप में एसीबी बैठक में सहभाग लेते हैं।

श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं।

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री संजीव जैन अध्यक्ष
- श्री आर. के. गुप्ता सदस्य
- श्री अतीश सिंह सदस्य
- श्री जी. श्रीकुमार सदस्य
- डॉ. अर्चना रविन्द्रराय ढोलकिया सदस्य

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पांच निदेशक सदस्य हैं। समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विभागों को शामिल करते हुए, नीति और रणनीति तैयार करती है।

- ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.
- ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.
- ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).
- ACB to take care of other issues entrusted to it under Clause 49 of the Listing Agreement and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 13 times and the dates of the meetings are as under:

14.05.2015	01.06.2015	29.06.2015	12.08.2015	01.09.2015	06.10.2015
15.10.2015	04.11.2015	07.12.2015	19.12.2015	09.02.2016	16.03.2016
30.03.2016					

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sanjeev Jain	01.04.2015 to 31.03.2016	13	13
Shri R. Athmaram*	01.04.2015 to 31.03.2016	13	13
Shri R.K. Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	13	10
Shri Ateesh Singh	01.04.2015 to 31.03.2016	13	08
Shri G. Sreekumar	01.04.2015 to 31.03.2016	13	11
Dr. Archana R. Dholakia	10.02.2016 to 31.03.2016	02	02

* As per RBI Circular No. DBS.ARS.BC 4/08.91.020/2015-16 dated September 24, 2015, Shri R. Athmaram, Executive Director attends the ACB Meeting as Invitee member.

Shri. Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, also acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- Shri Sanjeev Jain Chairman
- Shri R.K.Gupta Member
- Shri Ateesh Singh Member
- Shri G. Sreekumar Member
- Dr.Archana R Dholakia Member

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with Five Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.



वर्ष के दौरान जोरिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 05 बैठकें हुईं.

29.06.2015	14.09.2015	15.10.2015	19.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोट	01.04.2015 से 31.03.2016	05	05
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	05	05
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	05	03
श्री संजीव जैन	01.04.2015 से 24.03.2016	05	05
श्री पी.ए. सेठी	01.04.2015 से 11.08.2015	01	01
श्री आर. थामोदरान	12.08.2015 से 31.03.2016	04	04

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री सुशील मुहनोट अध्यक्ष
- श्री आर. आत्माराम सदस्य
- श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
- श्री संजीव जैन सदस्य
- श्री आर. थामोदरान सदस्य

4.4 हितधारकों की संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण की देखरेख के लिए 'हितधारकों की संबंध समिति' का गठन किया गया.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं.

30.06.2015	14.09.2015	18.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री संजीव जैन	01.04.2015 से 11.08.2015	01	01
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री आर.एल. सायदीवाल	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री पी.ए. सेठी	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री आर. थामोदरान	12.08.2015 से 31.03.2016	03	03

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री आर. थामोदरान अध्यक्ष
- श्री आर. आत्माराम सदस्य
- श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
- श्री आर.एल. सायदीवाल सदस्य
- श्री पी.ए. सेठी सदस्य

The Committee met 05 times during the year as under.

29.06.2015	14.09.2015	15.10.2015	19.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	05	05
Shri R. Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	05	05
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	05	03
Shri Sanjeev Jain	01.04.2015 to 24.03.2016	05	05
Shri P.A.Sethi	01.04.2015 to 11.08.2015	01	01
Shri R. Thamodharan	12.08.2015 to 31.03.2016	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- Shri Sushil Muhnot Chairman
- Shri R.Athmaram Member
- Shri R.K.Gupta Member
- Shri Sanjeev Jain Member
- Shri R. Thamodharan Member

4.4. Stakeholders Relationship Committee

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board to oversee the grievances redressal of Shareholders/ Investors of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under.

30.06.2015	14.09.2015	18.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sanjeev Jain	01.04.2015 to 11.08.2015	01	01
Shri R.Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri R.L. Saydiwal	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri P.A.Sethi	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri R. Thamodharan	12.08.2015 to 31.03.2016	03	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- Shri. R. Thamodharan Chairman
- Shri R. Athmaram Member
- Shri R.K. Gupta Member
- Shri R.L. Saydiwal Member
- Shri P.A. Sethi Member

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

01.04.2015 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	319
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	319
31.03.2016 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

शेयरों को भौतिक रूप से डी-मैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था।

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

4.5 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा 'हितधारकों की संबंध समिति' के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति' का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। शेयरों के अंतरण को लागू करने के लिए समिति की बैठक 15 दिन में कम से कम एक बार होती है।

समिति के गठन के पश्चात निम्नलिखित तारीखों को बैठकों का आयोजन किया गया।

06.04.2015	10.04.2015	21.04.2015	06.05.2015	14.05.2015	23.05.2015
01.06.2015	16.06.2015	29.06.2015	14.07.2015	20.07.2015	31.07.2015
13.08.2015	21.08.2015	01.09.2015	15.09.2015	22.09.2015	30.09.2015
12.10.2015	20.10.2015	04.11.2015	10.11.2015	20.11.2015	30.11.2015
14.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	13.01.2016	21.01.2016	03.02.2016
15.02.2016	23.02.2016	08.03.2016	14.03.2016	28.03.2016	31.03.2016

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2015 से 31.03.2016	36	35
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	36	34
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	36	30

4.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य रु.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

15.06.2015	14.09.2015	19.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	04	02
श्री अतीश सिंह	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री संजीव जैन	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03

The position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2015	0
Number of complaints received during the year	319
Number of complaints resolved during the year	319
Number of complaints pending as on 31.03.2016	0

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to Demat form.

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.5 Share Transfer Committee

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares.

The Committee met on following dates after its formation.

06.04.2015	10.04.2015	21.04.2015	06.05.2015	14.05.2015	23.05.2015
01.06.2015	16.06.2015	29.06.2015	14.07.2015	20.07.2015	31.07.2015
13.08.2015	21.08.2015	01.09.2015	15.09.2015	22.09.2015	30.09.2015
12.10.2015	20.10.2015	04.11.2015	10.11.2015	20.11.2015	30.11.2015
14.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	13.01.2016	21.01.2016	03.02.2016
15.02.2016	23.02.2016	08.03.2016	14.03.2016	28.03.2016	31.03.2016

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri S.Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	36	35
Shri R.Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	36	34
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	36	30

4.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above.

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2015	14.09.2015	19.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R.Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	04	02
Shri Ateesh Singh	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri Sanjeev Jain	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर.के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री अतीश सिंह	सदस्य
v.	श्री संजीव जैन	सदस्य

4.7 निदेशक पदोन्नति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

15.06.2015	14.09.2015	19.12.2015	03.03.2016
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर.आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	04	02
श्री अतीश सिंह	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. आत्माराम	सदस्य
iii.	श्री आर.के. गुप्ता	सदस्य
iv.	श्री अतीश सिंह	सदस्य
v.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य

4.8 ग्राहक सेवा समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं।

29.06.2015	14.09.2015	18.12.2015	09.02.2016
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री आर.एल. सायदीवाल	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04

The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under:

i.	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii.	Shri R.Athmaram	Member
iii.	Shri R.K.Gupta	Member
iv.	Shri Ateesh Singh	Member
v.	Shri Sanjeev Jain	Member

4.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The Committee met 04 times during the year as under:

15.06.2015	14.09.2015	19.12.2015	03.03.2016
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	04	02
Shri Ateesh Singh	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri G. Sreekumar	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04

The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under.

i.	Shri Sushil Muhnot	Chairman
ii.	Shri R. Athmaram	Member
iii.	Shri R.K. Gupta	Member
iv.	Shri Ateesh Singh	Member
v.	Shri G. Sreekumar	Member

4.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under:

29.06.2015	14.09.2015	18.12.2015	09.02.2016
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri R.Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri R.L.Saydiwal	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | | |
|------|----------------------|---------|
| i. | श्री सुशील मुहनोट | अध्यक्ष |
| ii. | श्री आर. आत्माराम | सदस्य |
| iii. | श्री आर.के. गुप्ता | सदस्य |
| iv. | श्री आर.एल. सायदीवाल | सदस्य |

4.9 पारिश्रमिक समिति

समिति का गठन पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने तथा उन्हें देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को अनुमोदित करने के लिए किया गया था. समिति में चार सदस्य हैं यथा श्री अतीश सिंह, श्री जी. श्रीकुमार, श्री संजीव जैन तथा श्री पी.ए. सेठी. समिति की बैठक दिनांक 12.08.2015 को हुई तथा इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे. समिति ने वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि पर निर्णय लेने हेतु दिए गए मानदंडों पर बैंक के मात्रात्मक व गुणात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया.

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | | |
|------|--------------------|---------|
| i. | श्री अतीश सिंह | अध्यक्ष |
| ii. | श्री जी. श्रीकुमार | सदस्य |
| iii. | श्री संजीव जैन | सदस्य |
| iv. | श्री पी.ए. सेठी | सदस्य |

4.10 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में चार गैर-कार्यपालक निदेशक हैं श्री अतीश सिंह, श्री जी. श्रीकुमार, श्री संजीव जैन और श्री पी. ए. सेठी, दिनांक 29.06.2015 को आयोजित एक शेयरधारक के निर्वाचन हेतु नामित सदस्यों को उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान करने के लिए दिनांक 15.06.2015 को समिति की बैठक संपन्न हुई. श्री संजीव जैन के अलावा सभी सदस्य बैठक में उपस्थित थे.

4.11 प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

29.06.2015	12.08.2015	07.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री संजीव जैन	01.04.2015 से 31.03.2016	04	04
श्री पी.ए. सेठी	01.04.2015 से 31.03.2016	04	03
श्री आर. थामोदरण	12.08.2015 से 31.03.2016	02	02

31 मार्च 2016 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- | | | |
|-----|-------------------|---------|
| i. | श्री संजीव जैन | अध्यक्ष |
| ii. | श्री आर. आत्माराम | सदस्य |

The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under:

- | | | |
|------|--------------------|----------|
| i. | Shri Sushil Muhnot | Chairman |
| ii. | Shri R Athmaram | Member |
| iii. | Shri R K Gupta | Member |
| iv. | Shri R L Saydiwal | Member |

4.9 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for determining the performance-linked incentive payable to them. The Committee comprised of four members, namely Shri Ateesh Singh, Shri. G. Sreekumar, Shri. Sanjeev Jain and Shri P.A. Sethi. The Committee met on 12.08.2015 and all the members attended the meeting. The Committee evaluated the qualitative and quantitative performance of the Bank on the given parameters, to decide on the performance linked incentive, admissible to the Whole Time Directors of the Bank for the year 2014-15.

The composition of the Committee as on 31st March 2016 is as under:

- | | | |
|------|-------------------|----------|
| i. | Shri Ateesh Singh | Chairman |
| ii. | Shri.G. Sreekumar | Member |
| iii. | Shri Sanjeev Jain | Member |
| iv. | Shri.P.A. Sethi | Member |

4.10 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected Shareholder Directors. The Committee comprised of four non-executive directors, i.e. Shri Ateesh Singh, Shri G Sreekumar, Shri Sanjeev Jain and Shri. P.A. Sethi, the meeting of the Committee was held on 15.06.2015, to accord fit and proper status to the candidates nominated for the election of one shareholder director, scheduled on 29.06.2015. All the members except Shri Sanjeev Jain attended the meeting.

4.11 Technology Committee

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The Committee met 04 times during the year as under:

29.06.2015	12.08.2015	07.12.2015	16.03.2016
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri Sanjeev Jain	01.04.2015 to 31.03.2016	04	04
Shri P.A.Sethi	01.04.2015 to 31.03.2016	04	03
Shri R.Thamodharan	12.08.2015 to 31.03.2016	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2016 is as under:

- | | | |
|-----|--------------------|----------|
| i. | Shri. Sanjeev Jain | Chairman |
| ii. | Shri. R.Athmaram | Member |



- iii. श्री आर.के. गुप्ता सदस्य
- iv. श्री पी. ए. सेठी सदस्य
- v. श्री आर. थामोदरन सदस्य

4.12 ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया. समिति को व्यक्तिगत ₹ 250.00 करोड़ तक के, समूह विगोपन हेतु ₹ 500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं. प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- ii. कार्यपालक निदेशकगण
- iii. महाप्रबंधक, ऋण
- iv. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- v. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- vi. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
- vii. महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं

वर्ष के दौरान समिति की 34 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	06.04.2015	10	04.08.2015	19	20.10.2015	28	04.02.2016
02	21.04.2015	11	13.08.2015	20	05.11.2015	29	15.02.2016
03	06.05.2015	12	28.08.2015	21	10.11.2015	30	20.02.2016
04	18.05.2015	13	03.09.2015	22	20.11.2015	31	03.03.2016
05	27.05.2015	14	08.09.2015	23	02.12.2015	32	19.03.2016
06	04.06.2015	15	19.09.2015	24	09.12.2015	33	29.03.2016
07	19.06.2015	16	23.09.2015	25	21.12.2015	34	31.03.2016
08	30.06.2015	17	30.09.2015	26	31.12.2015		
09	14.07.2015	18	08.10.2015	27	16.01.2016		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री सुशील मुहनोत	01.04.2015 से 31.03.2016	34	34
श्री आर. आत्माराम	01.04.2015 से 31.03.2016	34	33
श्री आर.के. गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016	34	28

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

- i. महाप्रबंधक, ऋण
- ii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- iii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
- v. महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

4.13 वर्ष के दौरान वसूली निगरानी समिति (04), कोटिअवनयन व दबावग्रस्त खातों की निगरानी समिति (09), इरादतन चूक पहचान की समीक्षा हेतु निदेशक मंडल समिति (02), मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति (01) और अपीलीय/ समीक्षा प्राधिकरण के रूप में निदेशक मंडल समिति (01) की बैठकें भी आयोजित हुईं. ऐसी कंपनियां जहां बैंक की इक्विटी है, उनमें निदेशक के निर्वाचन में उम्मीदवारों को सहयोग करनेवाली समिति की बैठक इस वर्ष नहीं हुई.

(कोष्टक के आंकड़े वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या दर्शाते हैं)

- iii. Shri.R.K.Gupta Member
- iv. Shri.P.A.Sethi Member
- v. Shri.R.Thamodharan Member

4.12 Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs. 250.00 crore individual, Rs. 500.00 crore for group exposure and loan compromise/write off proposals. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- i. Chairman & Managing Director
- ii. Executive Director/s
- iii. General Manager, Credit
- iv. General Manager, Integrated Risk Management
- v. General Manager, Financial Management & Accounts
- vi. General Manager, Credit Priority
- vii. General Manager, Recovery and Legal Services.

The Committee met 34 times during the year on the dates given below.

Sr. No.	Date	Sr. No.	Date	Sr. No.	Date	Sr. No.	Date
01	06.04.2015	10	04.08.2015	19	20.10.2015	28	04.02.2016
02	21.04.2015	11	13.08.2015	20	05.11.2015	29	15.02.2016
03	06.05.2015	12	28.08.2015	21	10.11.2015	30	20.02.2016
04	18.05.2015	13	03.09.2015	22	20.11.2015	31	03.03.2016
05	27.05.2015	14	08.09.2015	23	02.12.2015	32	19.03.2016
06	04.06.2015	15	19.09.2015	24	09.12.2015	33	29.03.2016
07	19.06.2015	16	23.09.2015	25	21.12.2015	34	31.03.2016
08	30.06.2015	17	30.09.2015	26	31.12.2015		
09	14.07.2015	18	08.10.2015	27	16.01.2016		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Sushil Muhnot	01.04.2015 to 31.03.2016	34	34
Shri R. Athmaram	01.04.2015 to 31.03.2016	34	33
Shri R.K. Gupta	01.04.2015 to 31.03.2016	34	28

The meetings were also attended by the following executives.

- i. General Manager, Credit
- ii. General Manager, Integrated Risk Management
- iii. General Manager, Financial Management & Accounts
- iv. General Manager, Credit Priority – As per requirement
- v. General Manager, Recovery- As per requirement

4.13 The meetings of Committee for Monitoring Recovery (04), Committee for Monitoring Slippages and Stressed Accounts (09), Committee of the Board for review of identification of willful default (02), Steering Committee of the Board on HR (01) and Committee of Board as Appellate/Reviewing Authority (01) were also held during the year. The Committee for supporting candidates in election for Director in Companies where the Bank has Equity did not meet in this year.

(Figures in bracket denote number of meetings held during the year)

4.14 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री सुशील मुहनोट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	21,02,400.00
2	श्री आर. आत्माराम	कार्यपालक निदेशक	17,99,033.99
3	श्री आर.के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	17,99,033.99

ख) वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की राशि का भुगतान.

(वित्तीय वर्ष 2014-15 के कार्यनिष्पादन के लिए)

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (₹)
1	श्री सुशील मुहनोट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	6,00,000
2	श्री आर. आत्माराम	कार्यपालक निदेशक	4,00,000
3	श्री आर.के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	4,00,000

बैंक की कोई स्टॉक विकल्प नीति नहीं है।

वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है)।

अनु.क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
1	श्री आर.एल. सायदीवाल	3,40,000
2	श्री संजीव जैन	4,30,000
3	श्री पी. ए. सेठी	4,20,000
4	श्री आर. थामोदरान	3,20,000
5	श्रीमती अर्चना आर. डोलकिया	40,000
	कुल	15,50,000

इसके अलावा दिनांक 30.09.2015 को मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की बैठक में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे और श्रीमती गीतिका कपूर को प्रति व्यक्ति ₹10,000/- बैठक शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

4.14 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director and two Executive Directors (3 whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to Chairman & Managing Director and Executive Directors are as under:

Sr No	Name	Designation	Amount (₹)
1	Shri Sushil Muhnot	Chairman & Managing Director	21,02,400.00
2	Shri R. Athmaram	Executive Director	17,99,033.99
3	Shri R.K. Gupta	Executive Director	17,99,033.99

B) Performance linked Incentive paid during the Financial Year 2015-16:

(For the performance of FY 2014-15)

Sr No	Name	Designation	Amount (₹)
1	Shri Sushil Muhnot	Chairman & Managing Director	6,00,000
2	Shri R. Athmaram	Executive Director	4,00,000
3	Shri R.K. Gupta	Executive Director	4,00,000

The Bank does not have any stock options policy.

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2015-16 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr No	Name of the Director	Amount Paid (₹)
1	Shri.R.L. Saydiwal	3,40,000
2	Shri. Sanjeev Jain	4,30,000
3	Shri P. A. Sethi	4,20,000
4	Shri R. Thamodharan	3,20,000
5	Dr. Archana R. Dholakia	40,000
	Total	15,50,000

Besides this sitting fees of Rs.10,000/- each is paid to External experts i.e. Mrs. S.A. Panse & Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR on 30.09.2015.



6. सर्वसाधारण बैठकें :

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

प्रकार Nature	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose
10वीं वार्षिक साधारण आम सभा Tenth Annual General Meeting	14 जून 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 14 th June 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005	वर्ष 2012-2013 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2012-13.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	09 दिसंबर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 09 th December 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन. Approval for issue of equity shares on preferential basis to Government of India by Special Resolution.
11वीं वार्षिक साधारण आम सभा Eleventh Annual General Meeting	26 जून 2014 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 26 th June 2014	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) वर्ष 2013-14 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों अपनाना, वर्ष 2013-14 के लिए अंतरिम लाभांश की पुष्टि. ii) Adoption of audited Annual accounts for the year 2013-14, confirmation of Interim Dividend for the year 2013-14. ii) भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन, भारत सरकार द्वारा धारित पीएनसीपीएस के परिवर्तन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेयर का अधिमान आबंटन और विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन. ii) Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by conversion of PNCPs held by Govt of India, preferential issue of equity shares to LIC of India by Special Resolution iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन. iii) Election of one shareholder director.
12वीं वार्षिक साधारण आम सभा Twelfth Annual General Meeting	29 जून 2015 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 29 th June 2015	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) वर्ष 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना तथा वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की घोषणा करना. ii) Adoption of audited Annual accounts for the year 2014-15 and declaration of dividend for the year 2014-15. ii) एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि से पूंजी उभारना. ii) To raise capital through FPO/ Rights/ QIP etc., iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन. iii) Election of one Shareholder director.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	06 अक्टूबर, 2015 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 06 th October, 2015	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval for issue of equity share capital on preferential basis to Government of India by Special Resolution.

6.2 दिनांक 29.06.2015 को संपन्न 12 वीं वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए.

क. ₹800/- करोड़ एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि से पूंजी उभारना.

6.3 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान डाक मतपत्र के द्वारा कोई विशेष संकल्प जारी नहीं करना.

6.4 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण आम सभा में भाग लेने के लिए भेजा.

6.2 In the Twelfth Annual General Meeting held on 29.06.2015, following Special Resolution was passed:

a. To raise capital through FPO/ Rights/ QIP etc., upto ₹ 800/- Crore.

6.3 No special Resolution was passed through Postal Ballot during the financial year 2015-16.

6.4 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the General Meetings of the Bank.

7. प्रकटीकरण

7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष टकराव हुआ हो. संबंधित पार्टी लेनदेन तथा सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण पर बैंक द्वारा नीति अपनायी गयी है तथा यह बैंक की वेबसाइट: www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है.

7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया. विनियामक प्राधिकारियों नामतः सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और अन्य विधिक प्राधिकारी द्वारा किसी कानून, दिशानिदेश और निदेशों या पूंजी बाजार से संबंधित मामलों का अनुपालन न करने पर, बैंक पर पीछले तीन वर्षों के दौरान महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) द्वारा उनके संप्रेषण दिनांक 06/05 अक्टूबर, 2015 के अनुसार ₹ 1,42,000/- की धनराशि के अलावा कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया. तथापि केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 28.01.2016 से महिला निदेशक की नियुक्ति की गयी थी.

7.3 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है.

7.4 लिस्टिंग समझौते के खंड 49 और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन.

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक लिस्टिंग समझौते के खंड 49 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए.

क) निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया-

i. लिस्टिंग समझौते के खंड 49 (v) और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक - मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महाप्रबंधक-वित्तीय प्रबंधन व लेखा - मुख्य वित्तीय अधिकारी ने निदेशक मंडल को प्रमाणित किया है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ी नहीं गई है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई भ्रामक विवरण नहीं दिया गया है. सभी विवरण मिलकर बैंक के कार्यकलापों का सही और वास्तविक ब्योरा प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानून और विनियमविलियों का अनुपालन सिद्ध करते हैं. प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं.

ii. व्हिस्लर ब्लोअर पॉलिसी को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का भाग बनाया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है.

iii. कार्यपालक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के भुगतान के अनुमोदन के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया. अंतिम बैठक दिनांक 12.08.2015 को संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे.

iv. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण:

अनु. क्र.	निदेशक का नाम	प्रशिक्षण /स्थान/ कार्यक्रम की जानकारी	अवधि	व्यतित किए गए घंटे
1	श्री पी. ए. सेठी	आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन पर सम्मेलन	27 व 28 जुलाई, 2015	14

7. Disclosures:

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has adopted the policy on Related Party Transactions and Determination of Material subsidiaries and same are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.in.

7.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the BSE Ltd and National Stock Exchange of India Ltd., vide their communication dated 06th/05th October, 2015 to the tune of Rs.1,42,000/- for non-appointment of Woman Director. However, Woman Director was appointed by the Central Government w.e.f 28.01.2016.

7.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

7.4 Compliance with Clause 49 of the Listing Agreement and provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Bank has complied with all the mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement and provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

a) Following mandatory requirement are complied with:

i. CEO/CFO Certification as per clause 49 (V) of the listing agreement and provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Chairman & Managing Director- Chief Executive Officer & General Manager-FM&A – Chief Financial Officer of the Bank have certified to the Board that the financial statements do not contain an materially untrue statement or omit any material fact or contains statement that might be misleading and that the statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable Laws and Regulations. The certificate forms part of the Annual Report.

ii Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board.

iii Remuneration Committee is formed for approving the payment of performance linked incentive to the Executive Directors. Last meeting was held on 12.08.2015 and all the members were present.

iv Training of Board members:

Sr No	Name of Director	Particulars of Program/ Training/ Venue	Period	No. of Hours spent
1	Shri P. A. Sethi	Seminar on IT Governance organized by IDRBT, Hyderabad.	27 th & 28 th July, 2015	14



अनु. क्र.	निदेशक का नाम	प्रशिक्षण / स्थान/ कार्यक्रम की जानकारी	अवधि	व्यतिरिक्त किए गए घंटे
2	श्री रामदेव एल. सायदीवाल	एससीओपीई द्वारा दिल्ली में गैर-कार्यालयीन निदेशक के लिए कार्यक्रम	18 व 19 फरवरी, 2016	14
3	श्रीमती अर्चना आर. ढोलकिया	सीएफआरएल द्वारा दिल्ली में गैर-कार्यालयीन निदेशक के लिए कार्यक्रम	17 व 19 मार्च, 2016	21

लिस्टिंग समझौते के खंड 49 (v) या सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं।

ख निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुसरण किया गया-

अनु. क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं	अनुपालन की स्थिति
क.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय के रखरखाव का पात्र हो सकता है और उसे उसके दायित्वों के निष्पादन हेतु उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जा सकती है।	बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसमें कि सभी निदेशक अधिनियम के 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चयनित निदेशकों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक होते हैं।
ख.	शेयरधारक अधिकार प्रत्येक शेयरधारक को पीछले छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए।	अर्धवर्ष के दौरान निर्वाचित निदेशक श्री आर थामोदरन के संबंध में जानकारी के साथ 30.09.2015 को समाप्त अर्धवर्ष हेतु बैंक के निष्पादन की घोषणा पर जानकारी व्यक्तिगत शेयरधारकों को दिनांक 05.11.2015 के पत्र क्रमांक एएक्स1/आईएस/2015-16 द्वारा प्रेषित की गयी।
ग.	लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित दृष्टिकोण सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अंतरित कर सकते हैं।	बैंक की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैं।

Sr No	Name of Director	Particulars of Program/ Training/ Venue	Period	No. of Hours spent
2	Shri Ramdev L. Saydiwal	Programme for Independent Directors by SCOPE at Delhi.	18 th & 19 th February, 2016	14
3	Smt. Archana R. Dholakia	Programme for Non official Director by CAFRAL at Delhi.	17th & 19th March, 2016	21

The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance of clause 49 of the Listing Agreement or provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable forms part of the Annual Report.

b) Following non-mandatory requirements are complied with:

Sr. No.	Non-Mandatory Requirements	Status of compliance
A.	The Board A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3)(i) of the Act.
B.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Information on the declaration of performance of the Bank for half year ended 30.09.2015, along with the information regarding Shri R. Thamodharan, the Director elected during the half year was communicated to the individual Shareholders vide letter no. AX1/IS/2015-16 dated 05.11.2015.
C.	Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors Report of the Bank.

घ.	अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशिष्ट पद सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है.	बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसमें कि सभी निदेशक अधिनियम के 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चयनित निदेशकों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक होते हैं.
ड.	आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समीति को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं.	आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य/ इसकी संदर्भाधीन शर्तें तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समीति का गठन व इसकी संदर्भाधीन शर्तें विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों / परिपत्रों के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, जिनका बैंक अनुपालन करता है.

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है. उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए. परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ-साथ ही उपलब्ध किया जाता है और शेयर बाजार को प्रस्तुत किया जाता है. बैंक के वित्तीय परिणामों और भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए बैंक विश्लेषक/ संस्थागत निवेशक सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति/कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है.

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया.

को समाप्त अवधि	दैनिक का नाम			प्रकाशन का दिनांक
	मराठी	अंग्रेजी	हिन्दी	
जून 2015	सकाळ	बिजनेस स्टैंडर्ड	नवभारत	14.08.2015
सितंबर 2015	लोकसत्ता	बिजनेस लाइन	नवभारत	05.11.2015
दिसंबर 2015	लोकसत्ता	बिजनेस स्टैंडर्ड	नवभारत	11.02.2016
मार्च 2016	लोकसत्ता	बिजनेस स्टैंडर्ड	नवभारत	13.05.2016

9. सामान्य शेयरधारकों का यौरा:

9.1 तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

लेखा पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 12 मई 2016
तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	बुधवार दिनांक 29 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे, अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 में.
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	04 जून 2016
बहियों के बंद होने का दिनांक	23 जून 2016 से 29 जून 2016

D.	Separate posts of chairperson and chief executive officer The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3) (i) of the Act.
E.	Reporting of internal auditor The internal auditor may report directly to the audit committee.	The Internal Audit function / its terms of reference and composition of the Audit Committee of the Board & its terms of reference are governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India from time to time, which the Bank comply.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily as below. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Analysts/Institutional Investor meets, press conference/releases etc., for announcing bank's financial results and its future plans.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers

Period Ended	Name of the daily			Date of publication
	Marathi	English	Hindi	
June 2015	Sakal	Business Standard	Navbharat	14.08.2015
September 2015	Loksatta	Business Line	Navbharat	05.11.2015
December 2015	Loksatta	Business Standard	Navbharat	11.02.2016
March 2016	Loksatta	Business Standard	Navbharat	13.05.2016

9. General Shareholder Information:

9.1 Particulars of the Thirteenth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts	12 th May 2016
Date, Time and Venue of Thirteenth AGM.	At 10.00 am on Wednesday, the 29 th June 2016 at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005
Posting of Annual Report	4 th June 2016
Dates of Book Closure	23 rd June 2016 to 29 th June 2016



9.2 वित्तीय कैलेंडर 2016-17 (अनंतिम)

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2016	14 अगस्त 2016 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2016	14 नवंबर 2016 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2016	14 फरवरी 2017 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2017 (वार्षिक)	18 मई 2017 को या इससे पूर्व

9.3 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के बारे में:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

बीएसई लिमिटेड पता: फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पता: एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400051
--	---

9.4 स्टॉक कोड :

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) : 532525

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) :
MAHABANK - EQ

आंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान क्रमांक (आईएसआईएन) : INE457A01014

स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

9.5 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:-

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

महीना Month	बीएसई BSE			एनएसई NSE			सेंसेक्स SENSEX	
	उच्च High	न्यून Low	मात्रा Volume	उच्च High	न्यून Low	मात्रा Volume	उच्च High	न्यून Low
अप्रैल April, 2015	40.80	36.45	595959	40.65	36.55	2158338	29095	26897
मई May, 2015	44.15	35.00	1371922	44.05	35.50	6068597	28071	26424
जून June, 2015	39.65	35.00	603357	39.60	34.90	2674566	27969	26307
जुलाई July, 2015	42.00	36.05	1946097	41.95	36.10	9204851	28578	27529
अगस्त August, 2015	39.45	32.60	1201804	39.35	32.05	5333955	28417	25298
सितंबर September, 2015	35.90	33.40	594708	35.40	33.00	2632960	26472	24833
अक्टूबर October, 2015	35.30	33.45	346883	35.25	33.40	1486491	27618	26168
नवंबर November, 2015	33.90	31.70	361205	33.80	30.75	1413124	26824	25451
दिसंबर December, 2015	34.85	31.30	480707	34.80	31.05	2126378	26256	24867
जनवरी January, 2016	32.50	27.95	402576	32.45	28.00	1252079	26197	23839
फरवरी February, 2016	33.45	26.75	1072770	33.45	26.05	5874206	25002	22494
मार्च March, 2016	30.85	28.40	497142	30.85	28.50	2568923	25479	23133

9.2 Financial Calendar 2016-17 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30 th June 2016	On or Before 14 th August 2016
30 th September 2016	On or Before 14 th November 2016
31 st December 2016	On or Before 14 th February 2017
31 st March 2017 (Annual)	On or Before 18 th May 2017

9.3 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

BSE Limited Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	National Stock Exchange of India Limited Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra (E), Mumbai - 400051
--	--

9.4 Stock code:

BSE Limited (BSE): 532525

National Stock Exchange of India Limited (NSE):
MAHABANK - EQ

International Security Identification Number (ISIN):
INE457A01014

The annual listing fee for the financial year 2016-17 has been paid to the Stock Exchanges.

9.5 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

9.6 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.03.2015	31.03.2016
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	4.50	0.91
लाभांश (%)	8%	शून्य
बही मूल्य (₹)	65.61	63.61
लाभांश पे-आउट निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में (लाभांश कर को छोड़कर)	18.87	शून्य

9.7 ईश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का ब्यौरा

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र), कार्यालय क्र. 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी. डिमेलो रोड, (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400009

9.8 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, मुंबई, बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं। शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 002 तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी. डि'मेलो रोड, (घड़ियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400009 टेलीफोन: (022) - 40206022 / 23 / 24 फैक्स: (022) - 40206021 ई-मेल : helpdeskmm@mcsregistrars.com	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 25511360 फैक्स: (020) 25533246 ईमेल : investor_services@mahabank.co.in

बैंक द्वारा जारी बॉण्डों के ट्रस्टियों का विवरण निम्नानुसार है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलनी (राइट) कोथरुड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन क्र.	020-25280081
फैक्स क्र.	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

9.9 शेयरधारिता का वितरण

31.03.2016 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	161297	91.48	21649911	1.85
501-1000	8521	4.82	6976252	0.60
1001-2000	3719	2.11	5625311	0.48
2001-3000	989	0.56	2522976	0.22

9.6 Per Share Data:

Particulars	31.03.2015	31.03.2016
Face Value (₹.)	10/-	10/-
EPS (₹.)	4.50	0.91
Dividend (%)	8%	Nil
Book Value (₹.)	65.61	63.61
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	18.87	Nil

9.7 Details of Registrar to an issue and Share Transfer Agents:

MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai - 400 009.

9.8 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai - 400 009. Tel: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021 Email: helpdeskmm@mcsregistrars.com	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020) 25511360 Fax (020) 2553 3246 Email: investor_services@mahabank.co.in

The details of the Trustee for the bonds issued by the Bank are as under.

Name of the debenture trustee	GDA Trusteeship Limited
Address	GDA House, S. No 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune 411038, Maharashtra, India
Phone Number	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

9.9 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.03.2016 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	161297	91.48	21649911	1.85
501 -1000	8521	4.82	6976252	0.60
1001-2000	3719	2.11	5625311	0.48
2001-3000	989	0.56	2522976	0.22



3001-4000	489	0.28	1763373	0.15
4001-5000	370	0.21	1745758	0.15
5001-10000	508	0.29	3754638	0.32
10000* से अधिक	443	0.25	1124295489	96.23
कुल	176336	100.00	1168333708	100.00
(* भारत सरकार द्वारा धारित 95,35,24,561 शेयरों का समावेश है)				

9.10 शेयरों का डी-मैटीकरण

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आर्बिट्रि आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दी गई है।

31.03.2016 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	48027	27.24	6986927	0.61
डीमैट:				
1. एनएसडीएल	90678	51.42	192371280	16.46
2. सीडीएसएल	37631	21.34	968975501	82.93
उप जोड़	128309	72.76	1161346781	99.39
कुल	176336	100.00	1168333708	100.00

(भारत सरकार द्वारा धारित 95,35,24,561 शेयरों सहित)

9.11 आउटस्टैंडिंग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन दिनांक और इक्विटी पर संभावित प्रभाव : लागू नहीं

9.12 पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां: प्रकटन लेखा पर नोट - अनुसूची क्र. 18 में उपलब्ध है।

9.13 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म वार्षिक साधारण बैठक की नोटिस के साथ संलग्न है। जिसे शेयरधारकों द्वारा भरकर भौतिक रूप में शेयरों का धारण करने वाले रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाए। डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से उनके बैंक खाते ब्यौरे अद्यतित करने के लिए संपर्क करें।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को अपने सीबीएस खातों का विवरण लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु सूचित करें।

9.14 अदत्त लाभांश

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10, 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्विधायन तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

3001-4000	489	0.28	1763373	0.15
4001-5000	370	0.21	1745758	0.15
5001-10000	508	0.29	3754638	0.32
Above 10000*	443	0.25	1124295489	96.23
Total	176336	100.00	1168333708	100.00
[* Includes 95,35,24,561 shares held by the Government of India]				

9.10 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2015-16 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31.03.2016 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shares	Percentage Physical	Number of shares	Percentage Physical
Physical	48027	27.24	6986927	0.61
Demat:				
1.NSDL	90678	51.42	192371280	16.46
2.CDSL*	37631	21.34	968975501	82.93
Sub-total	128309	72.76	1161346781	99.39
Total	176336	100.00	1168333708	100.00

(* Including 95,35,24,561 shares held by the Government of India)

9.11 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

9.12 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes on Accounts.

9.13 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend

9.14 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance for the payment thereof.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के खंड 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान या बिना दावे के खाते में पड़ी है, को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अधीन गठित “निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि” (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा और इसके पश्चात बैंक या आईईपीएफ में लाभांश के भुगतान हेतु कोई भी दावा लंबित नहीं होना चाहिए।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 से अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को “निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि” में अंतरित किया गया तथा इसका ब्यौरा बैंक के वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2008-09 हेतु दावा न किया गया/ अदत्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से 90 दिनों के भीतर उक्त निधि को अंतरित किया जाएगा।

9.15 शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2016 तथा 31.03.2015 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयर धारक की श्रेणी	31.03.2016 को		31.3.2015 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	95,35,24,561	81.61	84,83,73,774	79.80
म्युच्युअल फंड/यूटीआई	25,184	0.00	47,812	0.01
बैंक/वित्तीय संस्थान	4,48,885	0.04	4,18,506	0.04
बीमा कंपनियां	15,26,90,471	13.07	15,08,41,774	14.19
विदेशी संस्थागत निवेशक	33,99,179	0.29	48,40,254	0.45
घरेलू कंपनियां	35,75,765	0.31	48,66,915	0.45
न्यास (ट्रस्ट)	1,12,025	0.01	1,12,000	0.01
भारतीय निवासी व्यक्ति	5,25,65,888	4.50	5,17,91,277	4.87
अनिवासी भारतीय	19,91,650	0.17	18,90,509	0.18
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	1,16,83,33,708	100.00	106,31,82,921	100.00

9.16 भारत सरकार को अधिमान आबंटन आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन

बैंक के शेयरधारकों की दिनांक 06 अक्टूबर 2015 को हुई असाधारण सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित करते हुए :

- ₹10/- प्रति नकद मूल्य के 10,51,50,787 इक्विटी शेयर ₹37.47 प्रति शेयर (प्रीमियम सहित) पर कुल ₹ 394/- करोड़ जारी किए गए और भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को आबंटित किए गए।

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/ unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to “Investor Education and Protection Fund” (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to IEPF.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 and 2007-08 have been transferred to “Investor Education and Protection Fund” the details are displayed on the Bank’s website. The dividend for the year 2008-09 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within 90 days of the date of the ensuing Annual General Meeting.

9.15 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank’s shares as on 31.03.2016 and 31.03.2015 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2016		As on 31.03.2015	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	95,35,24,561	81.61	84,83,73,774	79.80
Mutual Fund/UTI	25,184	0.00	47,812	0.01
Banks/Financial Institutions	4,48,885	0.04	4,18,506	0.04
Insurance Companies	15,26,90,471	13.07	15,08,41,774	14.19
Foreign Institutional Investors	33,99,179	0.29	48,40,254	0.45
Domestic Companies	35,75,765	0.31	48,66,915	0.45
Trusts	1,12,025	0.01	1,12,000	0.01
Resident Individuals	5,25,65,888	4.50	5,17,91,277	4.87
Non Resident Individuals	19,91,650	0.17	18,90,509	0.18
Overseas Bodies Corporate	100	0.00	100	0.00
Total	1,16,83,33,708	100.00	106,31,82,921	100.00

9.16 Allotment of equity shares to Government of India on preferential allotment basis

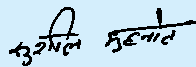
As approved by Special Resolution in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 06th October, 2015:

- 10,51,50,787 equity shares of Rs 10/- each for cash at a price of Rs 37.47 per share (including premium) aggregating to Rs. 394/- Crore were issued and allotted to President of India (Government of India).

9.17 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल

“हरित पहल” के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्रं.17/95 /2011 सीएल-वी/परि.क्रं.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है. इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की हमें जानकारी दें / अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जा सकें. दिनांक 29 जून 2015 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 61063 शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र



(एस. मुहनोट)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे

दिनांक: 12 मई, 2016

9.17 Green Initiatives in communication to the shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of “Green Initiative”. Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/update their email ids to enable the Bank to send the notices/communications/documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank, held on 29th June 2015 were sent to 61063 shareholders by electronic mode.

For Bank of Maharashtra



(S. Muhnot)

Place : Pune

Date : 12th May, 2016

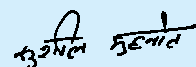
Chairman and Managing Director

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 तथा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की गई है. आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है.

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र



(एस. मुहनोट)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे

दिनांक: 12 मई, 2016

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2016.

For Bank of Maharashtra



(S. Muhnot)

Place : Pune

Date : 12th May, 2016

Chairman and Managing Director

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

[अधिनियम 17 (8)]

निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
पुणे

ऐसा प्रमाणित किया जाता है कि :

- क. हमने 31.03.2016 के समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा यह हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार है।
- i. इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
- ii. ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।
- ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।
- घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :
- i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। और
- iii. हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो की संलिप्तता के दृष्टांत।

आर. एच. फडणीस

महाप्रबंधक

(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा और
मुख्य वित्तीय अधिकारी)

एस. मुहनोट

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 12 मई, 2016

स्थान : पुणे

CEO/CFO CERTIFICATION

[Regulation 17(8)]

Board of Directors,
Bank of Maharashtra
Pune

This is to certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2016 and that to the best of our knowledge and belief:
- i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
- i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

R. H. Phadnis

General Manager
(FM& A & CFO)

Date: 12th May 2016

Place: Pune

S. Muhnot

Chairman & Managing Director



बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हमने यथा लागू सीमा तक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) या स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते के खंड 49 की शर्तों के अनुसार 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके कार्यान्वयन तथा कार्यविधि तक हमारी जांच सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है तथा न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंधन तंत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लिखित लिस्टिंग समझौते/विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों का बैंक ने अनुपालन किया है।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यकलापों की कार्यक्षमता या उसके प्रभावी होने का भावी आश्वासन है।

कृते पारख एंड कंपनी

एफआरएन 001475सी
सनदी लेखाकार

सीए थलेन्द्र शर्मा
भागीदार
सदस्यता क्र. 079236

कृते कोठारी एंड कंपनी

एफआरएन 301178ई
सनदी लेखाकार

सीए अमिताव कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र. 016639

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी

एफआरएन 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार

सीए जी.वी. धोंगडे
भागीदार
सदस्यता क्र. 37290

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी

एफआरएन 101678डब्ल्यू/डब्ल्यू100068
सनदी लेखाकार

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र. 212175

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.03.2016 as stipulated vide Clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges or SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement/Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Parakh & Co.

FRN 001475C
Chartered Accountants

CA Thalendra Sharma
Partner
Membership No. 079236

For Kothari & Co.

FRN 301178E
Chartered Accountants

CA Amitav Kothari
Partner
Membership No. 016639

For A. R. Sulakhe & Co.

FRN 110540W
Chartered Accountants

CA J. V. Dhongde
Partner
Membership No. 37290

For CMRS & Associates, LLP

FRN 101678W/W100068
Chartered Accountants

CA Maheshwar M. Marathe
Partner
Membership No. 212175

दिनांक: 12 मई, 2016

स्थान : पुणे

Date: 12th May 2016

Place: Pune

वित्तीय विवरण

Financial Statements



31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2015 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1168,33,37	1063,18,29
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7618,81,01	7004,15,17
जमा राशियां Deposits	3	138989,81,78	122118,94,25
उधारियां Borrowings	4	9228,10,29	11126,72,45
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	3952,25,99	4705,79,11
जोड़ TOTAL		160957,32,44	146018,79,27
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8382,28,66	6652,74,93
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	937,86,23	100,36,49
निवेश Investments	8	36230,87,24	32765,00,60
अग्रिम Advances	9	107562,67,06	98599,09,98
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1694,41,51	1432,17,30
अन्य आस्तियां Other Assets	11	6149,21,74	6469,39,97
जोड़ TOTAL		160957,32,44	146018,79,27
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	29971,43,72	31005,86,84
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		3756,43,76	3334,74,51
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 तुलनपत्र खातों का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
EXECUTIVE DIRECTOR

एस. मुहनोत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
निदेशक
Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA
DIRECTOR

आर. थामोदरान
निदेशक
R. THAMODHARAN
DIRECTOR

पी. ए. सेठी
निदेशक
P. A. SETHI
DIRECTOR

संजीव जैन
निदेशक
SANJEEV JAIN
DIRECTOR

आर. एल. सायदीवाल
निदेशक
R. L. SAYADIWAL
DIRECTOR

जी. श्रीकुमार
निदेशक
G. SREEKUMAR
DIRECTOR

अतीश सिंह
निदेशक
ATEESH SINGH
DIRECTOR

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
General Manager, FM&A

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 12 मई, 2016

Date : 12th May, 2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	13052,98,57	12665,44,35
अन्य आय Other Income	14	1019,28,97	1005,98,08
जोड़ TOTAL		14072,27,54	13671,42,43
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	9174,28,93	8790,40,47
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2552,80,93	2525,93,04
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		2244,49,19	1904,39,74
जोड़ TOTAL		13971,59,05	13220,73,25
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		100,68,52	450,69,18
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		136,50,52	30,14,20
जोड़े : राजस्व आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Revenue Reserve		12,95,89	—
जोड़ TOTAL		250,14,93	480,83,38
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		25,17,13	112,67,30
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		28,83,32	35,39,06
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		6,19,60	30,14,20
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		130,00,00	50,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		—	14,06,25
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		—	—
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		—	85,05,46
लाभांश पर कर Tax on Dividend		—	17,00,59
लाभांश वितरण कर (वि. व. 2014-15) Dividend Distribution Tax (FY 2014-15)		30,92	—
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		59,63,96	136,50,52
जोड़ TOTAL		250,14,93	480,83,38
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		0.91	4.50

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खाते का अभिन्न भाग हैं.

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A. R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन: 301178ई
सनदी लेखाकार
For Kothari & Co.
FRN: 301178E
Chartered Accountants

**कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स
एलएलपी**
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
For CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 079236
Membership No: 079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J. V. Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 37290
Membership No: 37290

सीए अमिताव कोठारी
CA Amitav Kothari
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 016639
Membership No: 016639

सीए महेश्वर एम. मराठे
CA Maheshwar M. Marathe
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 212175
Membership No: 212175

स्थान : पुणे
दिनांक : 12 मई, 2016

Place : Pune
Date : 12th May, 2016



अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
₹10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each	3000,00,00	3000,00,00
जारी व अभिलक्षित Issued & Subscribed		
₹10/- प्रत्येक के 116,83,33,708 (गत वर्ष 106,31,82,921) ईक्विटी शेयर 116,83,33,708 Equity Shares (Previous year 106,31,82,921) of ₹10/- each		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1063,18,29	839,09,58
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	105,15,08	224,08,71
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital		
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	953,52,46	848,37,38
₹10/- प्रत्येक के 95,35,24,561 (गत वर्ष 84,83,73,774) ईक्विटी शेयर 95,35,24,561 (Previous year 84,83,73,774) Equity shares of ₹10/- each		
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	214,80,91	214,80,91
₹10/- प्रत्येक के 21,48,09,147 (गत वर्ष 12,40,85,627) ईक्विटी शेयर 21,48,09,147 (Previous year 12,40,85,627) Equity Shares of ₹10/- each		
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	—	1063,18,29
जोड़ TOTAL	1168,33,37	1063,18,29

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1227,32,16	1114,64,87
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	25,17,13	112,67,30
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	188,06,03	152,66,96
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	28,83,32	35,39,06
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	—
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	2648,43,33	1884,52,04
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	288,84,92	763,91,29
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES		
क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1378,13,03	1347,98,82
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	6,19,60	30,14,20
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	54,21,28	—
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	368,00,00	318,00,00
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	130,00,00	50,00,00
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	—
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE		
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1016,13,78	1065,57,63

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	386,49,12	—
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	106,84,54	49,43,85
घ) निवेश आरक्षित खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		1016,13,78
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	41,56,34	27,50,09
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—	14,06,25
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	12,95,89	41,56,34
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	59,63,96	136,50,52
जोड़ TOTAL	7618,81,01	7004,15,17

अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
क A. I. मांग जमा राशियां DEMAND DEPOSITS		
i) बैंकों से From Banks	290,70,65	476,71,75
ii) अन्यो से From others	11838,01,61	10929,91,99
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS	38838,09,68	33890,16,73
III. मीमादी जमा राशियां TERM DEPOSITS		
i) बैंकों से From Banks	1827,38,53	1443,29,92
ii) अन्यो से From others	86195,61,31	75378,83,86
जोड़ TOTAL (I, II व III)	138989,81,78	122118,94,25
ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches in India	138989,81,78	122118,94,25
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमा राशियां Deposits of Branches outside India	—	—
जोड़ TOTAL	138989,81,78	122118,94,25

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	500,00,00	2490,00,00
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	—	300,00,00
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	3620,76,67	3225,69,36
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings		
क) नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1295,00,00	1295,00,00
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00	1250,00,00



	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
ग) गौण ऋण बॉण्ड c) Subordinated Debt Bonds	1555,00,00		1555,00,00	
घ) इंफ्रा बॉण्ड d) Infra Bonds	1000,00,00	9220,76,67	1000,00,00	11115,69,36
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		7,33,62		11,03,09
जोड़ TOTAL (I व II)		9228,10,29		11126,72,45
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		574,53,80		2490,00,00

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable	442,38,51		435,65,07	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	—		92,57,44	
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	187,62,88		482,77,90	
IV. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	707,60,39		691,78,36	
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित)* Other liabilities (including provisions)*	2614,64,21	3322,24,60	3003,00,34	3694,78,70
जोड़ TOTAL		3952,25,99		4705,79,11

*नोट : अन्य देयताओं में ₹ 20,36,238 की निवल आस्थगित कर देयताएं शामिल हैं (गत वर्ष निवल आस्थगित कर देयताएं ₹53,04,49)

* Note : Others liabilities include Net Deferred Tax Liability of ₹ 20,36,238 (Previous Year Net DTL ₹53,04,49)

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	818,97,64		815,29,60	
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खातों में In Current Accounts	6363,31,02		5837,45,33	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	1200,00,00	7563,31,02	—	5837,45,33
जोड़ TOTAL (I व II)		8382,28,66		6652,74,93

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग अथवा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	31,82,52		31,04,51	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	15,18,56	47,01,08	15,18,56	46,23,07
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	—		—	
(ख) अन्य संस्थानों के पास				
(b) With Other Institutions	—	—	—	—
जोड़ TOTAL (i व ii)		47,01,08		46,23,07
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	—			
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	890,85,15		54,13,42	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(c) Money at Call & Short Notice	—	890,85,15	—	54,13,42
जोड़ TOTAL		890,85,15		54,13,42
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II) (I & II)		937,86,23		100,36,49

अनुसूची - 8 : निवेश

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
क भारत में निवेश				
A.I Investments in India in				
(क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)				
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	32324,97,00		29364,08,43	
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
b) Other approved securities	—		—	
(ग) शेयर्स				
c) Shares	220,90,92		176,61,05	
(घ) डिबेंचर्स और बांड				
d) Debentures and Bonds	1590,73,70		1715,22,86	
(ङ) सहायक प्रतिष्ठान और / या संयुक्त उद्यम				
e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	73,42,11		73,42,11	
(च) अन्य				
f) Others				



	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
i) यू.टी.आई / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I / Mutual funds	134,61,41		98,63,01	
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	1555,34,99		1195,90,91	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	330,87,11		141,12,24	
iv) पीटीसी PTCs	—		—	
v) आरआईडीएफ व अन्य R I D F & Others	—	2020,83,51	—	1435,66,15
जोड़ TOTAL		36230,87,24		32765,00,60
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India				
जोड़ TOTAL				
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		36230,87,24		32765,00,60
ख B. क) भारत में सकल निवेश a) Gross Investments in India	36331,91,88		32819,23,13	
घटाएं : निवेश पर मूल्यहास Less: Depreciation on Investment	36,28,69		9,20,85	
घटाएं : निवेश पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	64,75,95	36230,87,24	45,01,68	32765,00,60
निवल निवेश Net Investment		36230,87,24		32765,00,60
ख) भारत के बाहर सकल निवेश b) Gross Investments outside India				
जोड़ TOTAL (क एवं ख) (a & b)		36230,87,24		32765,00,60

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
क A. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	805,68,24		1217,53,78	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	44143,60,42		35824,97,69	
iii) मीयादी ऋण Term Loans	62613,38,40	107562,67,06	61556,58,51	98599,09,98
जोड़ TOTAL		107562,67,06		98599,09,98
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	96726,33,19		88092,63,30	
ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	43,79,63		46,46,07	
iii) असंरक्षित Unsecured	10792,54,24	107562,67,06	10460,00,61	98599,09,98
जोड़ TOTAL		107562,67,06		98599,09,98
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India				
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	36898,46,58		37267,82,76	

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	7856,16,31		9884,93,40	
iii) बैंक Banks	13,68,24		4,22,00	
iv) अन्य Others	62794,35,93	107562,67,06	51442,11,82	98599,09,98
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India	—		—	
जोड़ TOTAL (ग। एवं ग II) (C.I & C.II)	107562,67,06		98599,09,98	

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I परिसर Premises *				
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1335,39,31		1325,58,73	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	—		9,80,58	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	1402,62,89			
	2738,02,20		1335,39,31	
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	1181,27,53			
	1556,74,67		1335,39,31	
5 अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	166,39,52	1390,35,15	221,00,51	1114,38,80
II. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1113,26,24		991,48,30	
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	138,04,84		144,98,08	
	1251,31,08		1136,46,38	
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	28,43,31		23,20,14	
	1222,87,77		1113,26,24	
4 अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	918,81,41	304,06,36	795,47,74	317,78,50
जोड़ TOTAL (I व II) (I & II)	1694,41,51		1432,17,30	

इसमें "कार्य प्रगति पर" पूंजी ₹ शून्य शामिल है (गत वर्ष ₹ शून्य) *Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)



अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	294,25,65	—
II उपचित ब्याज Interest accrued	932,49,38	909,69,95
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1148,33,48	990,25,02
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	4,12,38	4,54,22
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. अन्य * Others *	3770,00,85	4564,90,78
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V व VI) (I, II, III, IV, V & VI)	6149,21,74	6469,39,97

(*आरआईडीएफ सहित) (*including RIDF)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1503,99,83	1381,03,20
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	14089,80,03	17374,16,51
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	7667,16,23	6850,53,84
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	2065,22,86	1855,07,94
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	4153,75,39	3392,39,15
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable	491,49,38	152,66,20
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V व VI) (I, II, III, IV, V & VI)	29971,43,72	31005,86,84

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	9934,82,60	9820,77,70
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2787,65,80	2595,40,86
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	52,45,85	55,88,51
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	52,02,07	57,07,07
IV अन्य Others	330,93,95	248,07,23
जोड़ TOTAL (I, II, III व IV) (I, II, III & IV)	13052,98,57	12665,44,35

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	675,29,79	593,17,34
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	170,69,49	207,93,57
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	13,75,88	2,16,02
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	—	—
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	—	—
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	51,57	55,37
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	70,05	65,55
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	77,82,76	75,12,05
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	—	—
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों और / या सहायक कंपनियों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	3,31,14	2,97,30
VII. विविध आय Miscellaneous Income	106,10,15	129,04,02
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)	1019,28,97	1005,98,08

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	8421,89,03	8084,73,61
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	54,88,01	79,92,07
III. अन्य Others	697,51,89	625,74,79
जोड़ TOTAL (I, II व III) (I, II & III)	9174,28,93	8790,40,47

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1540,97,92	1633,21,46



II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	196,20,17	171,51,92
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	21,57,77	21,57,97
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	18,06,50	18,46,64
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास (मूल्यहास का निवल पुनर्मूल्यन आरक्षित को अंतरित) Depreciation on Bank's property (<i>Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve</i>)	149,19,72	115,28,48
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	69,28	63,47
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	18,13,86	18,80,31
VIII विधि प्रभार Law Charges	13,99,95	11,46,03
IX डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	36,13,23	36,05,11
X मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	76,35,75	72,87,85
XI बीमा Insurance	119,88,06	116,83,79
XII अन्य व्यय Other expenditure	361,58,72	309,20,01
जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII) (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	2552,80,93	2525,93,04

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं।
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

- 2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का लेखांकन लाभ व हानि खाते में किया गया है।
- 2.2 बकाया वायदा विदेशी विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं तथा तिमाही आधार पर और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिमंडा) - रयूटर द्वारा प्रकाशित लागू एमआईएफओआर दरों अर्थात पीवी01 आधार पर कटौती की गई और फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए प्रकाशित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यन/बाज़ार को अंकित की गई। पुनर्मूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है और इसके प्रभाव को लाभ की दशा में 'अन्य आस्तियां' और हानि की दशा में 'अन्य देयताओं' में प्रभावित किया गया है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है।
- 2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार घटकों के गैर-रक्षित विदेशी मुद्रा ऋण विगोपन यदि कोई है पर प्रावधान और पूंजी आवश्यकताएं लागू होती हैं।

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।
 - क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]- Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.
- 2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:
 - a. Held to Maturity (HTM)
 - b. Available for sale (AFS)
 - c. Held for trading (HFT)

- ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)
- 3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:
- क. सरकारी प्रतिभूतियां
- ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- ग. शेयर्स
- घ. डिबेंचर तथा बांड
- ङ. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम
- च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार व्यापार हेतु धारित श्रेणी (एचटीएफ) से विक्रय हेतु उपलब्ध (एफएस) श्रेणी में अंतरण करने के अलावा प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का बहीमूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में मिली अनुमति के अनुसार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में किया जाता है। अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कि तरलता की जटिल स्थिति के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों को बेचने में सक्षम नहीं होने के कारण या गंभीर उतार-चढ़ाव या बाजार के दिशाहीन हो जाने की स्थिति में ही निवेशों का अंतरण/ परिवर्तन व्यापार हेतु धारित श्रेणी (एचटीएफ) से विक्रय हेतु उपलब्ध (एफएस) श्रेणी में किया जाता है।

3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ सहायक उधारी / उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। बकाया रेपो/टर्म रेपो को उधारी के रूप में दर्शाया गया है और बकाया रिवर्स रेपो को ऋणदान के रूप में दर्शाया गया है। लागत और राजस्व का लेखांकन यथाप्रसंग ब्याज व्यय/आय के रूप में किया गया है।

3.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

- 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों का मूल्यन औसत लागत पर किया गया है। जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। निवेश की दशा में जब भी लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तो अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता।
- सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मामले में निवेश मूल्य में आई स्थायी कमी का अभिनिर्धारण पर उसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को 'पूँजी आरक्षित खाते' में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

3.2 All the securities are further classified in the following six baskets:

- Government Securities
- Other approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Funds etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored
- In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
- On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किया गया है। केंद्र/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन फिमडा द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और बॉन्डों का मूल्यन लाभ कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति के अनुसार किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दरों पर किया गया। कोट न किए गए शेयरों का मूल्यन उपलब्ध नवीनतम तुलनपत्र अर्थात एकदम पिछले वर्ष की तुलनपत्र में अंकित बहिमूल्य के अनुसार किया गया है और यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो इसका मूल्यन ₹ 1/- प्रति कंपनी/स्क्रिप पर किया गया है।

बढ़ाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) /प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहिमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

“बिक्री हेतु उपलब्ध” छह उप-श्रेणी में से प्रत्येक के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- (i) यदि इसका परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- (ii) यदि इसके कारण निवल मूल्यह्रास होता है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता पक्ष में निवेश (विक्रय हेतु उपलब्ध) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में जमा किया गया है।
बशर्ते कि रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के अनुवर्ती आबंटित ईक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, ईक्विटी में कर्ज के परिवर्तन के दिनांक से स्ट्रेट लाईन आधार पर अधिकतम 4 कैलेण्डर तिमाही के लिए प्रदान किया जाए।
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं को छोड़कर बाजार को अंकित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बहिमूल्य को नहीं बदला गया है।
- (iv) इस संवर्ग में निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि का लेखांकन लाभ-हानि खाते में किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

- (i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/केंद्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।
- (ii) बढ़ाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies(ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.
- (iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- (i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
- (ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs /PTCs issued by

लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति रसीद/प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

(iii) निवल समूहवार मूल्यहास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यहास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है। यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है।

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

च. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि दलाली, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

छ. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

क) हेजिंग स्वैप : आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है।

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

क) हेजिंग स्वैप: आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वैप : निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

क) हेजिंग स्वैप : समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

ख) ट्रेडिंग स्वैप : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalised.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) Trading Swaps: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realisation basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realisation basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बढ़े डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है।

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. Advances:

4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

- 4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को ठान्य देयताओं व प्रावधान शीर्ष में दर्शाया गया है.
- 4.4 पुनर्निर्धारित / पुनर्संचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है.
- 4.5 एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए गए हैं.
- 4.6 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य से कम मूल्य पर हुआ है तो कमी को 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा. यदि विक्रय निवल बहीमूल्य से अधिक पर हुआ है तो प्रावधान के अधिव्य को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया किंतु उसे अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर हुई कमी/हानि के लिए उपयोग में लाया जाएगा बशर्ते कि अनर्जक आस्तियों के विक्रय पर अधिक प्रावधान को यदि विक्रय मूल्य निवल बहीमूल्य से अधिक है तो उसे उस वित्तीय वर्ष, जिस वर्ष में रकम प्राप्त हुई, के लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा, जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/एसआर/पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्तियों के निवल बहीमूल्य से अधिक होती है बशर्ते कि अधिक प्रावधान का प्रत्यावर्तन आस्ति के निवल बहीमूल्य से प्राप्त अधिक नकदी तक सीमित हो

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

- 5.1 पुनर्मूल्यांकित और पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है.
- 5.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों, जिनके संबंध में उच्च मूल्यहास इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है, को छोड़कर स्थिर आस्तियों (नीचे उल्लिखित अनुच्छेद 5.3 और 5.4 में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर) पर मूल्यहास, हासमान शेष पद्धति से नीचे उल्लिखित दरों पर लगाया गया है.

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यहास की दर (%)
1	भवन और परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य मर्दे	18.10
3	इलेक्ट्रिकल उपकरण	13.91
4	ऑफिस मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	बाईसिकल	20.00

- 5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.
- 5.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है. वर्ष के दौरान बेची गई/ त्यागी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है.
- 5.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत के ऊपर पुनर्मूल्यांकित रकम से संबंधित मूल्यहास स्थिर संपत्ति के बचे हुए जीवन के आधार पर हासमान शेष पद्धति के आधार पर लगाया गया है जैसा कि उपरोक्त पैरा 5.2 में उल्लेख किया गया है और उसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में समायोजित किया गया है. पूरी तरह से मूल्यहासित संपत्तियों पर पुनर्मूल्यन आरक्षिति का परिशोधन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित उनके शेष बचे जीवन के आधार पर किया गया है.

- 4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.
- 4.5 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.
- 4.6 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company / Securitisation Company, if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is amortised over a period of 2 years. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets provided the excess provision on sale of NPAs, if the sale value is for a value higher than the NBV, shall be reversed to the Profit & Loss A/c in the financial year in which amounts are received when the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of SRs / PTCs) is higher than the NBV of the asset provided reversal of excess provision shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

- 5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3 and 5.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

- 5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.
- 5.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.
- 5.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.



5.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है।

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज।

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया।

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज।

घ बीमा दावे

च डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क

ज व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हमीदारी कमीशन से आय

झ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है।

7. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है।

8. आस्तियों की हानि

ससनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति, के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 “प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति” के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो।

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋण और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित करसहित), अग्रिमों तथा आकस्मिकताओं/अन्य के लिए प्रावधान शामिल हैं।

5.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on SLM basis.

6. Revenue Recognition

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

8. Impairment of Assets:

Impairment losses, if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account.

9. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, on bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं पर कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग उस पर ब्याज सहित तब प्रदान की गई जब ऐसी मांग को दूसरी अपील (अर्थात आईटीएटी द्वारा) में कायम रखा गया।

12. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - “प्रति शेयर अर्जन” के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल कमाई का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है। प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है।

11. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, Wealth Tax and also Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

12. Earnings per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.



अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियाँ

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. पूंजी

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2016	31.03.2015
i) सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	7.88**	7.48
ii) टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	9.02**	8.76
iii) टियर- 2 पूंजी का अनुपात (%)	2.18	3.18
iv) कुल पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) (%)	11.20	11.94
v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	81.61	79.80
vi) उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	105.15	224.08
vii) उगाही गई अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमीयादी ऋण पूंजी लिखत द्वारा)	शून्य	1000.00
viii) उगाही गई अतिरिक्त टियर- 2 पूंजी की राशि	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा भारत सरकार को 15.10.2015 को अधिमानी आधार पर ₹ 27.47 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 10/- के ₹ 10,51,50,787 इक्विटी शेयर जारी किए जिनकी राशि ₹ 394.00 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता 31.03.2016 को बढ़कर 81.61% हो गई.

**भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 मार्च, 2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र. बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के अनुसार 31.03.2016 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को टीयर II पूंजी की बजाय 55% की छूट पर सीडीटी I के भाग के रूप में परिकलित किया जाता है.

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम), ‘बिक्री हेतु उपलब्ध’ (एएफएस) और ‘व्यापार हेतु धारित’ (एचएफटी) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2016	31.03.2015
परिपक्वता तक धारित	28528.82	27544.22
बिक्री हेतु उपलब्ध	7702.05	4694.78
व्यापार हेतु धारित	0.00	526.00
कुल निवेश	36230.87	32765.00

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं. सभी निवेश भारत में किए गए हैं भारत के बाहर निवेश नहीं हैं. (₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2016	31.03.2015
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	36331.92	32819.23
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	101.05	54.23
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	36230.87	32765.00
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	54.23	66.29
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	51.99	24.94
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान पुनर्लक्षांकित किए गए / बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	5.17	37.00

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Capital:

(₹ in crore)

S. N.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (%)	7.88**	7.48
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	9.02**	8.76
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.18	3.18
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	11.20	11.94
v)	Percentage of the shareholding of Government of India	81.61	79.80
vi)	Amount of Equity Capital raised	105.15	224.08
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	Nil	1000.00
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	Nil	Nil

The Bank has issued 10,51,50,787 equity share of ₹ 10/- at a premium of ₹ 27.47 per share, amounting to ₹ 394 crores to Government of India (GOI) on preferential basis on 15.10.2015. As a result, Government of India's share holding has been increased to 81.61% as of 31.03.2016

**In terms of RBI Circular DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16, dated 1st March 2016, Revaluation Reserve is reckoned as a part of CET I at a discount of 55% instead of Tier II capital as on 31.03.2016.

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity (HTM)”, “Available for Sale (AFS)”, and “Held for Trading (HFT)” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(₹ in crore)

Category	31.03.2016	31.03.2015
HTM	28528.82	27544.22
AFS	7702.05	4694.78
HFT	0.00	526.00
Total Investment	36230.87	32765.00

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are made in India and no Investments are made outside India:

(₹ in Crore)

Items	31.03.2016	31.03.2015
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	36331.92	32819.23
(ii) Provisions for Depreciation	101.05	54.23
(iii) Net Value of Investments	36230.87	32765.00
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	54.23	66.29
(ii) Add: Provisions made during the year	51.99	24.94
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	5.17	37.00

(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	0	0
(v) अंतिम शेष	101.05	54.23

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने एचएफटी श्रेणी से एफएस श्रेणी में ₹1558.24 करोड़ की राशि की प्रतिभूतियां अंतरित कीं.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी से एफएस श्रेणी में ₹1321.20 करोड़ राशि की प्रतिभूतियां अंतरित कीं. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 1.7.2015 के दिशानिर्देशों आरबीआई/2015-16/97 डीबीआर क्र.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसार ऐसे अंतरण पर खाते में किसी मूल्यहास का प्रावधान अपेक्षित नहीं था.

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने एफएस व एचएफटी श्रेणी से किसी प्रतिभूति का एचटीएम श्रेणी में अंतरण नहीं किया.

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

व्योरे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2016 को
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां				
1. रेपो उधारियां (एलएएफ)	शून्य (शून्य)	1000.00 (2509.00)	106.00 (242.00)	500.00 (290.00)
2. रेपो उधारियां (मीयादी)	शून्य (शून्य)	3029.00 (3496.00)	478.00 (533.29)	(शून्य) (2200.00)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	(शून्य) शून्य	(शून्य) शून्य	(शून्य) शून्य
रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	2575.00 (900.00)	250.00 (65.97)	1200.00 (शून्य)
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग:

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार समिष्ट

(₹ करोड़ में)

क्र.	निर्गम-कर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रति-भूतियों का विस्तार	गैरक्रम वाली प्रति-भूतियों का विस्तार	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम	171.09 (188.45)	153.99 (171.07)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	46.17 (57.95)	5.75 (17.72)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक	1666.14 (1306.09)	1651.33 (1280.89)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(iv) Provision used for Written-off	0	0
(v) Closing balance	101.05	54.23

During the financial year 2015-16, the Bank has shifted securities from HFT category to AFS category amounting to ₹ 1558.24 crores.

During the FY 2015-16, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to ₹ 1321.20 crores. No depreciation was required to be provided for on account of such transfer in terms of RBI guidelines RBI/2015-16/97 DBR No BP. BC.6/21.04.141/2015-16 dated 1.7.2015.

During the FY 2015-16, the Bank has not shifted from AFS and HFT categories to HTM category.

2.2 Repo Transactions (In face value terms)

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year*	As on March 31, 2016
<u>Securities sold under repo</u>				
i. Government Securities				
a) Repo Borrowing (LAF)	NIL (NIL)	1000.00 (2509.00)	106.00 (242.00)	500.00 (290.00)
b) Repo Borrowing (Term)	NIL (NIL)	3029.00 (3496.00)	478.00 (533.29)	Nil (2200.00)
ii. Corporate debt securities	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
<u>Securities purchased under reverse repo</u>				
i. Government Securities	NIL (NIL)	2575.00 (900.00)	250.00 (65.97)	1200.00 (NIL)
ii. Corporate debt securities	NIL (NIL)	Nil (Nil)	NIL (Nil)	NIL (NIL)

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 Issuer composition of Non-SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	171.09 (188.45)	153.99 (171.07)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	FIs	46.17 (57.95)	5.75 (17.72)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)



(iv)	निजी निगमित निकाय	957.94 (653.29)	890.98 (593.26)	182.93 (150.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
(vi)	अन्य	3186.70 (1261.61)	3175.70 (1250.61)	9.90 (9.99)	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	उप जोड़	6111.57 (3550.92)	5961.28 (3397.09)	192.83 (160.49)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	के लिए धारित प्रावधान					
	i. मूल्यह्रास	20.95 (6.74)				
	ii एनपीआई	56.12 (33.58)				
	iii पुनर्संरचित खाते	8.63 (10.79)	XXX	XXX	XXX	XXX
	iv एसडीआर खातों में एमटीएम मूल्यह्रास पर किया गया प्रावधान	0.81 (0.00)				
	कुल	6025.06 (3499.81)	5961.28 (3397.09)	192.83 (160.49)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी.क्र.31/21.04.018/2015-16 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से आरआईडीएफ को अन्य निवेशों से हटा दिया गया है और इसे अन्य उपशीर्ष के अंतर्गत तुलनपत्र की अनुसूची 11 में शामिल किया गया है।

टिप्पणी :

- उक्त (V) में सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम होने के कारण तथा व (vi) में आरआईडीएफ होने के कारण अन्य में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त है।
- कॉलम 4,5,6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबन्ध नहीं हैं।
- कुल ₹6025.06 करोड़ (₹3499.81 करोड़) के कुल निवेश में ₹1194.93 करोड़ (₹27.17 करोड़) के राजस्थान स्पेशल बॉण्ड और ₹284.63 करोड़ (₹71.73 करोड़) के यूपी स्टेट पॉवर बॉण्ड्स, ₹199.59 करोड़ (शून्य) के हरियाणा स्टेट स्पेशल बॉण्ड, ₹439.99 करोड़ (शून्य) के पंजाब स्टेट स्पेशल बॉण्ड शामिल हैं। तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

2.3.2 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

व्योरे	31.03.2016	31.03.2015
प्रारंभिक शेष	86.30	76.30
वर्ष के दौरान परिवर्धन	16.01	10.00
वर्ष के दौरान कमी	0.00	0.00
अंतिम शेष	102.31	86.30
किए गए कुल प्रावधान	56.12	33.58

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर-एसएलआर निवेशों में जालसाजी के मामले

(iii)	Banks	1666.14 (1306.09)	1651.33 (1280.89)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporate	957.94 (653.29)	890.98 (593.26)	182.93 (150.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	N.A N.A.	N.A N.A.	N.A N.A.
(vi)	Others	3186.70 (1261.61)	3175.70 (1250.61)	9.90 (9.99)	N.A N.A.	N.A N.A.
	SUB TOTAL	6111.57 (3550.92)	5961.28 (3397.09)	192.83 (160.49)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards					
	(i) Depreciation	20.95 (6.74)				
	(ii) NPI	56.12 (33.58)				
	(iii) Re-structured Account FITL etc	8.63 (10.79)	XXX	XXX	XXX	XXX
	(iv) Provision Made on MTM Depreciation in SDR Accounts	0.81 (0.00)				
	Total	6025.06 (3499.81)	5961.28 (3397.09)	192.83 (160.49)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

RIDF has been excluded from other Investments from financial year 2015-16 onwards in terms of RBI circular DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16, dated 16th July, 2015 and has been included in Schedule 11 of the Balance Sheet under the subhead 'Others'.

Note:

- Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures, & (vi) being "Others" are exempt from rating & listing requirements as per RBI guidelines.
- Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.
- The total investment of ₹ 6025.06 crores (₹ 3499.81 crores) includes Rajasthan Special Bonds of ₹ 1194.93 crores (₹ 27.17 crores) UP state Power Bonds of ₹ 284.63 crores (₹ 71.73 crores) Haryana State Special Bonds ₹ 199.59 crores (Nil) Punjab State Special bonds ₹ 439.99 crores (Nil) The same has been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

2.3.2 Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Opening balance	86.30	76.30
Additions during the year	16.01	10.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing balance	102.31	86.30
Total provisions held	56.12	33.58

Out of fraud case in the Non-SLR investments in financial year 2014-15, the provision amount of ₹ 12 crores was

के कारण 31.03.2015 को ₹12 करोड़ की प्रावधान राशि प्रदान की जानी शेष थी और इसे चालू वर्ष 2015-16 में पूर्णतः प्रदान किया गया।

- 2.4 वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मंडल के अनुदान से एकबारगी अंतरण को छोड़कर एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के विक्रय और अंतरण का मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किए अनुसार और ओएमओ नीलामियों में पूर्व घोषित के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को विक्रय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

एचटीएम श्रेणी ने निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जनवरी, 2014 के परिपत्र क्र. आरपीसीडी.सीओ. आरआरबी.बीसी.क्र.74 / 03.05.33 / 2013-14 के अनुसार सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि और करों का समायोजन (नेटिंग ऑफ) करने के पश्चात पूंजी आरक्षित खाते को समायोजित किया जाए।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित और करों के निवल ₹ 28.83 करोड़ (₹ 35.39 करोड़) की राशि पूंजी आरक्षित को अंतरित की गई।

- 2.5 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹52.46 करोड़ (₹ 55.89 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभाषित किया।

- 2.6 चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सांविधिक आरक्षित को आनुपातिक अंतरण और करों के निवल की ₹12.96 करोड़ की राशि एफएस और एसटीएफ श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेश के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित मूल्यहास के कारण आरक्षित निवेश खाते से आहरित की गई। तथापि वर्ष 2014-15 के दौरान निवल लाभ में से ₹14.06 करोड़ समायोजित किया गया जो निवल कर तथा समानुपातिक सांविधिक आरक्षित निधि, निवेश के मूल्य पर बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) के संदर्भ में मूल्यहास के प्रतिलेखन पर आरक्षित निवेश था।

3 डेरिवेटिव:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2016	31.03.2015
स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	425.00	100.00
यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
स्वैप करार हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित समर्थक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
स्वैप खाताबंदी का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	(-) 0.84	(-)0.76

बैंक ने आईआरएस/एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/एफआरए की अनुमोदित सीमा ₹2000 करोड़ है। 31 मार्च 2016 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के 17 (सत्रह) बकाया स्वैप रहे, जिसकी सांकेतिक मूल राशि ₹425 करोड़ रही। नियत ब्याज प्राप्त करना तथा अस्थायी दर पर भुगतान करना स्वैप की शर्तें हैं। उक्त 17 (सत्रह) स्वैप में से ₹425 करोड़ कल्पित मूलधन के सभी ओआईएस स्वैप, क्रय-विक्रय हेतु थे। बकाया क्रय-विक्रय स्वैप का बाजार हेतु चिन्हित (एमटीएम) मूल्यांकन ₹ (-) 0.84 करोड़ रहा।

remaining to be provided as on 31.03.2015, the same is fully provided in the current year 2015-16.

- 2.4 The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2015-16, excluding onetime transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI, does not exceed 5 per cent of the book value of the investments in HTM category at the beginning of the year.

Profit on sale of investments in HTM category should be first taken to the Profit & Loss Account, and thereafter be appropriated to the 'Capital Reserve Account' after netting off taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves as per RBI circular RPCD.CO.RRB. BC.No. 74/03.05.33/2013-14 dated 7th January 2014.

During the current financial year an amount of ₹ 28.83 crores (₹ 35.39 crores) net of taxes and transfer to statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category has been transferred to Capital Reserve

- 2.5 The Bank has amortized ₹ 52.46 crores during the year (₹ 55.89 crores) for securities classified 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing the value of respective securities to that extent.

- 2.6 During the current financial year 2015-16, an amount of ₹ 12.96 crores net of taxes and proportionate transfer to Statutory Reserve, has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

However during 2014-15 an amount ₹ 14.06 crores had been appropriated from Net Profit, being Investment Reserve on account of write back of depreciation with reference to Mark to Market (MTM) value of Investment, net of tax and proportionate transfer to Statutory Reserve.

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Items	31.03.2016	31.03.2015
i) The notional principal of swap agreements	425.00	100.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-) 0.84	(-)0.76

The Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is ₹ 2000.00 crores. As on 31st March 2016, the Bank had 17 outstanding swaps for notional principal ₹ 425 crores and the terms of Swaps are to receive fixed interest and pay floating rate. Out of 17 swaps, all OIS swaps for notional principal of ₹ 425 crores, were for trading purpose. MTM valuation for outstanding trading swaps is ₹ (-) 0.84 crore.



3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स: (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यौरे	2015-16	2014-15
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

- डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है.
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं.
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं. स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.
- महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 (एफ) (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं.

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	2695.06	0.00
	ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	11394.74	425.00
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां (1)		
	क) आस्ति (+)	40.00	0.00
	ख) देयताएं (-)	0.00	(-)0.84
(iii)	ऋण विगोपन (2)	321.80	4.50
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.02	0.00

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2015-16	2014-15
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	Nil	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives out-standing and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosure

- Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non hedge transactions is in place, which in-cludes recognition of income, expenditure and valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal amount)		
	(a) For hedging	2695.06	0.00
	(b) For Trading	11394.74	425.00
(ii)	Marked to Market Position [1]		
	(a) Asset (+)	40.00	0.00
	(b) Liability (-)	0.00	(-)0.84
(iii)	Credit Exposure [2]	321.80	4.50
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	(a) On hedging derivatives	0.02	0.00
	(b) On trading derivatives	0.07	9.37

	ख) लेनदेन डेरिवेटिव पर	0.07	9.37
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
	1) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधिकतम 4.32 न्यूनतम 0.02	अधिकतम लागू नहीं न्यूनतम लागू नहीं
	2) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधिकतम 13.78 न्यूनतम 0.07	अधिकतम 9.37 न्यूनतम 1.77

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधानः (₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	ऋण विगोपन 31.03.2016 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	2.75 0.011
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	150.47 0.60
3	स्वर्ण संविदा	शून्य शून्य
4	ऋण चूक स्वेप	शून्य शून्य
	कुल	153.22 0.61

3.5 ऋण चूक स्वेप (सीडीएस) :

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वेप (सीडीएस) नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2016 को (शून्य) है.

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	6.40	4.19
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	6402.06	2859.85
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5723.85	4633.64
(ग) वर्ष के दौरान कमी	1740.06	1091.43
(घ) अंतिम शेष	10385.85	6402.06
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	4126.57	1807.32
जोड़ें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी द्वारा निपटायें गये खाते	49.22	33.34
सकल प्रारंभिक शेष	4175.79	1840.66
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	2844.03	3288.76
(ग) वर्ष के दौरान कमी	100.49	953.63
(घ) सकल अंतिम शेष	6919.33	4175.79
घटायें- ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटायें गये खाते	87.30	49.22
निवल अन्तिम शेष	6832.03	4126.57
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)		
(क) प्रारंभिक शेष	2136.49	1009.90
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2164.05	1385.67

(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	(a) On hedging	Max : 4.32 Min : 0.02	Max : NA Min : NA
	(b) On trading	Max : 13.78 Min : 0.07	Max : 9.37 Min : 1.77

3.4 Standard provision on derivative exposure

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2016
1	Interest rate derivative	2.75	0.011
2	Foreign exchange derivative	150.47	0.60
3	Gold contract	Nil	Nil
4	Credit default swaps	Nil	Nil
	Total	153.22	0.61

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no credit default swaps during the year 2015-16 or as on March 31, 2016 (Nil).

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	6.40	4.19
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	6402.06	2859.85
(b) Additions during the year	5723.85	4633.64
(c) Reductions during the year	1740.06	1091.43
(d) Closing balance	10385.85	6402.06
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	4126.57	1807.32
Add: ECGC/DICGC Settled amount	49.22	33.34
Gross: Opening Balance	4175.79	1840.66
(b) Additions during the year	2844.03	3288.76
(c) Reductions during the year	100.49	953.63
(d) Gross closing balance	6919.33	4175.79
Less ECGC/DICGC Settled amount	87.30	49.22
Net closing Balance	6832.03	4126.57
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	2136.49	1009.90
(b) Provisions made during the year	2164.05	1385.67

(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	874.93	259.08
(घ) अंतिम शेष	3425.61	2136.49

4.2 अस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय अस्तियों का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	खातों की संख्या	8	13
2	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	72.10	42.44
3	कुल प्रतिफल	48.48	63.67
4	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0	0.00
5	शुद्ध खाताबही मूल्य की तुलना में कुल प्राप्ति	-28.72	5.55

वर्ष 2015-16 के दौरान 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹1.94 करोड़ सहित, बैंक ने ₹72.10 करोड़ बही मूल्य की अनर्जक अस्तियां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप अनर्जक अस्तियों में कमी आई.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01.07.2015 के अपने मास्टर परिपत्र डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.2/ 21.04.048/ 2015-16 द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार हानि जहां अस्तियों का विक्रय मूल्य अस्तियों के निवल बही मूल्य से कम है, जो दिनांक 26.02.2014 और 31.03.2016 के बीच बेची गई अस्तियों पर उत्पन्न हुई है, को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रसारित करना अनुमत है. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹28.72 करोड़ की कमी में से ₹14.39 करोड़ की राशि 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि खाते को नामे की गई तथा ₹14.33 की शेष राशि को वित्तीय वर्ष 2016-17 में समायोजन हेतु आगे लाया गया.

4.3 प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय अस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे
(₹ करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015
जमानत रसीदों में निवेश का बही मूल्य	40.90	28.69	-	-	40.90	28.69

प्रतिभूति रसीदों में वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवेशों के बही मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :
(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को	31.03.2015 को
i) इस रूप में बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक अस्तियों द्वारा समर्थित	106.34	72.76
इस रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक अस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	106.34	72.76

(c) Write-back/write off of excess provisions	874.93	259.08
(d) Closing balance	3425.61	2136.49

4.2 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction
(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1	No. of accounts	8	13
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	72.10	42.44
3	Aggregate consideration	48.48	63.67
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	-28.72	5.55

During the year 2015-16, the Bank has sold non-performing assets of the book value of ₹72.10 crores including ₹1.94 crores, during the quarter ended March 31, 2016 resulting in reduction of NPAs.

As per guidelines issued by RBI vide master circular DBR. No.BP.BC.2/21.04.048/2015-16, dated 01.07.2015, shortfall where sale value of assets is less than Net Book Value of the assets, arisen on assets sold between 26.02.2014 and 31.03.2016 on sale of assets are allowed to spread over a period of two years. During the financial year 2015-16 shortfall amounting to ₹ 28.72 crores of which the amount of ₹ 14.39 crores has been debited to Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2016 and remaining amount of ₹ 14.33 crores is carried forward for adjustment in financial year 2016-17.

4.3 Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues ₹ in Crore

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-financial companies as underlying		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015	31.3.2016	31.3.2015
Book Value of Investment in Security Receipts	40.90	28.69	-	-	40.90	28.69

The details of the book value of investments outstanding at the end of the year in security receipts are as under:

Particulars	As on 31.3.2016	As on 31.3.2015
i) Backed by NPAs sold by Bank as underlying	106.34	72.76

4.4 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	0.00	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.6 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	सं. / राशि
1	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि	
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन प्रथम हानि अन्य	शून्य
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि	
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन प्रथम हानि अन्य	

* यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों से संबंधित एसपीवी ही रिपोर्ट किए जाएं.

ii) Backed by NPAs sold by other Banks /financial institutions / non banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	106.34	72.76

4.4 Details of non- performing financial assets purchased

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2. (a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.5 Details of non- performing financial assets sold

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.6 Disclosure relating to Securitization: (₹ in Crore)

S. N.	Particulars	No. /Amount
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Loss	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitizations	
	First loss	
	Others	

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here



4.7 पुनर्संरचित खातों के बारे में

4.7 Particulars of Accounts Restructured

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)																									
क्र.सं. Sr No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →		सीडीआर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism						एसएमई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism						अन्य Others						कुल Total				
	अस्ति वर्गीकरण Asset Classification → विवरण		मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand- ard	अव मानक Sub- Stand- ard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total			
	Details ↓																								
1	वित्तीय वर्ष - 1 अप्रैल के पुनर्संरचित खाते (आरंभिक अंकड़े) Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	29	5	3	0	37	348	123	60	5	536	27881	2271	1565	220	31937	28258	2399	1628	225	32510			
		बकाया रकम Amount outstanding	2206.42	227.72	573.77	0.00	3007.91	375.62	73.48	47.78	0.26	497.14	4651.65	263.21	257.81	0.94	5173.61	7233.70	564.41	879.35	1.21	8678.66			
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएँ Fresh restructuring during the year	उप र. प्राक्धान Provision thereon	226.87	11.44	69.21	0.00	307.51	6.64	0.89	1.28	0.00	8.81	92.49	1.53	5.44	0.00	99.46	326.00	13.86	75.92	0.00	415.77			
		उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1	0	0	0	1	18	5	69	0	92	7	2055	1515	0	3577	26	2060	1584	0	3670			
		बकाया रकम Amount outstanding	49.18	0.00	0.00	0.00	49.18	116.87	15.06	9.20	0.00	141.13	449.24	38.32	17.64	0.22	505.43	615.30	53.38	26.84	0.22	695.75			
		उप र. प्राक्धान Provision thereon	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	1.00	0.16	0.44	0.00	1.61	0.27	1.50	0.88	0.00	2.65	1.69	1.66	1.33	0.00	4.67			
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग का कोडिफ़िकेशन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1	-1	0	0	0	3	-2	-1	0	0	1	-1	0	0	0	5	-4	-1	0	0			
		बकाया रकम Amount outstanding	36.22	-36.22	0.00	0.00	0.00	7.41	-5.75	-1.66	0.00	0.00	3.87	-3.87	0.00	0.00	0.00	47.50	-45.84	-1.66	0.00	0.00			
		उप र. प्राक्धान Provision thereon	5.34	-5.34	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	5.48	-5.34	-0.09	0.00	0.05			
4	पुनर्संरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्राक्धान और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम जरूरी नहीं: अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अभिर्माण के रूप में दिखाना जरूरी नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-3				-3	-49				-49	-1328				-1328	-1380				-1380			
		बकाया रकम Amount outstanding	-51.28				-51.28	-42.18				-42.18	-364.93				-364.93	-458.38				-458.38			
		उप र. प्राक्धान Provision thereon	-2.78				-2.78	-0.26				-0.26	-17.15				-17.15	-20.19				-20.19			

[illegible]

Reconciliation of Difference																			
	बिचराओं का समाधान पुनर्संचित मानक अस्तित्वों, इन पर दिनांक 31.03.2015 को आरक्षण प्रभारित नहीं था, के क्रेडिटवर्स और एक खाते के बड़े खाते के कारण पुनर्संरचना संविधान में परिवर्तन Addition in restructured portfolio due to down grade tion of Restructured standard assets which were not attracting RSA provision as of 31/03/2015 and write off of one account.	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	बकाया रकम Amount outstanding	0	0	0	0	0	0.00	21	0	-4.00	17	0	0	0	0	0	0	21	-4
	उन पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	पुनर्संचित राशि में बिचरा मुद्दा: अतिरिक्त/ए संरचना/पुनर्गठन के कारण है. Variation in restructured amount is mainly on account of additional/fresh disclosurement/repayment.																		
	पाद टिप्पणी / Foot Note अन्य उपायानक खातों का क्रेडिटवर्स अन्य मानक खातों में करने पर प्रावधान नहीं है Upgradation of Other sub-standard account to Other standard account not attracting provisions	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
	बकाया रकम Amount outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	-4.99	0	0	-4.99	0	-5	0
	उन पर प्रावधान Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

पूण नोट - ₹ 2351.56 करोड (29 खाते) पुनर्संचित खातों के कुल बड़े खाते में डाली गई राशि आस्तियों की वसूली/ बिक्री स उत्पन्न कमी से संबंधित है.

Foot Note: The total Write-offs of restructured accounts of ₹ 2351.56 Crores (29 accounts) pertains to reduction on account of recovery / sales of assets.



4.8 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	660.17	691.31
फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	0.60	0.47
अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	24.84	21.51
डेरिवेटिव ब्याज दर	0.00	0.00
कुल	685.61	713.29

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य ऊर्जा संवितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालनगत और वित्तीय प्रतिवर्तन हेतु उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एशोरेन्स योजना) योजना के अनुसरण में बैंक ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के गैर एसएलआर एसडीएल बॉन्डों हेतु अभिदान किया जो ऊपर उल्लिखित राज्यों के डिस्कॉम से संबंधित ₹2307.08 करोड़ (30.09.2015 को बकाया) की राशि के ऋणों के निपटान के समक्ष ₹2098.03 की राशि थी।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17.03.2016 के पत्र डीबीआर. बीपी.क्र.11657/21.04.132/2015-16 के अनुसरण में निम्नानुसार ₹134.58 करोड़ के कुल देयों हेतु प्रावधान किए जो एसडीएल में परिवर्तन किए जाने हेतु परिकल्पित नहीं है -

- ₹134.58 करोड़ के अग्रिमों और ₹312.23 करोड़ के बॉन्डों के संबंध में क्रमशः ₹20.19 करोड़ और ₹46.83 करोड़ की राशि हेतु 15% पर प्रावधान
- अग्रिमों और बॉन्डों में बकाया शेष के उचित मूल्य में ह्रास के प्रति क्रमशः ₹8.88 करोड़ और ₹4.28 करोड़ के प्रावधान किए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को ₹607.80 करोड़ के बकाया ऋण पर 7.5% की दर से विवेकपूर्ण प्रावधान किया जो ₹45.59 करोड़ की राशि का था. ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसरण में उस दिनांक को बकाया राशि पर जून, 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान बकाया 7.5% का प्रावधान किया जाएगा.

4.9 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का ₹21.06 करोड़ (₹21.06 करोड़) सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है.

5. कारोबारी अनुपात:

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1. कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	8.71%	9.21%
2. कार्यकारी निधियों से गैर-ब्याजी आय का प्रतिशत	0.68%	0.73%

4.8 Provisions on Standard Assets

(₹ in Crore)

S.N	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1	Provisions towards Standard Advances	660.17	691.31
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	0.60	0.47
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	24.84	21.51
4	Interest rate derivative	0.00	0.00
	Total	685.61	713.29

In accordance with UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojna) Scheme for operational and financial turnaround of State Power Distribution Companies (DISCOMs) during financial year 2015-16, the Bank had subscribed to Non-SLR SDL Bonds of Government of Rajasthan, Punjab, Haryana & Uttar Pradesh amounting to ₹ 2098.03 crores against settlement of debts amounting to ₹ 2307.08 crores (outstanding as of 30.09.2015), pertaining to DISCOMS of above mentioned states.

The bank had made provision for total dues of ₹ 134.58 crores not envisaged to be converted into SDL, in accordance with RBI letter DBR.BP. NO.11657/21.04.132/2015-16 dated 17.03.2016 as under:

- Provision at 15% amounting to ₹20.19 crores & ₹46.83 crore in respect of advances of ₹134.58 crores and bonds ₹ 312.23 crore respectively
- Provision of ₹8.88 crores and ₹4.28 crore has been made towards Diminution in Fair Value of balance outstanding in advances and bonds respectively.

In compliance with the RBI guidelines, the Bank has made Prudential Provision @ 7.5% amounting to ₹45.59 crores on outstanding loan of ₹ 607.80 crores as on 31st March 2016 under Food Credit availed by Government of Punjab. The balance provision of 7.5% shall be made during quarter ended June 2016 on amount outstanding as on that date in accordance with such guidelines.

4.9 Details of floating provisions

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is holding a general provision of ₹ 21.06 crores (₹ 21.06 crores) which has been reckoned while computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI permission.

5. Business Ratios

	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds.	8.71%	9.21%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.68%	0.73%

3. कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.56%	1.71%
4. आस्तियों पर आय	0.07	0.33%
5. प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रुपये करोड़ में)	18.02	15.60
6. प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाख में)	0.73	3.00

(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.56%	1.71%
(iv)	Return on Assets	0.07	0.33%
(v)	Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore)	18.02	15.60
(vi)	Profit per Employee (₹ in Lakh)	0.73	3.00

6. आस्ति देयता प्रबंधन:

6. Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मकों की परिपक्वता पध्दति

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

Particulars	1 दिन 1 day	2से 7 दिन 2 to 7 days	8से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	Total कुल
जमाशियां Deposits	867.99	3775.22	2385.44	6272.36	22692.12	15318.71	26440.30	57219.26	2388.05	1630.37	138989.82
निवेश Investments	11.00	754.71	699.24	357.16	737.04	465.77	1329.74	5958.26	4566.01	21452.99	36331.92
अग्रिम Advances	1071.15	1529.32	1867.88	8012.48	7761.46	11423.33	9640.13	43777.20	15776.81	10380.52	111240.28
उधारियां Borrowings	73.37	17.43	26.78	590.48	924.90	131.45	608.98	0.00	0.00	0.00	2373.38
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	355.51	0.53	0.47	3.10	38.00	39.01	64.26	206.54	188.13	0.00	895.55
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	29.34	549.74	0.00	24.80	0.00	484.00	453.23	2788.09	358.00	4628.21	9315.40

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :

6.1 Liquidity Coverage Ratio:

मात्रात्मक प्रकटन :

Quantitative Disclosure:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

		वित्तीय वर्ष 2015-16 FY 2015- 2016		मार्च 15 तिमाही* Qtr 'March 2015 *	
		कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भांरित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभांरित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भांरित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां High quality Liquid assets					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		14278.33		13461.80
नकदी बहिर्गमन					



2	रिटेल जमाराशियां और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां, जिनमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	96930.79	8243.66	89998.92	7824.08
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	28988.47	1449.43	23516.30	1175.81
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	67942.33	6794.23	66482.62	6648.26
3	अरक्षित थोक निधियन, जिनमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	23020.52	11667.56	14742.23	7426.86
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	1413.08	353.27	1432.42	358.10
(ii)	अपरिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non operational deposits (all counterparties)	21607.44	11314.29	13309.81	7068.76
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन Secured wholesale funding	236.85	0.00	0.00	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	16610.11	1933.91	12794.13	1411.80
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	16610.11	1933.91	12794.13	1411.80
6	अन्य अनुबंधात्मक निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	197.58	197.58	120.00	120.00
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	13992.74	662.14	29991.60	1499.58
8	कुल नकदी बहिर्गमन Total Cash Outflows		22704.85		18282.32
नकदी अंतर्वाह					
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	439.99	0.00	33.33	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	4133.04	3309.18	2201.74	1351.71
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	896.91	510.42	488.06	284.64
12	कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows	5469.94	3819.60	2723.13	1636.35

			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	उच्च गुणवत्ता की कुल तरल आस्तियां Total HQLA		14278.33		13461.80
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह Total Net Cash Outflows		18885.25		16645.97
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		75.61%		80.87%

*केवल मार्च 2015 तिमाही का डाटा *Data of March 2015 quarter only

नोट – बैंक की वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन लिंक के अंतर्गत तिमाही ब्यौरे उपलब्ध हैं

Note: Quarterly details are available on Bank's website under Regulatory disclosure link.

मात्रात्मक

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जोकि तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को विभक्त कर किया जाता है। निवल नकदी बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमा राशियों, प्रत्याभूत व गैर प्रत्याभूत थोक उधारियों) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए औसत एलसीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त न्यूनतम 70% की आवश्यकता की तुलना में 75.61% रहा है।

- मार्च, 2016 तिमाही के दौरान एफएलएलसीआर (भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार) के अंतर्गत एनडीटीएल के 8% तक बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों की गणना के कारण एचक्यूएलए में वृद्धि हुई जो जनवरी, 2016 तक एनडीटीएल के 5% के समक्ष स्तर 1 आस्तियों के रूप में अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर है।
- एसक्यूएलए में स्तर 1 की आस्तियां (नकदी, अतिरिक्त सीआरआर शेष, न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूति, एफएलएलसीआर के अंतर्गत 8% और एमएसएफ के अंतर्गत 2% तक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियां) और अन्य स्तर 2 की आस्तियां समाविष्ट हैं।
- निधियन स्रोत एसएलआर प्रतिभूतियों में संघटित है तथापि वे बैंक द्वारा धारित तरल आस्तियों का मुख्य भाग बनाते हैं।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमा राशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	13693.14	11099.19
बैंक की कुल जमा राशियों से 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियों का प्रतिशत	9.85%	9.09%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	15530.01	14831.10

Qualitative

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR for the year ended 31st March 2016 is 75.61%, above RBI prescribed minimum requirement of 70%.

- During the March 2016 quarter, HQLAs have increased due to reckoning government securities held by bank up to 8% of NDTL under FALLCR (as per RBI guidelines) with in mandatory SLR requirement as level 1 assets as against 5% of NDTL up to January 2016.
- HQLAs consist of Level 1 assets (Cash, excess CRR balance, Government security in excess of minimum SLR requirement, Government securities with in mandatory SLR requirement up to 2% under MSF and 8% under FALLCR) and other level 2 assets.
- Funding sources are concentrated in SLR securities however they constitute major portion of liquid assets possessed by Bank.

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Deposits of Twenty largest Depositors	13693.14	11099.19
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	9.85%	9.09%

7.2 Concentration of Advances (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Advances of Twenty largest borrowers	15530.01	14831.10



बैंक के कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	13.96%	14.65%
---	--------	--------

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	20052.01	16074.52
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	13.40%	13.77%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	2145.08	921.53

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)	6402.06	2859.85
वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियों) वृद्धि	5723.85	4633.64
उप जोड़ (क)	12125.91	7493.49
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	191.29	397.62
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	645.45	430.13
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	820.23	220.66
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	83.09	43.02
उप जोड़ (ख)	1740.06	1091.43
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	10385.85	6402.06

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	1281.77	1213.45
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते + परिवर्तन (पिछले वर्ष के लिए ₹ 0.86 करोड़ और चालू वर्ष के लिए ₹ 0.05 करोड़)	821.10	220.71
उप जोड़ (क)	2102.87	1434.16
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुई वसूलियां (ख)	95.31	152.39
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	2007.56	1281.77

Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	13.96%	14.65%
--	--------	--------

7.3 Concentration of Exposure (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	20052.01	16074.52
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	13.40%	13.77%

7.4 Concentration of NPAs (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Exposure to top four NPA accounts	2145.08	921.53

7.5 Movement of Gross NPAs (₹ in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	6402.06	2859.85
Additions (Fresh NPA) during the year	5723.85	4633.64
Sub-total (A)	12125.91	7493.49
Less:		
(i) Up gradations	191.29	397.62
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	645.45	430.13
(iii) Technical / Prudential write-off	820.23	220.66
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	83.09	43.02
Sub-Total (B)	1740.06	1091.43
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	10385.85	6402.06

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off (₹ in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	1281.77	1213.45
Add: Technical / Prudential write-offs during the year + variation (₹0.86 crore for CY and ₹0.05 crore for PY)	821.10	220.71
Sub-Total (A)	2102.87	1434.16
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	95.31	152.39
Closing balance as at 31st March (A-B)	2007.56	1281.77

7.7 क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र	2015-16			2014-15		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%)	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%)
क	प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	14851.67	1205.86	8.12	12079.59	738.79	6.12
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	6807.98	1533.55	22.53	7316.72	945.35	12.92
3	सेवाएं	9262.61	1336.62	14.43	9478.54	1705.00	17.99
4	वैयक्तिक ऋण	7478.93	244.99	3.28	6776.43	159.82	2.36
	उप-जोड़ (क)	38401.19	4321.02	11.25	35651.28	3548.96	9.95
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	-	-	-	-	-	-
2	उद्योग	31972.22	3842.43	12.02	31315.41	1387.70	4.43
3	सेवाएं	32045.59	1890.51	5.90	27550.09	1351.42	4.91
4	वैयक्तिक ऋण	8821.28	331.89	3.76	6693.48	113.98	1.70
	उप-जोड़ (ख)	72839.09	6064.83	8.33	65558.98	2853.10	4.35
	कुल (क+ख)	111240.28	10385.85	9.34	101210.26	6402.06	6.33

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
कुल आस्तियां	890.85	54.13
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	1.62	0.60

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2016	31.03.2015
क. प्रत्यक्ष विगोपन	18522.62	17703.01

7.7 Sector-Wise Advances: (₹ in crore)

S. N.	Sector	2015-16			2014-15			
		Out-standing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	Out-standing Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	
A	Priority Sector							
	1	Agriculture and allied activities	14851.67	1205.86	8.12	12079.59	738.79	6.12
	2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	6807.98	1533.55	22.53	7316.72	945.35	12.92
	3	Services	9262.61	1336.62	14.43	9478.54	1705.00	17.99
	4	Personal loans	7478.93	244.99	3.28	6776.43	159.82	2.36
		Sub-total (A)	38401.19	4321.02	11.25	35651.28	3548.96	9.95
B	Non Priority Sector							
	1	Agriculture and allied activities				---	--	---
	2	Industry	31972.22	3842.43	12.02	31315.41	1387.70	4.43
	3	Services	32045.59	1890.51	5.90	27550.09	1351.42	4.91
	4	Personal loans	8821.28	331.89	3.76	6693.48	113.98	1.70
		Sub-total (B)	72839.09	6064.83	8.33	65558.98	2853.10	4.35
		Total (A+B)	111240.28	10385.85	9.34	101210.26	6402.06	6.33

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Total Assets	890.85	54.13
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	1.62	0.60

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Category	31.03.2016	31.03.2015
a) Direct exposure	18522.62	17703.01

(i) आवासीय बंधक -जिसमें से ₹ 25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं. (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में जोड़े जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दिखाया जाए)	11460.65 7008.77	10656.38 6824.25
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं एनएफबी भी शामिल हैं.	7061.97	7046.62
(iii) बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-		
क) आवासीय	शून्य	शून्य
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख) अप्रत्यक्ष निवेश	4663.55	3547.45
राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश		
रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	23186.17	21250.46

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
(i) ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	100.52	103.50
(ii) व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
(iii) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.67	1.09
(iv) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों को संपादार्थिक प्रतिभूति माना गया है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती.	62.83	11.93

(i) Residential Mortgages – Out of which Loans up to ₹ 25lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	11460.65 7008.77	10656.38 6824.25
(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	7061.97	7046.62
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b) Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	4663.55	3547.45
Total Exposure to Real Estate Sector	23186.17	21250.46

8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	100.52	103.50
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.67	1.09
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	62.83	11.93

(v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	106.02	56.52
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
(vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हमीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
(x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी निवेश	29.33	30.53
पूंजी बाजार में कुल निवेश	299.37	203.57

31.03.2016 को समाप्त वर्ष को ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2016		31.03.2015	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आर्बिट्रिज इक्विटी शेयरों में निवेश	3	19.57	शून्य	शून्य

8.3 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। प्रकटन करने के उद्देश्य हेतु और विगोपन सीमा प्राप्त करने हेतु मंजूरी सीमा या संपूर्ण बकाया, जो भी उच्च हो, को परिकलन हेतु लिया जाएगा।

8.4 अंतर-समूह विगोपन

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	2015-16	2014-15
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	91.11	90.14
2	20 मुख्य अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	91.11	90.14
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.06%	0.08%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	106.02	56.52
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	Nil	Nil
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues	Nil	Nil
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	29.33	30.53
Total Exposure to Capital Market	299.37	203.57

As on the year ended 31.03.2016, the details of Bank's direct investment in equity shares, on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits, is as under:

Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
	No. of account	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received / allotted on ac-count of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits	3	19.57	Nil	Nil

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits in respect of lending to single borrower or group borrower during financial year 2015-16. The sanctioned limit or entire outstanding, whichever is high, shall be reckoned for arriving at exposure limit and for disclosure purpose.

8.4 Intra-Group Exposures :

The details of the intra-group exposures of the bank are as under; (₹ in crore)

S. N	Particulars	2015-16	2014-15
1	Total amount of intra-group exposures	91.11	90.14
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	91.11	90.14
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.06%	0.08%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (₹ करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2016
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	24.84
2	यूएफसीई पर धारित वृद्धिशील पूंजी	73.76

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाली करंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधान के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है.

क) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु ₹10 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है. इस उद्देश्य के लिए अगले 5 वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है. इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/या प्राकृतिक रूप से संरक्षित को परस्पर सेट ऑफ किया गया है. (डेरिवेटिव संविदा (अर्थात वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित पर भी विचार किया गया, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई थी. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी वित्तीय वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो.)

ख) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है. इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है.

ग) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है. इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है.

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है.

8.6 गैर जमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2016 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹1003.08 करोड़ (₹880.15 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे. इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2016 को अनुमानित मूल्य ₹ 1819.83 करोड़ (₹1237.33 करोड़) है .

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2016 को विगोपन (निवल)	31.03.2016 को धारित प्रावधान	31.03.2015 को विगोपन (निवल)	31.03.2015 को धारित प्रावधान
नगण्य	2240.51	0.00	2303.00	0.00

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure: (₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2016
1	Additional provisioning made on account of UFCE	24.84
2	Incremental Capital held on account of UFCE	73.76

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

a. Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of ₹ 10 crores and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

b. Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

c. Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBITD so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advances includes ₹ 1003.08 crores (₹ 880.15 crores) as on 31.03.2016 which is collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 1819.83 crores (₹ 1237.33 crores) as on 31.03.2016.

8.7 Risk Category wise Country Exposure (₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2016	Provision held as at March 31, 2016	Exposure (net) as at March 31, 2015	Provision held as at March 31, 2015
Insignificant	2240.51	0.00	2303.00	0.00
Low	463.46	0.00	521.01	0.00
Moderate	6.29	0.00	53.74	0.00

कम	463.46	0.00	521.01	0.00
साधारण	6.29	0.00	53.74	0.00
साधारणतः कम	28.36	0.00	8.11	0.00
साधारणतः उच्च	21.23	0.00	2.83	0.00
उच्च	4.42	0.00	0.00	0.00
अति उच्च	0.14	0.00	0.00	-
ऋणैतर	0.08	0.00	0.05	0.00
कुल	2764.47	0.00	2888.74	0.00

बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन हर देश के लिए दिनांक 31.03.2016 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

8.8 प्रावधान संरक्षा अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-10 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 45.04% है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2016 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है:

जबकि ऐसे प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर ₹2049.81 और 31.03.2016 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो आवश्यक न्यूनतम अपेक्षित 70% की तुलना में 272.34% है।

9 विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम (₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
आयकर हेतु प्रावधान	322.52	449.29

राजस्व अभिनिर्धारण पर आईसीडीएस 4 के अनुसार राजस्व अभिनिर्धारण उपचित आधार पर होना चाहिए। चूंकि अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के परिच्छेद 6.1 में उल्लेख किए अनुसार कुछ राजस्वों का लेखांकन नकदी आधार पर किया गया है, उसका प्रभाव कर खर्च की गणना में समाविष्ट नहीं किया गया।

9.2 ला/हा खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	2110.29	1387.20
2	एफएस / एचएफटी निवेशों पर मूल्यहास	26.42	0.00
3	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	22.55	22.13
4	निवेश पर प्रावधान -सीडीआर/पुनर्संचित	0.00	0.00
5	आरक्षित विदेश विनिमय विगोपन का प्रावधान	3.33	21.51
6	आयकर पर प्रावधान	322.51	449.29
7	आस्थगित कर आस्ति/देयता	227.59	0.00
8	पुनर्संचित निवेश के लिए प्रावधान	2.13	(5.79)
9	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	54.64	10.02
	उप जोड़(क)	2769.46	2029.72
	घटायें : प्रतिलेखन/समायोजन		
1	निवेश पर मूल्यहास का प्रतिलेखन	0.00	28.40

Moderately Low	28.36	0.00	8.11	0.00
Moderately High	21.23	0.00	2.83	0.00
High	4.42	0.00	0.00	0.00
Very High	0.14	0.00	0.00	-
Off-credit	0.08	0.00	0.05	0.00
Total	2764.47	0.00	2888.74	0.00

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2016, no provision is required in terms of RBI guidelines.

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1, 2009, which is 45.04%. This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2016.

Whereas such provision coverage ratio (PCR) calculated as per RBI circular No. DP.DC.87/21.04.048/2010-11, dated April 21, 2011, based on NPA level as on 30.09.2010 ₹ 2049.81 crores and NPA provision as on 31.03.2016 works out to 272.34%, as against minimum required 70%.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Provision for Income Tax	322.52	449.29

As per ICDS 4 on Revenue Recognition, the revenue recognition shall be on accrual basis. As some of the revenues as mentioned in Para 6.1 to Schedule 17- Significant Accounting Policies, are accounted for on cash basis, the impact thereof has not been factored in the computation of tax expense

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
1	Provision towards NPA	2110.29	1387.20
2	Depreciation on investments in AFS/HFT	26.42	0.00
3	Provision for Non Performing Investment	22.55	22.13
4	Provision for Investment – CDR/ Restructure	0.00	0.00
5	Provision for un-hedged foreign currency exposure	3.33	21.51
6	Provision for Income tax	322.51	449.29
7	Deferred Tax Asset / Liability	227.59	0.00
8	Provision for restructured Investment	2.13	(5.79)
9	Other provision and contingencies	54.64	10.02
	Sub-total (A)	2769.46	2029.72
	Less: Write back / adjustments		
1	Write-back of depreciation on Investment	0.00	28.40

2	आयकर प्रावधान पर प्रतिलेखन	127.96	53.83
3	आस्थगित कर देयता/आस्ति	105.12	32.92
4	पुनर्संरचित निवेश प्रावधान पर प्रतिलेख	0.00	5.79
5	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	31.14	(119.14)
6	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	260.75	(20.43)
7	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	0.00	4.38
	उप जोड़ (ख)	524.97	125.32
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	2244.49	1904.40

9.3 स्थिर आस्तियां

9.3.1 बैंक की नीति के अनुसार 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान 122 पात्र परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों/परिसरों में शामिल ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹1402.03 करोड़ (₹1181.28 करोड़) है और पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यहास को विचारार्थ लेते हुए 31.03.2016 को समाप्त पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति ₹1295.78 करोड़ (₹1016.14 करोड़) रही।

9.3.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष हेतु मूल्यहास की राशि ₹106.85 करोड़ (₹49.44 करोड़) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति खाते के समक्ष समायोजित किया गया।

9.3.3 ₹6.54 करोड़ (₹7.00 करोड़) की लागत वाली 4(7) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों/परिसरों के संबंध में हक विलेखों को कतिपय लंबित/प्रलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अब तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किया गया था।

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम ₹906.11 करोड़ (₹693.94 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है।

ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले ₹76.57 करोड़ (₹43.07 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है।

9.5 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में ₹0.44 करोड़ (₹0.44 करोड़) की रकम शामिल है।

9.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी)/एंटी मनी लॉण्डरिंग (एमएल) पर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने पर बैंक पर ₹1.50 करोड़ का दंड लगाया है, जिसका प्रावधान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया।

9.7 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2	3
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3218	2071
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3147	2072
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	73	2

9.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	10	25
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	10	25

2	Write-back of provision for Income Tax	127.96	53.83
3	Deferred Tax Assets/ Liability	105.12	32.92
4	Write back of Provision for restructured Investment	0.00	5.79
5	Write back of Provisions for Standard Advances	31.14	(119.14)
6	Write back of Provisions for Restructured Advances	260.75	(20.43)
7	Other provision and contingencies	0.00	4.38
	Sub-total (B)	524.97	125.32
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	2244.49	1904.40

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 As per Bank's policy, revaluation of 122 eligible properties has been done during the year ended 31.03.2016. The gross amount of such revaluation included in properties / premises as at the end of the year is ₹ 1402.63 crores (₹ 1181.28 crores) and considering the depreciation on revaluation, the closing Revaluation Reserve as on 31.03.2016 is ₹ 1295.78 crores (₹ 1016.14 crores).

9.3.2 Depreciation for the current year amounting to ₹ 106.85 crores (₹ 49.44 crores) on revalued assets has been adjusted against Revaluation Reserve Account.

9.3.3 The title deeds in respect of 4 (7) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crores (₹ 7.00 crores) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

9.4 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to ₹ 906.11 crores (₹ 693.94 crores) which have not been cancelled because of pending completion formalities.

Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹ 76.57 crores (₹ 43.07 crores) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions

9.5 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include ₹ 0.44 crore (₹ 0.44 crore) towards unclaimed Share Application Money.

9.6 RBI had imposed a penalty of ₹ 1.50 crores on the Bank for violation of Reserve Bank of India instructions on Know Your Customer/ Anti Money Laundering which was provided for during financial year 2014-15.

9.7 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	2	3
(b)	No. of complaints received during the year	3218	2071
(c)	No. of complaints redressed during the year	3147	2072
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	73	2

9.8 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

S. N.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	10	25
(c)	No. of Awards implemented during the year.	10	25

(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
-----	---	---	---

9.9 वर्ष के दौरान बैंक के एटीएम संव्यवहारों के संबंध में ग्राहक शिकायतों के विवरण

क्र.	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	256	3484
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	59225	69767
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	59227	72995
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	204	256

9.10 एटीएम संव्यवहारों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2015-16	2014-15
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	8	5
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	8	5
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.11 चुकौती आश्वासन पत्र

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹2360.00 करोड़ के 1189 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1767.71 करोड़ के 1347 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुद्देया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31.03.2015 को ₹748.18 करोड़ के 478 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31 मार्च, 2016 को ₹811.86 करोड़ के 360 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे।

9.12 बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन ₹11.46 करोड़ (₹11.19 करोड़) की आय और ₹1.59 करोड़ (शून्य) की अन्य आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.	आय का स्वरूप	2015-16	2014-15
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	6.83	7.02
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	4.60	4.13
3	म्युच्युअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	0.03	0.04
4	अन्य	1.59	0.00
	कुल	13.05	11.19

(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0
-----	---	---	---

9.9 The details of Customer complaints on account of ATM transactions dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	256	3484
(b)	No. of complaints received during the year	59225	69767
(c)	No. of complaints redressed during the year	59227	72995
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	204	256

9.10 The details of awards passed by the Banking Ombudsman on account of ATM transactions are as under:

S. N.	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	8	5
(c)	No. of Awards implemented during the year	8	5
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

9.11 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, 1189 Trade credits amounting to ₹ 2360.00 crores (previous year 1347 trade credits amounting to ₹ 1767.71 crores) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favour of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March 2016, 360 trade credits amounting to ₹ 811.86 crores were outstanding as against 478 trade credits amounting to ₹ 748.18 crores as on 31st March, 2015

9.12 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is ₹11.46 crores (₹ 11.19 crores) and other income of ₹ 1.59 crores (Nil). The details of Bancassurance income is as under:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2015-16	2014-15
1	For selling life insurance policies	6.83	7.02
2	For selling non-life insurance policies	4.60	4.13
3	For selling mutual fund products	0.03	0.04
4	Others	1.59	0.00
	Total	13.05	11.19



9.13 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ)

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	2015-16	2014-15
डीईएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	52.66	शून्य
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित रकम	13.83	52.67
घटाएं - डीईएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	0.00	0.01
डीईएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	66.49	52.66

9.14 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है. राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है.

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबद्ध किया है.

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है .

10.3 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹78.66 करोड़ (₹75.12 करोड़) रही.

10.4 लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारियों के लाभ "

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं : (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
क) भविष्य निधि	0.31	0.25
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	0.00	0.00

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं

क) **पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50% है. यह निधिगत योजना है.

ख) **उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है.

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संघीय छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है. यह गैरनिधि योजना है.

9.13 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance of amount transferred to DEAF	52.66	Nil
Add: Amount transferred to DEAF during the year	13.83	52.67
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.01
Closing balance of amount transferred to DEAF	66.49	52.66

9.14 Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts

10.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realisation basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is ₹ 78.66. crores (₹ 75.12 crores).

10.4 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans: (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
a. Provident Fund	0.31	0.25
b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan** - This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan** - This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment / Compensated Absences** -This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुटी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	3729.84	3216.27	495.39	506.05	275.06	235.24
2	ब्याज लागत Interest Cost	274.79	247.45	34.57	36.97	19.92	17.68
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	413.77	454.02	29.32	26.79	36.39	35.67
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(368.31)	(246.19)	(98.54)	(87.87)	(36.38)	(28.40)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	132.14	58.29	23.08	13.45	(24.76)	14.87
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	4182.24	3729.84	483.82	495.39	270.23	275.06

II योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	3676.60	3115.90	489.12	453.68
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	321.70	293.83	42.80	34.39
3	किया गया अंशदान Contributions made	540.76	481.05	52.27	85.74
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(368.31)	(246.19)	(98.54)	(87.87)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/(losses)	9.73	32.01	(3.79)	3.18
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	4180.48	3676.60	481.86	489.12

III तुलन पत्र में निर्धारित रकम

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुटी नकदीकरण LEAVE ENCASHMEN	
		31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	4182.24	3729.84	483.82	495.39	4666.06	4225.23	270.23	275.06
2	योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(4180.48)	(3676.60)	(481.86)	(489.12)	(4662.34)	(4165.72)	(0.00)	(0.00)



3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	1.76	53.24	1.96	6.27	3.72	59.51	270.23	275.06
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	1.76	53.24	1.96	6.27	3.72	59.51	270.23	275.06

IV लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकम:

IV. Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	413.77	454.02	29.32	26.79	36.39	35.67
2	ब्याज लागत Interest Cost	274.79	247.45	34.57	36.97	19.91	17.68
3	Expected Return on Plan Assets योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय	(321.70)	(293.83)	(42.80)	(34.39)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	122.42	26.27	26.86	10.27	(24.76)	14.87
5	सेवा पश्चात् लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	निर्धारित किए जाने वाले व्यय Expense to be recognised	489.28	433.92	47.96	39.64	31.54	68.22
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	489.28	433.92	47.96	39.64	31.54	68.22

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

V. Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	53.24	100.37	6.27	52.37	275.06	235.24
2	निर्धारित व्यय Expense recognised	489.28	433.92	47.96	39.64	31.54	68.22
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/ Benefits paid	(540.76)	(481.05)	(52.27)	(85.74)	(36.37)	(28.40)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	1.76	53.24	1.96	6.27	270.23	275.06

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

VI. Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

क्र. सं.	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	321.70	293.83	42.80	34.39
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर बीमाकिक लाभ (हानि) Actuarial gain /(loss) on plan assets	9.73	32.01	(3.79)	3.18
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	331.43	325.84	39.01	37.57

VII. मूल बीमाकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र.सं. Sr No	विवरण	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	भांजित दर Discount rate	7.75%	8.00%	7.75%	8.00%	7.75%	8.00%
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.75%	9.43%	8.75%	7.58%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

C. Other Long Term Benefits:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2015	31.03.2014
1	पुनर्स्थापन भत्ता	1.20	0.26
2	छुट्टी किराया रियायत	18.85	10.16
3	रजत जयंती पुरस्कार	0.03	0.11
	जोड़	20.08	10.53

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2016	31.03.2015
1	Resettlement Allowance	1.20	0.26
2	Leave Fare Concession	18.85	10.16
3	Silver Jubilee Award	0.03	0.11
	Total	20.08	10.53

10.5 लेखा मानक 17- क्षेत्र रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है।

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र

10.5 Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

व्यवसाय क्षेत्र - Business Segments	खजाना Treasury		संस्थागत/ थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व Revenue	3106.57	2942.40	6676.80	6555.92	3899.26	3864.19	389.65	308.91	14072.28	13671.42
परिणाम Result	323.79	260.22	(293.36)	409.57	338.50	82.69	48.84	60.90	417.77	813.38
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									417.77	813.38
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									317.08	362.69



असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									100.69	450.69
अन्य जानकारीयां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	39000.66	37451.69	72228.59	60680.26	37924.10	40320.86	10859.27	6628.76	160012.62	145081.58
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									944.71	937.21
कुल आस्तियां Total assets									160957.32	146018.79
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	38336.91	36784.11	67345.86	55640.23	35167.74	36764.10	11319.67	8660.95	152170.18	137849.39
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	102.06
पूँजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									8787.14	8067.34
कुल देयताएं Total liabilities									160957.32	146018.79

- क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।
- ख) निगमित/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां
- कुल औसत वार्षिक पण्यवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया विगोपन बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र रिटेल विगोपन ₹5.00 करोड़ तक है।
- घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

क. संबंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके संबंध:

(क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

(ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

- श्री सुशील मुहनोत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से अब तक)
- श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से अब तक)
- श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से अब तक)

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.
- b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/s or to a small business where
- Total average annual turnover less than ₹ 50 crores and
 - No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 Crores.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.6 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

- Shri Sushil Muhnot Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 to till date)
- Shri R. Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 to till date)
- Shri R. K. Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)

ख. संबंधित पक्षों से संव्यवहार - (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.16	31.03.15
वेतन व भत्ते (परिलब्धियों सहित)	0.62	0.55
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम	0.55	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की जमाराशि	0.06	0.26
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा जमाराशियों का नियोजन	0.25	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को चुकता ब्याज	0.03	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त ब्याज	0.05	0.00

एस-18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 के मद्देनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है।

10.7 लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मूल प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	₹0.91	₹4.50
डायल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन	₹0.91	₹4.50
मूल / डायल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना.		
क) कर उपरांत निवल लाभ (₹. लाख में)	10068.52	45069.18
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	11117.36	10011.75
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹0.91	₹4.50
ड) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है तथा ऐसी सहायक कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर समेकन किया गया है।

10.9 लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने एस- 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण	0.00	0.00
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	92.49	78.20
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	39.94	199.41
उप जोड़ (क)	132.43	277.61
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	171.68	121.93
2) निवेश पर मूल्यहास के रूप में	161.08	194.30
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के रूप में	3.29	14.42
उप जोड़ (ख)	336.05	330.65
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	(-)203.62	(-)53.04

B. Transactions with Related parties (₹ in Crores)

Particulars	31.03.16	31.03.15
Salary & Allowances (including perquisites)	0.62	0.55
Loans & Advances to Key Management Personnel	0.55	0.00
Deposits of Key Management Personnel	0.06	0.26
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.25	0.00
Interest paid to Key Management Personnel	0.03	0.03
Interest received from Key Management Personnel	0.05	0.00

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.7. Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Basic E.P.S.	₹0.91	₹4.50
Diluted E.P.S.	₹0.91	₹4.50
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (₹ in Lakhs)	10068.52	45069.18
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	11117.36	10011.75
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹0.91	₹4.50
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively and consolidation is made on the strength of unaudited financial statements of such associate.

10.9 Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income

The bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	0.00	0.00
2) On account of provisions for Employees benefits	92.49	78.20
3) Other Provisions where DTA is created	39.94	199.41
Sub-Total (A)	132.43	277.61
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	171.68	121.93
2) On account of Depreciation on Investment	161.08	194.30
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	3.29	14.42
Sub-Total (B)	336.05	330.65
Net Deferred Tax Asset (A-B)	(-)203.62	(-)53.04

10.10 लेखा मानक 24 - परिचालन का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचलनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.11 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि	3 वर्ष
परिशोधन दर	33.33%
परिशोधन पद्धति	लागत पर सरल रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	33.86	15.99
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	34.17	34.80
वर्ष के दौरान परिशोधन	22.67	16.93
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	45.36	33.86

10.12 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का खराब होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं। इसलिए लेखा मानक - 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

10.13 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

11 ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान की दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र. बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिती को प्रभारित की जानी है। तदनुसार बैंक ने चार तिमाहियों में ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षिती को नामे परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
3441	12	1685.19	95.45	41.24	54.21

12 चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/पुनःवर्गीकृत किया गया।

10.10 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2015-16, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.11 Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	- 3 years.
Amortization Rate	- 33.33 %
Amortization Method	- Straight line at cost

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Software at the beginning of the year	33.86	15.99
Software acquired during the year	34.17	34.80
Amortization during the year	22.67	16.93
Net carrying amount at the end of the year	45.36	33.86

10.12 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.13 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end. Accordingly, the bank has made such provision in four quarters; as detailed below:

(₹ in Crore)

Up to the year ended 31.03.2016 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2016 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2016 (Amount)	During the quarter ending 31.03.2016 (Amount)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2016 (Amount)	Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2016 (Amount)
3441	12	1685.19	95.45	41.24	54.21

12. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure

बेसल III - 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं। बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी, न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-1 अनुपात 8.00% होगा और न्यूनतम टियर-1 अनुपात 9.50% होगा।

बेसल III ढांचे में तीन आपसी संबलित पिलर्स शामिल हैं -

- पिलर 1 : न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)
- पिलर 2 : पर्यवेक्षकीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया
- पिलर 3 : बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं। ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं।

सारणी डीएफ-1: अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

(i) गुणात्मक प्रकटन

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity/Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/ना) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/ना) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	ला.न. NA	ला.न. NA	यह इकाई बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है। पूंजी निवेश की कटौती बैंक की सीईटी-1 पूंजी से की गयी है। Entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation. Capital Investment is deducted from CET1 capital of Bank.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) / इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	ला.न. NA	ला.न. NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है। अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है। Entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%.

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. Upon full implementation, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio would be 8.00% and minimum Tier 1 ratio would be 9.50%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

- Pillar 1: Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)
- Pillar 2: Supervisory Review and Evaluation Process
- Pillar 3: Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of head of the banking group to which framework applies: : **BANK OF MAHARASHTRA**

(i) Qualitative Disclosures:



क) समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) इंडिया
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

ख) समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

1. The Maharashtra Executors & Trustee Company Private Limited (METCO)
2. Maharashtra Gramin Bank (MGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

(राशि ₹ मिलियन में) (₹ in Million)

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

ii) मात्रात्मक प्रकटन

(ii) Quantitative Disclosures

ग) समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

C. List of group entities considered for consolidation (accounting)

(राशि ₹ मिलियन में) (₹ in Million)

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	23.43 (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	113.65
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)	बैंकिंग Banking	3594.47 (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	74205.87

घ) सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात्, जिनकी कटौती की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2016 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है.

ङ) बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of the Bank which are not included in the regulatory scope of consolidation as of March 31, 2016.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनांक 31 मार्च, 2016 को कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within Banking Group as of March 31, 2016.

सारणी डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है। इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है।

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन की देखरेख समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में की जाती है। बैंक ने मार्गदर्शन देने हेतु पूंजी आयोजना समिति भी गठित की है।

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाव परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल हैं, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है। व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं महत्व के पश्चात् दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता है:

साख जोखिम (जिसमें अवशिष्ट जोखिम शामिल है)	निपटान जोखिम
बाजार जोखिम	बैंकिंग बहियों पर ब्याज दर जोखिम
परिचालन जोखिम	प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
साख केन्द्रीकरण जोखिम	रणनीतिक जोखिम
तरलता जोखिम	पेंशन बाध्यता जोखिम
देश जोखिम	कानूनी जोखिम
अनुपालन जोखिम	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत साख जोखिम के कम आकलन का जोखिम

बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाव जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाव परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है। पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाव जांच की जाती है।

निगरानी एवं रिपोर्टिंग:

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है। पूंजी पर्याप्तता और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है और पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन

ख. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक का प्रयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है। ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी 9.625% की आवश्यकता होती है जो निम्नानुसार है:

Table DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

Capital Management is administered by Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of Board of Directors. Bank has also formed Capital Planning Committee to provide guidance.

Internal Assessment of Capital:

Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines adequate level of capitalisation for Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after identification and evaluation of significance of all risks that Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. Bank considers following as risks it is exposed to in the normal course of its business and considers them for capital planning:

Credit Risk – including residuary risk	Settlement Risk
Market Risk	Interest Rate Risk on Banking Book
Operational Risk	Reputational Risk
Credit Concentration Risk	Strategic Risk
Liquidity Risk	Pension Obligation Risk
Country Risk	Legal Risk
Compliance Risk	Risk of underestimation of Credit Risk under the Standardized approach

Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. Stress tests are used in conjunction with Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of the Bank monitors the capital adequacy levels of the Bank. On a quarterly basis an analysis of the capital adequacy position and the risk weighted assets and an assessment of the various aspects of Basel III on capital and risk management are undertaken by Board.

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. The minimum capital required to be held at 9.625% for credit, market and operational risks is given below:



(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.सं	विवरण	राशि	राशि
(क)	ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी		
(i)	मानक दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग	85691.58	
(ii)	प्रतिभूतिकरण विगोपन के लिए	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		85691.58
(ख)	बाजार जोखिम		
(i)	ब्याज दर जोखिम	2616.63	
(ii)	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	
(iii)	इक्विटी जोखिम	638.51	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		3300.14
(ग)	परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत		6827.92
	मानक दृष्टिकोण के तहत (समानांतर)		6612.55
(घ)	पूंजी अनुपात		एकल (% में)
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात		7.88
	टीयर 1 पूंजी अनुपात		9.02
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सीसीबी सहित		11.20

सारणी-डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है। बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण की गई सीधी चूक से हानि उत्पन्न होती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन का संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है। बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं। बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है। इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है।

नीति व रणनीति

बैंक संरक्षी जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है। जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है।

(Amount in ₹ million)

S r . No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	Capital Required for Credit Risk		
(i)	Portfolios subject to Standardised Approach	85691.58	
(ii)	For Securitisation Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		85691.58
(B)	Market Risk		
(i)	Interest Rate Risk	2616.63	
(ii)	Foreign Exchange Risk (including Gold)	45.00	
(iii)	Equity Risk	638.51	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		3300.14
(C)	Capital Charge for Operational Risk		
	Under Basic Indicator Approach		6827.92
	Under The Standardized Approach (Parallel run)		6612.55
(D)	Capital Ratios		Standalone (In %)
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio		7.88
	Tier 1 Capital Ratio		9.02
	Total Capital Ratio(CRAR) – Including CCB		11.20

Table DF-3: Credit Risk - General Disclosures

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as possibility of losses associated with diminution in credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

Bank has comprehensive credit risk management architecture. Board of Directors of Bank endorses its Credit Risk strategy and approves credit risk policies. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across Bank and providing recommendations to RMC.

Policy & Strategy

Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and strategy of Bank are decided taking into account profit considerations, level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. Bank is

उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं। बैंक अपनी आस्थि गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है।

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

- उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
- ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
- निवेश प्रबंधन नीति
- रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति
- बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है। नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है। निवेश प्रबंधन नीति, निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति और बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं।

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं। विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है।

ऋण अनुमोदन समिति : बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृद्धि या बिना वृद्धि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष स्थापित किए हैं।

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है। उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमाण एवं निगरानी के जरिये करता है। बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं। ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार यथोचित जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है।

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है। प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है।

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

- बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न

conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

Bank has put in place following policies approved by Board.

- Lending & Loan Review Policy
- Credit Risk Management Policy
- Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- Investment Management Policy
- Policy for Exposure to Real Estate
- Policy for Issuance of Bank Guarantees

Lending & Loan Review Policy, Credit Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, processes and tools whereby credit risks carried by Bank can be identified, quantified and managed within framework that Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy, Policy on exposure to real estate and Policy for issuance of Bank Guarantee forms an integral part of credit risk.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Committees : Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. Bank has also setup centralized processing cells for considering credit proposals above specified limit.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables Bank to accurately assess the risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject the proposal based on the risk appetite of Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

As a measure of robust credit risk management practices, Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in Bank.

Loan review Mechanism: Objectives of the Loan Review Mechanism are:

- To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with Bank's Lending Policy and delegated lending powers.

प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना.

- ii) मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.
- iii) सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
- iv) आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध/कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
- v) बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है और बैंक अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन या अधिक की अवधि के लिए "अनियमित" रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को 'अनियमित' माना जाएगा.

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय होती है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत दिनांक पर न किया जाए.

मीयादी जमा राशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और जीवन बीमा पॉलिसियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो.

किसी भी अवसंरचना परियोजना हेतु कोई ऋण वसूली के अभिलेख के अनुसार (90 दिन अतिदेय) वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पूर्व किसी भी समय के दौरान अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो. अवसंरचना परियोजना हेतु कोई ऋण अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह वाणिज्यिक परिचालनों (डीसीसीओ) के मूल दिनांक से दो वर्षों के भीतर वाणिज्यिक

- ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by Bank are adhered to.
- iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.
- iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.
- v) To assess health of credit portfolio of Bank and to apprise Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

Regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning, Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- Account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC) for 90 days or more
- Bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by Bank.

Advances against term deposits, National Savings Certificates, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and Life insurance policies need not be treated as NPAs, provided adequate margin is available in the accounts.

A loan for an infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue), unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down as per RBI guidelines. A loan for an Infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from the original Date of Commencement of Commercial Operations (DCCO), even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down in the related RBI

परिचालन आरंभ करने से चूक जाए फिर चाहे वह वसूली के अभिलेख के अनुसार नियमित क्यों न हो बशर्ते कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो।

किसी गैर अवसंरचना परियोजना (वाणिज्यिक रियल इस्टेट विगोपन को छोड़कर) हेतु कोई ऋण वसूली के अभिलेख के अनुसार (90 दिन अतिदेय) वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पूर्व किसी भी समय के दौरान अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो। किसी भी गैर अवसंरचना परियोजना (वाणिज्यिक रियल इस्टेट विगोपन को छोड़कर) हेतु कोई ऋण अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह वाणिज्यिक परिचालनों (डीसीसीओ) के मूल दिनांक से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने से चूक जाए फिर चाहे वह वसूली के अभिलेख के अनुसार नियमित क्यों न हो बशर्ते कि उसे पुनर्गठित न किया गया हो और वह भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसरण में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र न हो गया हो।

वाणिज्यिक रियल इस्टेट परियोजना के लिए ऋण वसूली के अभिलेख के अनुसार (90 दिन अतिदेय) कोई वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने से पूर्व किसी भी समय के दौरान या यदि वह परियोजना मूल डीसीसीओ से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने से चूक जाए या फिर ऋण का पुनर्गठन किया गया हो तो उसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

मात्रात्मक प्रकटन:

1) कुल सकल ऋण विगोपन (₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2016
निधिक	1234258.80
गैर-निधिक	200408.90

2) ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण है. (₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2016	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1234258.80
गैर-निधिक	शून्य	200408.90

3) उद्योगवार वितरण (₹ मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.1	खनन व उत्खनन (कोयला सहित)		14332.10		7438.90
3.2	खाद्य प्रसंस्करण		9540.50		1238.00
3.2.1	चीनी	5680.80		1159.00	
3.2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	6.90		0.00	
3.2.3	चाय	227.90		0.00	
3.2.4	अन्य	3624.90		79.00	
3.3	पेय (Beverage) व तंबाखु		288.90		16.70
3.4	वस्त्र		29809.20		4187.10
3.4.1	सूती वस्त्र	10468.00		1605.50	
3.4.2	पटसन वस्त्र	194.60		88.50	
3.4.3	मानव निर्मित वस्त्र	31.60		15.40	
3.4.4	अन्य वस्त्र	19115.00		2477.70	
3.5	चमड़ा व चर्म उत्पाद		494.30		40.20
3.6	लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद		1391.20		299.60
3.7	कागज व कागज उत्पाद		4548.50		704.60

guidelines.

A loan for a non-infrastructure project (other than commercial real estate exposure) will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue), unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down in the related RBI guidelines. A loan for a non-infrastructure project (other than commercial real estate exposures) will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within one year from the original DCCO, even it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as 'standard asset' in terms of conditions laid down in the related RBI guidelines.

A loan for commercial real estate project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue), or if the project fails to commence commercial operations within one year from the original DCCO or if the loan is restructured

Quantitative Disclosures

1. The Total Gross Credit exposure:

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2016
Fund Based	1234258.80
Non-Fund Based	200408.90

2. Geographic Distribution of credit exposure :

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2016	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1234258.80
Non-Fund Based	NIL	200408.90

3. Industry-wide Distribution:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.1	Mining and Quarrying (incl. Coal)		14332.10		7438.90
3.2	Food Processing		9540.50		1238.00
3.2.1	Sugar	5680.80		1159.00	
3.2.2	Edible Oil and Vanaspati	6.90		0.00	
3.2.3	Tea	227.90		0.00	
3.2.4	Others	3624.90		79.00	
3.3	Beverage and Tobacco		288.90		16.70
3.4	Textiles		29809.20		4187.10
3.4.1	Cotton Textiles	10468.00		1605.50	
3.4.2	Jute Textiles	194.60		88.50	
3.4.3	Man-Made Textiles	31.60		15.40	
3.4.4	Other Textiles	19115.00		2477.70	
3.5	Leather and Leather Products		494.30		40.20
3.6	Wood and Wood Products		1391.20		299.60
3.7	Paper and Paper Products		4548.50		704.60
3.8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels of which:		24203.90		585.60



क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन	गैर-निधिक विगोपन
3.8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लियर इंधन जिसमें से :	24203.90	585.60
3.8.1	पेट्रोलियम	15741.30	21.00
3.9	केमिकल व केमिकल उत्पाद	35632.90	2881.70
3.9.1	उर्वरक	9315.40	750.90
3.9.2	औषध व भेषज	14110.60	950.50
3.9.3	पेट्रो केमिकल्स	10874.70	922.60
3.9.4	अन्य	1332.20	257.70
3.10	रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पाद	4960.50	1322.70
3.11	कांच और कांच की वस्तुएं	1887.00	135.90
3.12	सीमेंट व सीमेंट उत्पाद	14838.30	370.90
3.13	मूल धातु व धातु उत्पाद	57431.10	13636.70
3.13.1	लोहा व इस्पात	32752.60	3897.90
3.13.2	अन्य धातु व धातु उत्पाद	24678.50	9738.80
3.14	सभी अभियांत्रिकी	43025.50	24289.40
3.14.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	9333.90	4870.90
3.14.2	अन्य	33691.60	19418.50
3.15	वाहन एवं वाहन के पुर्ज तथा परिवहन उपकरण	20829.30	953.00
3.16	रत्न और जवाहरात	6419.00	734.40
3.17	निर्माण (मूलभूत संरचना के अलावा)	56.50	0.70
3.18	मूलभूत संरचना	139392.50	25624.20
3.18.1	पावर	81474.90	10045.60
3.18.2	टेलीकम्युनिकेशन	8761.70	69.80
3.18.3	रस्ते	28694.90	9958.50
3.18.4	हवाई अड्डा	4853.00	0.00
3.18.5	पोर्ट	3556.20	0.00
3.18.6	रेल्वे (भारतीय रेल्वे के अलावा)	103.70	177.80
3.18.7	अन्य मूलभूत संरचना	11948.10	5372.50
3.19	अन्य उद्योग	5895.70	3530.00
3.20	अन्य शेष अग्रिम	819281.90	112418.60
	कुल	1234258.80	200408.90

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है .

उद्योग	विगोपन का %
पावर	6.38%

4) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण : (₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	110.00	10711.49	733.68
2 से 7 दिन	7547.05	15293.20	174.26
8 से 14 दिन	6992.43	18678.82	267.75
15 से 28 दिन	3571.58	80124.82	5904.76
29 दिन से 3 महीने	7370.36	77614.65	9248.99
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	4657.68	114233.35	1314.53
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	13297.42	96401.27	6089.81
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	59582.64	437771.96	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	45660.10	157768.06	0.00

Sr. No.	Industry	Funded Exposure	Non-Fund Exposure
3.8.1	Petroleum	15741.30	21.00
3.9	Chemicals and Chemical Products	35632.90	2881.70
3.9.1	Fertiliser	9315.40	750.90
3.9.2	Drugs & Pharmaceuticals	14110.60	950.50
3.9.3	Petro Chemicals	10874.70	922.60
3.9.4	Others	1332.20	257.70
3.10	Rubber, Plastic & their Products	4960.50	1322.70
3.11	Glass & Glassware	1887.00	135.90
3.12	Cement & Cement Products	14838.30	370.90
3.13	Basic Metal & Metal Product	57431.10	13636.70
3.13.1	Iron & Steel	32752.60	3897.90
3.13.2	Other Metal & Metal Product	24678.50	9738.80
3.14	All Engineering	43025.50	24289.40
3.14.1	Electronics	9333.90	4870.90
3.14.2	Others	33691.60	19418.50
3.15	Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	20829.30	953.00
3.16	Gems & Jewellery	6419.00	734.40
3.17	Construction (other than Infrastructure)	56.50	0.70
3.18	Infrastructure	139392.50	25624.20
3.18.1	Power	81474.90	10045.60
3.18.2	Tecommunication	8761.70	69.80
3.18.3	Roads	28694.90	9958.50
3.18.4	Airports	4853.00	0.00
3.18.5	Ports	3556.20	0.00
3.18.6	Railways (other than Indian Railways)	103.70	177.80
3.18.7	Other Infrastructure	11948.10	5372.50
3.19	Other Industries	5895.70	3530.00
3.20	Residuary Other Advances	819281.90	112418.60
	Total	1234258.80	200408.90

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
Power	6.38%

4. The Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 days	110.00	10711.49	733.68
2 to 7 days	7547.05	15293.20	174.26
8 to 14 days	6992.43	18678.82	267.75
15 to 28 days	3571.58	80124.82	5904.76
29 days to 3 months	7370.36	77614.65	9248.99
Over 3 months and upto 6 months	4657.68	114233.35	1314.53
Over 6 months and upto 1 year	13297.42	96401.27	6089.81
Over 1 year and upto 3 years	59582.64	437771.96	0.00
Over 3 years and upto 5 years	45660.10	157768.06	0.00
Over 5 years	214529.93	103805.21	0.00
Total	363319.19	1112402.83	23733.78

5 वर्ष से अधिक	214529.93	103805.21	0.00
कुल	363319.19	1112402.83	23733.78

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन:

घरेलू : (₹ मिलियन में)

		31.03.2016
क)	सकल अनर्जक आस्तियाँ	
	अवमानक	53426.57
	संदिग्ध 1	22809.81
	संदिग्ध 2	21262.89
	संदिग्ध 3	917.20
	हानि	5442.06
	कुल	103858.53
ख)	निवल अनर्जक आस्तियाँ	68320.30
ग)	अनर्जक आस्ति अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	9.34
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	6.35
घ)	अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
I	प्रारंभिक शेष	64020.60
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृद्धि	57238.51
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	17400.58
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i + ii - iii)	103858.53
च)	प्रावधानों की गतिशीलता	
च1	विशिष्ट प्रावधान	
I	प्रारंभिक शेष (प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर सहित)	19775.05
II	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	21640.55
III	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	8755.11
IV	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	5.80
V	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	0.00
VI	अंतिम शेष (i+ii- iii-iv(+/-v))	32666.28
च2	सामान्य प्रावधान	
I	आरंभिक शेष	1589.84
II	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	0.00
III	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	0.00
IV	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
V	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	0.00
VI	अंतिम शेष (i+ii- iii-iv(+/-v))	1589.84
छ)	वर्ष के दौरान बट्टे खाते	9033.09
ज)	वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए खातों में वसूली	728.30
झ)	अनर्जक निवेश (एनपीआई)	1023.00
ञ)	अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	561.00
ट)	निवेशों के लिए मूल्यहास हेतु प्रावधान का संचलन (अनर्जक निवेशों, एमटीएम मूल्यहास और पुनर्संरचित निवेशों के प्रावधान सहित)	

5. Disclosures for NPAs & NPIs :

Domestic:

(Amount in ₹ million)

		31.03.2016
(A)	Gross NPA	
	Sub-standard	53426.57
	Doubtful 1	22809.81
	Doubtful 2	21262.89
	Doubtful 3	917.20
	Loss	5442.06
	Total	103858.53
(B)	Net NPA	68320.30
(C)	NPA Ratios	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	9.34
	% of Net NPAs to Net Advances	6.35
(D)	The movement of Gross NPA	
I	Opening Balance	64020.60
II	Add:-Addition during the period	57238.51
III	Less:- Reduction during the period	17400.58
	Closing balance as at the end of the year (i + ii - iii)	103858.53
(E)	Movement of provision	
E1	Specific Provision	
i.	Opening Balance	19775.05
ii.	Provisions made during the year	21640.55
iii.	Write-off made during the year	8755.11
iv.	Write-back of excess provisions	5.80
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v))	32666.28
E2	General Provisions	
i.	Opening Balance	1589.84
ii.	Provisions made during the period	0.00
iii.	Write-off made during the period	0.00
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v))	1589.84
(F)	Write off during the year	9033.09
(G)	Recovery in the written off accounts during the year	728.30
(H)	Non Performing Investments (NPI)	1023.00
(I)	Provisions for NPI	561.00
(J)	Movement of provision for depreciation on investments (including provision of Non Performing Investments, MTM depreciation and Restructured Investments)	



I	आरंभिक शेष	542.00
II	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	520.00
III	अवधि के दौरान किये गये बढ़े खाते	0.00
IV	वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	52.00
V	स्थानांतरण के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	0.00
	समापन शेष (i+ii-iii-iv-v)	1010.00
(ठ)	उद्योग वार	
	अनर्जक आस्ति की राशि	53760.10
	विनिर्दिष्ट प्रावधान	14166.10
	सामान्य प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान बढ़े खाते	0.00

समुद्रपारीय - शून्य

पांच प्रमुख उद्योगों के उद्योगवार प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ मिलियन में)

		अनर्जक आस्ति	प्रावधान
क	अवसंरचना	8832.30	2184.70
	ऊर्जा	2240.60	890.50
	सड़क	5308.40	1029.30
	अन्य अवसंरचना	1283.30	264.90
ख	सभी इंजिनियरींग	6977.10	1829.60
ग	मूल धातु व धातु उत्पाद (लोहे व स्टील सहित)	20482.10	4001.20
घ	रसायन व रासायनिक उत्पाद	4038.40	1567.30
ड.	कपड़ा	4891.40	1609.90

6. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन

(₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	31.03.2016
1.	यूएफसीई के कारण किया गया अतिरिक्त प्रावधान	248.40
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	737.62

सारणी डीएफ-4 - ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग

क. गुणात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है. मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां ये रेटिंग उपलब्ध हैं वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है.

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग
4. ईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. भारतीय एसएमई रेटिंग एजेन्सी लिमि. (स्मेरा)

I	Opening balance	542.00
II	Provisions made during the year	520.00
III	Write-off made during the year	0.00
IV	Write -back of excess provision made during the year	52.00
V	Provisions used during shifting	0.00
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	1010.00
(K)	Industry-wise	
	Amount of NPAs	53760.10
	Specific Provisions	14166.10
	General Provisions	0.00
	Specific Provisions made during the year	0.00
	Write offs during the year	0.00

Overseas - NIL

The Industry-wise Provision of five major industries is as below

(Amount in ₹ million)

		NPA	Provision
A	Infrastructure	8832.30	2184.70
	Power	2240.60	890.50
	Roads	5308.40	1029.30
	Other Infrastructure	1283.30	264.90
B	All Engineering	6977.10	1829.60
C	Basic Metal & Metal Product (Incl Iron and Steel)	20482.10	4001.20
D	Chemicals & Chemical Products	4038.40	1567.30
E	Textiles	4891.40	1609.90

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	248.40
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	737.62

Table DF-4 - Credit Risk: Portfolios Subject to the Standardized Approach

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under the Standardised Approach:

Bank uses standardized approach to measure capital requirements for credit risk. As per Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों के लिए उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है। बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही इन्हें किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है।

बैंक की बाह्य रेटिंग को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा।
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के जोखिम भारत विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है। जहाँ जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्ते कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो।
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियों सूचित की हैं। इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतर रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों/ बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

अनाहरित विगोपनों से व्यवहार :

विनियामक मानदंडों की अपेक्षानुसार बैंक ऋण सुविधाओं के अनाहरित भाग के लिए भी पूंजी धारित करता है जो प्रयोज्य ऋण परिवर्तनकारक (सीसीएफ) पर आधारित समकक्ष ऋण प्रकटन में इन ऋणों को परिवर्तित कर बैंक द्वारा पूर्वसूचना के बिना शर्तहीन रूप से निरस्त करनेयोग्य होते हैं।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियाँ, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2016 को विगोपन राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	राशि
i	100% जोखिम भार से कम	1322122.91
ii	100% जोखिम भार	275715.70
iii	100% जोखिम भार से अधिक	241594.10
	उप जोड़	1839432.71
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य	55696.04
	कुल विगोपन	1895128.75

सारणी-डीएफ-5- ऋण जोखिम प्रशमन: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

• ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियाँ

बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है।

• संपार्श्विक प्रबंधन

बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित

Types of exposures for which each agency is used:

Bank has used solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures. Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Key aspects of the Bank's External Ratings application framework are as follows:

- Bank shall use ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting borrower's exposures. Where issuer rating is available Bank uses such ratings unless bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, lower rating, where there are two ratings and second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by credit rating agencies, Bank is guided by Regulatory guidelines.

Treatment of undrawn exposures:

As required by the regulatory norms, the Bank holds capital even for the undrawn portion of credit facilities which are not unconditionally cancellable without prior notice by the Bank, by converting such exposures into a credit exposure equivalent based on the applicable Credit Conversion Factor (CCF).

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2016 after risk mitigation subject to Standardized Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Exposure Outstanding
i	Below 100 % risk weight	1322122.91
ii	100 % risk weight	275715.70
iii	More than 100 % risk weight	241594.10
	sub total	1839432.71
iv	Deducted CRM Value	55696.04
	Total Exposure	1895128.75

Table DF-5 – Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative Disclosures

• Policies for Credit Risk Mitigation:

Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

• Collateral Management

Bank defines collateral as it is an additional or sub-ordinate security given, over and above primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to Bank for recovery

किया है। यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/ अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होतीं। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है।

• संपार्श्विक मूल्यांकन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण में बैंक बेसल - III द्वारा विनिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है। बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन / निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके। बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए।

• बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण

ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

- o बैंकों में नकद जमा
- o स्वर्ण, बुलियन और आभूषणों सहित
- o केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- o किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- o बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- o कम-से-कम बीबीबी(-), पीआर3/एफ3/ए3 की रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियाँ।
- o म्युचुअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है।

• प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख

जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अविकल्पी होती है। बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्रीय सरकार /ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है।

• ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उधारकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्त्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है। वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटन:

- क) अलग-अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहाँ लागू है वहाँ ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

of loans in default situations. At times, these securities are not connected to main business of the borrower or may not be owned by the borrower. Bank ensures that underlying documentation for collateral provides Bank appropriate rights over collateral or other forms of credit enhancement including right to liquidate/ retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by counterparty.

• Collateral Valuation

As stipulated by RBI guidelines, Bank uses comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by eligible financial collateral as specified in Basel III guidelines. Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Lending Policy duly approved by Board, which lay down the types of securities normally accepted by Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of Bank so as to minimize risk associated with it. Both fixed and current assets obtained to secure loans granted by Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by Bank. In respect of high value of collateral, valuation from two or more valuers is obtained.

• Description of the main types of collateral taken by Bank

For computation of capital requirement for Credit Risk, Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as under:

- o Cash Deposit with bank
- o Gold, including bullion and Jewellery
- o Securities issued by Central and State Governments
- o Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
- o Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
- o Debt securities including Certificate of Deposit rated at least BBB(-), PR3/F3/A3
- o Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

• Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

Wherever required Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE as a security comfort.

• Concentrations within Credit Risk Mitigation

The RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

- (a) For each separately disclosed credit risk portfolio total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts.

(₹ मिलियन में)

	31.03.2016
मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन (तुलनपत्र पूर्व या तुलनपत्र पश्चात समायोजन करने के बाद, जहां कहीं लागू हो)	55696.04

ख) अलग-अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(₹ मिलियन में)

	31.03.2016
गारंटियों (केन्द्र सरकार गारंटी, राज्य सरकारी गारंटी, सीजीटीएमएसई) द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन	21257.99

सारणी डीएफ-6: प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक ने वर्ष 31.03.2016 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

मात्रात्मक प्रकटन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन लागू नहीं है।

सारणी डीएफ-7 व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम

बैंक को बाजार के व्युत्पन्न जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एफएस और एचएफटी दोनों श्रेणियों) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है। बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एलएम) विद्यमान है। उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमाणन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो। नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी निगरानी हेतु रिपोर्टिंग संरचना का भी समावेश है। नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाइट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्ग्रेगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है। प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनकी निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है। बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों से निपटने हेतु किये जाने वाले

(Amount in ₹ million)

	31.03.2016
Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts	55696.04

(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Amount in ₹ million)

	31.03.2016
Total exposure that is covered by guarantees (Central Government Guarantee, State Government Guarantee, CGTMSE)	21257.99

Table DF-6 SECURITIZATION EXPOSURE

Qualitative Disclosures:

Bank does not have any case of its assets securitized as on 31st March 2016.

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is **Not Applicable**

Table DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

Bank has put in place Board approved Investment Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby market risks carried by Bank are identified, measured, monitored and controlled within policy framework consistent with Bank's risk tolerance. Policies deal with reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for counterparty banks and exposures are monitored on daily basis.

ALM Policy deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic

विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं। बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रूप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसिस के जरिये किया जाता है और निगरानी की जाती है। बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेशन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआन) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) का प्राक्कलन करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाजार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। डीलिंग रूम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रूम के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है। खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाजार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे।

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंध किया जा सके अर्थात् इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो। इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है।

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं- (₹ मिलियन में)

	जोखिम की श्रेणी	31.03.2016
i	ब्याज दर जोखिम	2616.63
ii	इक्विटी स्थिति जोखिम	45.00
iii	विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	638.51
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)	3300.14

सारणी डीएफ-8 परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों का जोखिम होता है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां -

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एवं एएमए) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु अन्य नीतियां यथा क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति घ) बाह्यस्रोत-उपयोग नीति और ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन का समावेश है

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं।

stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored. Bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by Bank and determines strategy in light of market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor dealing room activities. Mid-Office at Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage market risks it faces, in Trading or Banking Book.

Bank's Market Risk Management Policy aims to set out broad outlines of processes by which market risks carried by Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from Bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

Quantitative Disclosure:

Capital requirement for Market Risk is as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2016
i	Interest Rate Risk	2616.63
ii	Equity Position Risk	45.00
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	638.51
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	3300.14

Table DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with RBI Guidelines for Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA). Other policies which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: Operational Risk Management process of Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in Bank.

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है। जोखिम अंतरण के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रूप से बीमांकित हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकाएँ तय करने के द्वारा बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है। बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिए किया जाता है।

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण: बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक को परिचालन जोखिम हेतु पूंजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए समकक्ष विकल्प के तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में प्रस्थापन हेतु समानांतर संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। तथापि, बैंक को विनियामक उद्देश्य हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत गणना किए अनुसार पूंजी प्रभार के रखरखाव की अनुमति दी गई है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार ₹ 6827.92 मिलियन है।

सारणी डीएफ-9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है। ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है।

- जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है।
- इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंगित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन:

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए 100 बीपीएस का समांतर अंतरण	
	31.03.2016	
	(+)100 आधार पॉइंट	(-)100 आधार पॉइंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	3081.41	- 3081.41

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2016	
	(+)200 आधार पॉइंट	(-)200 आधार पॉइंट
	829.14	- 829.14

Bank has been constantly reviewing legal documents to ensure that legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, Bank has obtained insurance cover for all assets owned by Bank. It is also ensured that assets financed by Bank are also adequately insured, as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. Basic objective of policy is to closely integrate operational risk management system into day-to-day risk management processes of Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk: Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. Bank has received approval for migration to 'The Standardised Approach' (TSA) for calculating Operational Risk Capital Charge as a parallel run. However, Bank has been allowed to maintain capital charge as per Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory purpose.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is Rs 6827.92 Million.

Table DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to potential adverse financial impact on Bank's Banking Book from changes in interest rates. Interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

- Earnings at Risk:** Impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.
- Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing impact (as a percentage) on economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with the method suggested by RBI.

Impact on Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI. The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in ₹ Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2016	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	3081.41	- 3081.41

Economic Value of Equity:

	31.03.2016	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	829.14	- 829.14



सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है। बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है:

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

वर्तमान में बैंक ऋण डिफॉल्ट सेट स्वेप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं कर रहा है।

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट, ओवर नाईट लिमिट्स, और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन किया जाता है। इन लिमिट्स का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी/विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिन्हित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं। बैंक द्वारा इन लिमिट्स का अनुपालन किया गया है।

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है साथ ही, बैंक नकदी/बैंक जमाशायियों/बैंक गारंटियों/सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है।

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है। अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है।

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है।

बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं।

- जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आंकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होगा, तदनुसार बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण किया जाएगा।

(क) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2016
1	प्रतिस्थापन लागत	1117.20
2	संभावित वायदा विगोपन	1904.81
3	सकल ऋण तुल्य	3022.01
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	45.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	2977.01
3.5	वस्तु संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	3022.01
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)	3022.01

Table DF-10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, Bank is dealing in following derivative products:

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

Bank at present is not undertaking transactions under Credit Default Swaps and Currency options.

Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of RBI/SEBI/Exchanges.

From exchange side, limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Bank is complying with these limits.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with exchange approved Bank for purpose of clearing and settlement of transactions and also maintains margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. Bank offers to its customers, forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom Bank has set up counterparty exposure limits.

Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

- Bank will describe methodology and will assign economic capital for counter party credit exposure, as and when bank will migrate to Advanced Approaches of measurement of Risk and related Capital requirement.

(a) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2016
1	Replacement Cost	1117.20
2	Potential Future Exposure	1904.81
3	Gross Credit Equivalent	3022.01
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	45.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	2977.01
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	3022.01
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00

7	घटाएं : संपार्श्विक राशि	0.00
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	निवल ऋण तुल्य राशि	3022.01

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं।

(ख) ऋण व्युत्पन्न लेन-देन (₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अनुमानित अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
ऋण चूक अदलाबदली	शून्य	शून्य
कुल अदलाबदलियों की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ -11 : पूंजी संमिश्र (₹ मिलियन में)

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
1 संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)	41056.17		A1+B1
2 रोकी गई आय	596.40		B8(a)
3 अन्य समाविष्ट संयोजी आय (और अन्य आरक्षितियां, मूल्यांकन आरक्षितियां एवं डीटीए)	38806.04		B2+B3+B4 + B5 +B6(a)
4 सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00		
दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00		
5 अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00		
6 विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	80458.61		
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00		
8 साख (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		

6	Credit Equivalent Amount after netting (4-5)	3022.01
7	Less: Collateral Amount	0.00
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	Net Credit Equivalent Amount	3022.01

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effect of which have been included in regulatory capital calculations where appropriate.

(b) Credit Derivatives Transactions- (Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	NIL	NIL
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

Table DF-11 - COMPOSITION OF CAPITAL (₹ in Million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	Ref. No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	41056.17		A1+B1
2 Retained earnings	596.40		B8(a)
3 Accumulated other comprehensive income (other reserves, revaluation reserves and DTA)	38806.04		B2+B3+B4 + B5 +B6(a)
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	80458.61		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7 Prudential valuation adjustments	0.00		
8 Goodwill (net of related tax liability)	0.00		



विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
9 बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता को घटाकर)	362.88	453.60	K1(b)
10 आस्थगित कर आस्तियां	0.00	0.00	
11 नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षिति	0.00		
12 संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00		
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00		
14 उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00		
15 परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00		
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00		
17 सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	0.00		
18 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
19 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
20 बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
21 अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के बाद प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
22 प्रारंभिक 15 प्रतिशत से अधिक राशि	0.00		
23 जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		
24 जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00		
25 जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00		
26 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1.50		
26क जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00		
26ख जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	1.50		
26ग जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	362.88	453.60	K1(b)
10 Deferred tax assets	0.00	0.00	
11 Cash-flow hedge reserve	0.00		
12 Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13 Securitisation gain on sale	0.00		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15 Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital in reported balance sheet)	0.00		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00		
18 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19 Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00		
22 Amount exceeding the 15% threshold	0.00		
23 of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00		
24 of which: mortgage servicing rights	0.00		
25 of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00		
26 National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	1.50		
26a Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00		
26b Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	1.50		
26c Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियाँ	संदर्भ क्रमांक
26घ जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00		
27 कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
28 सामान्य ईक्विटी टियर 1 की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	364.38		
29 सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	80094.22		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें			
30 प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (31+32)	10000.00		
31 जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00		
32 जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	10000.00		
33 अतिरिक्त टियर 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	1770.00		
34 अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी 1 समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी 1 लिखतें)	0.00		
35 जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
36 विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	11770.00		D4(a)
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37 स्वयं की अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00		
38 अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00		
39 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉमन शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
40 बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00		
41 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	Ref. No.
26d Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00		
27 Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00		
28 Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	364.38		
29 Common Equity Tier 1 capital (CET1)	80094.22		
Additional Tier 1 capital: instruments			
30 Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	10000.00		
31 of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00		
32 of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	10000.00		
33 Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	1770.00		
34 Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35 of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36 Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	11770.00		D4(a)
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37 Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38 Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40 Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41 National specific regulatory adjustments (41a+ 41b)	0.00		
41a Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00		



विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट		दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियाँ	संदर्भ क्रमांक
41क	असमेकित बीमा अनुबंधियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	0.00		
41ख	प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
	बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन, जिसमें से :	0.00		
	आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00		
	अमूर्त आस्तियाँ	90.72	453.60	K1(b)
	पेंशन और उपदान का अपरिशोधित भाग	0.00		
	अपरिशोधित मूल्यहास	0.00		
	पारस्परिक समायोजन	0.00		
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर II की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
43	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन	90.72		
44	अतिरिक्त टीयर I पूंजी (एटी 1)	11679.28		
45	टीयर 1 पूंजी (टी 1= सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44)	91773.50		
	टीयर 2 पूंजी : लिखतें और प्रावधान			
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर 2 लिखतें	0.00		
47	टीयर 2 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	15080.00		D4(b)
48	अनुबंधियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर 2 समूह में अनुमत्य राशि) टीयर 2 लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी 1 लिखतें)	0.00		
49	जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुबंधियों द्वारा जारी लिखतें	0.00		
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियाँ	7136.14		
51	विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी	22216.14		
	टीयर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन	0.00		
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश			
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)		As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT of which:	0.00		
	Deferred tax Assets	0.00		
	Intangible Assets	90.72	453.60	K1(b)
	Unamortised portion of Pension and Gratuity	0.00		
	Unamortised Depreciation	0.00		
	Reciprocal Adjustments	0.00		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	90.72		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	11679.28		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	91773.50		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15080.00		D4(b)
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions & Other Reserves	7136.14		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	22216.14		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	0.00		
52	Investments in own Tier 2 instruments			
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00		

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियां	संदर्भ क्रमांक
54 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00		
55 विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00		
56 राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क+ 56ख)	0.00		
56क प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
56ख जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की टियर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00		
राशि के संबंध में टियर 2 हेतु प्रयुक्त विनियामक समायोजन जो कि बेसल पूर्व III अनुप्रयोग के अध्वधीन है	0.00		
57 टियर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन			
58 टियर 2 पूंजी (टी 2)	22216.14		
59 कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (पंक्ति 45 + पंक्ति 58ग)	113989.64		
बेसल III पूर्व प्रतिपादन के अनुसार राशियों के मामले में जोखिम भारित आस्तियां			
60 कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60क + पंक्ति 60ख + पंक्ति 60ग)	1016902.80		
60क जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	890302.11		
60ख जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	41251.71		
60ग जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	85348.98		
पूंजी अनुपात			
61 सामान्य ईक्विटी टियर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	7.88		
62 टियर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	9.02		
63 कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	11.20		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	Ref. No.
54 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55 Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00		
56a Of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00		
56b Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	0.00		
57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital			
58 Tier 2 capital (T2)	22216.14		
59 Total capital (TC = T1 + T2) (45+ 58)	113989.64		
RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT			
60 Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1016902.80		
60a of which: total credit risk weighted assets	890302.11		
60b of which: total market risk weighted assets	41251.71		
60c of which: total operational risk weighted assets	85348.98		
Capital ratios			
61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.88		
62 Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.02		
63 Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.20		



विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट		दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियाँ	संदर्भ क्रमांक
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	6.125%		
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.625%		
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00		
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00		
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	1.755%		
राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)				
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	6.125%		
70	राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	--		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	9.625%		
कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियाँ (जोखिम भार से पूर्व)				
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर- उल्लेखनीय निवेश	0.00		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00		
74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
75	अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00		
टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	6850.09		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	11128.78		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	ला. न.		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	ला. न.		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)		As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.625%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.755%		
National minima (if different from Basel III)				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.125%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	--		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.625%		
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	6850.09		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	11128.78		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings- based approach	N.A		

विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 01 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट	दिनांक 31.03.16 को	बेसल III प्रतिपादन से पूर्व राशियाँ	संदर्भ क्रमांक
फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूँजी लिखतें (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 तक लागू)			
80 फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	ला. न.		
81 सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	ला. न.		
82 फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	ला. न.		
83 सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	ला. न.		
84 फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	ला. न.		
85 सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	ला. न.		

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 01, 2013 to December 31, 2017)	As on 31.03.2016	AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT	Ref. No.
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80 Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A		
81 Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A		
82 Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A		
83 Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A		
84 Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A		
85 Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A		

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	व्यौरे	₹ मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर (संचयी हानियों से संबद्ध के अतिरिक्त) आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	0.00
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूँजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूँजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टायर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टायर 2 पूँजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित वित्तीय/गैर-वित्तीय सहायक/संबद्ध कंपनियों की ईक्विटी पूँजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	
	i) सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूँजी में वृद्धि	732.71
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1831.78
44क	पूँजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टायर 1 पूँजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी 1 और पंक्ति 44 क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी 1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टायर 2 पूँजी माना गया	0.00
50	टायर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	6850.09
	टायर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल	0.00

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	₹ In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated financial/non-financial subsidiaries/Associates are not deducted and hence, risk weighted then,	
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	732.71
	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1831.78
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	6850.09
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of Row 50	0.00



सारणी डीएफ-12 : पूंजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता

चरण 1

(₹ मिलियन में)

	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र 31.03.16 को	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन 31.03.16 को
क पूंजी व देयताएं		
i प्रदत्त पूंजी	11683.34	
आरक्षितियां एवं अधिशेष	76188.10	
अल्प ब्याज	0.00	
कुल पूंजी	87871.44	
ii जमाशियां जिसमें से:	1389898.18	
बैंकों से जमाशियां	21180.92	
ग्राहक जमाशियां	1368717.26	
अन्य जमाशियां	0.00	
iii उधारियां जिसमें से:	92281.03	
भारतीय रिज़र्व बैंक से	5000.00	
बैंकों से	0.00	
अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	36207.67	
बॉण्ड्स एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	51000.00	
भारत के बाहर से उधारियां	73.36	
iv अन्य देयताएं व प्रावधान	39522.60	
कुल पूंजी एवं देयताएं	1609573.24	
ख आस्तियां		
i भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और खाता शेष	83822.87	
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	9378.62	
ii निवेश	362308.72	
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	323249.70	
जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
जिसमें से : शेयर्स	2209.09	
जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	15907.37	
जिसमें से : सहायक/ संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	20208.35	
iii ऋण और अग्रिम जिसमें से :	1075626.71	
बैंकों को ऋण और अग्रिम	136.82	
ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1075489.88	
iv स्थिर आस्तियां	16944.15	
v अन्य आस्तियां जिसमें से :	61492.17	
साख और अमूर्त आस्तियां	453.60	

Table DF-12: Composition of Capital – Reconciliation Requirement
Step 1 (₹ In Million)

	Balance sheet as in published financial statements As on 31.03.2016	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2016
A Capital & Liabilities		
i Paid-up Capital	11683.34	
Reserves & Surplus	76188.10	
Minority Interest	0.00	
Total Capital	87871.44	
ii Deposits Of which:	1389898.18	
Deposits from banks	21180.92	
Customer deposits	1368717.26	
Other deposits	0.00	
iii Borrowings Of which:	92281.03	
From RBI	5000.00	
From Banks	0.00	
From other institutions & agencies	36207.67	
Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	51000.00	
Borrowings from outside India	73.36	
iv Other Liabilities and Provision	39522.60	
Total Capital & Liabilities	1609573.24	
B Assets		
i Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	83822.87	
Balance with banks and money at call and short notice	9378.62	
ii Investments of which:	362308.72	
of which: Government securities	323249.70	
of which: Other approved securities	0.00	
of which: Shares	2209.09	
of which: Debentures & Bonds	15907.37	
of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	20208.35	
iii Loans and Advances of which:	1075626.71	
Loans and Advances to banks	136.82	
Loan and Advances to Customers	1075489.88	
iv Fixed Assets	16944.15	
v Other Assets of which:	61492.17	
Goodwill and Intangible Assets	453.60	

	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
	31.03.16 को	31.03.16 को
आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
vi समेकन पर साख	0.00	
vii लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
कुल आस्तियां	1609573.24	

	Balance sheet as in published financial statements	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
	As on 31.03.2016	As on 31.03.2016
Deferred Tax Assets	0.00	
vi Goodwill on Consolidation	0.00	
vii Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
Total Assets	1609573.24	

चरण 2

	संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
		31.03.16 को	31.03.16 को
क पूंजी और देयताएं			
प्रदत्त पूंजी जिसमें से	A	11683.34	
सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	A1	11683.34	
एटी 1 हेतु पात्र राशि	A2	0.00	
आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	B	76188.10	
ईक्विटी शेयर प्रीमियम	B1	29372.83	
सांविधिक आरक्षितियां	B2	12524.93	
पूंजी आरक्षितियां	B3	2168.94	
राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	B4	13301.14	
i विशेष आरक्षितियां	B5	4980.00	
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	B6	12957.84	
सीईटी 1 हेतु पात्र	B6(a)	5831.03	
निवेश आरक्षितियां	B7	286.05	
लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	B8	596.40	
सीईटी 1 हेतु पात्र	B8(a)	596.40	
अल्प ब्याज	B9	0.00	
कुल पूंजी	A+B	87871.44	
ii जमाराशियां जिसमें से	C	1389898.18	
बैंकों से जमाराशियां	C1	21180.92	
ग्राहक जमाराशियां	C2	1368717.26	
अन्य जमाराशियां	C3	0.00	
iii उधारियां जिसमें से :	D	92281.03	
भारतीय रिज़र्व बैंक से	D1	5000.00	
बैंकों से	D2	0.00	
अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	D3	36207.67	
बॉण्ड्स एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	D4	51000.00	
विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	D4(a)	11770.00	

Step 2

	Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2016	As on 31.03.2016
A Capital & Liabilities			
Paid-up Capital of which	A	11683.34	
Amount eligible for CET 1	A1	11683.34	
Amount eligible for AT1	A2	0.00	
Reserves & Surplus of which:	B	76188.10	
Equity Share Premium	B1	29372.83	
Statutory Reserve	B2	12524.93	
Capital Reserve	B3	2168.94	
Revenue Reserve and Other Reserves	B4	13301.14	
Special Reserve	B5	4980.00	
Revaluation Reserve of which:	B6	12957.84	
Eligible for CET 1	B6(a)	5831.03	
Investment Reserve	B7	286.05	
Balance in Profit and Loss Account of which	B8	596.40	
Eligible for CET 1	B8(a)	596.40	
Minority Interest	B9	0.00	
Total Capital	A+B	87871.44	
ii Deposits Of which:	C	1389898.18	
Deposits from banks	C1	21180.92	
Customer deposits	C2	1368717.26	
Other deposits	C3	0.00	
iii Borrowings Of which:	D	92281.03	
From RBI	D1	5000.00	
From banks	D2	0.00	
From other institutions & agencies	D3	36207.67	
Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	51000.00	
Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	11770.00	



		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.16 को	31.03.16 को
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर 2 हेतु पात्र	D4(b)	15080.00	
	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	E	39522.60	
	साख संबंधी डीटीएल	E1	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	E2	0.00	
	कुल		1609573.24	
ख	आस्तियां			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया शेष और नकदी	F	83822.87	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	G	9378.62	
ii	निवेश जिसमें से :	H	362308.72	
	सरकारी प्रतिभूतियां	H 1	323249.70	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	H 2	0.00	
	शेयर्स	H 3	2209.09	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	H 4	15907.37	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	H 5	734.21	
	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	H 6	20208.35	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	I	1075626.71	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	I1	136.82	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	I2	1075489.88	
iv	स्थिर आस्तियां	J	16944.15	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	K	61492.18	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	K1	453.60	
	साख	K1(a)	0.00	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	K1(b)	453.60	
	आस्थगित कर आस्तियां	K1 (c)	0.00	
	अपरिशोधित पेंशन	K 1 (d)	0.00	
vi	समेकन पर साख	L	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	M	0.00	
	कुल आस्तियां		1609573.24	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2016	As on 31.03.2016
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	15080.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	39522.60	
	DTLs related to Goodwill	E1	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E2	0.00	
	Total		1609573.24	
B	Assets			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	83822.87	
	Balance with banks and money at call and short notice	G	9378.62	
ii	Investments of which:	H	362308.72	
	Government Securities	H 1	323249.70	
	Other Approved Securities	H 2	0.00	
	Shares	H 3	2209.09	
	Debentures and Bonds	H 4	15907.37	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H 5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H 6	20208.35	
iii	Loans and Advances of which:	I	1075626.71	
	Loans and Advances to banks	I1	136.82	
	Loan and Advances to Customers	I2	1075489.88	
iv	Fixed Assets	J	16944.15	
v	Other Assets of which:	K	61492.18	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	453.60	
	Goodwill	K1(a)	0.00	
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	453.60	
	Deferred Tax Assets	K1 (c)	0.00	
	Unamortised Pension	K 1 (d)	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	L	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	M	0.00	
	Total Assets		1609573.24	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - डीएफ11			
सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	41056.17	A1+B1
2	रोकी गई आय	596.40	B8(a)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी (और अन्य आरक्षितियां)	38806.04	B2+B3+B4+B5+B6(a)
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	--	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	--	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	80458.61	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)		

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	41056.17	A1+B1
2	Retained earnings	596.40	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	38806.04	B2+B3+B4+B5+B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	--	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	--	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	80458.61	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		

डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

		आईपीडीआई आई आई				टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds									
1	जारीकर्ता Issuer	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra INE
2	विशेष पहचानकर्ता अर्थात् (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	457A09124	457A09165	457A09215	457A09082	457A09090	457A09108	457A09116	457A09157	457A09173	457A09132	457A09140	457A09199		
3	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the Instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws		
4	नियामक प्रतिपादन Regulatory treatment														
5	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds	टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds
6	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible
7	एकल/समूह/एकल एवं समूह में पात्र Eligible at solo/group/ group& solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
8	लिखत का प्रकार Instrument type	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर II -ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments
9	विनियामक पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हाल की रिपोर्टिंग दिनांक को र मिलियन में) Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1350	420	10000	1800	1200	900	1200	600	1800	800	780	6000		
10	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन में) Par value of instrument(₹ in Million)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing	देयता - उधारिया Liability- borrowing
12	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	31.07.2007	30.09.2009	12.07.2015	14.10.2006	21.03.2007	30.03.2007	19.07.2007	30.09.2009	01.02.2010	15.01.2008	30.09.2009	31.12.2012		

	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	आईपीडीआई IPDI			टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds									
	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	निरंतर Perpetual	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
12	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	कोई नहीं परिपक्वता नहीं	कोई नहीं परिपक्वता नहीं	कोई नहीं परिपक्वता नहीं	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes
13	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कोल supervisory approval issuer call subject to prior	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes
14	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.07.2017	30.09.2019	12.01.2020	14.10.2016	21.03.2017	30.03.2017	19.07.2017	30.09.2019	01.02.2020	15.04.2018	30.04.2019	31.12.2022	31.12.2022
15	तदुपरांत कॉल दिनांक, यदि लागू हो Subsequent call dates, if applicable	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes
16	कूपन/लाभांश Coupons / dividends	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन Fixed or floating dividend/ coupon	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any related index	10.65% pa वार्षिक	9.25% pa वार्षिक	9.48% pa वार्षिक	9.10% pa वार्षिक	9.90% pa वार्षिक	10.25% pa वार्षिक	10.35% pa वार्षिक	8.95% pa वार्षिक	8.65% pa वार्षिक	9.20% pa वार्षिक	8.74% pa वार्षिक	9.00% pa वार्षिक	9.00% pa वार्षिक
19	लाभांश स्टॉप की उपस्थिति Existence of a dividend stopper	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes
20	पूर्णतः विवेकाधीन /अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary

		टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds										आईपीडीआई IPDI	
		हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	
21	उमोचन हेतु कोटिउत्पन्न अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	नहीं No	नहीं No
22	असंघी अथवा संघी Noncumulative or cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative	असंघी Non Cumulative
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय Convertible or non-convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible, conversion trigger (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः अथवा आंशिक If convertible, fully or partially	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
28	यदि परिवर्तनीय तो वह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
29	यदि परिवर्तनीय लिखत जिसमें परिवर्तित हुआ, के जारीकर्ता का उत्प्रेरक If convertible, specify issuer of instrument it converts into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
30	अवलेखन विशेषता Write-down feature	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
31	यदि अवलेखन हुआ तो अवलेखन के उत्प्रेरक If write-down, write-down trigger(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger	लागू नहीं NA
32	यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा आंशिक If write-down, full or partial	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूर्णतः Full	लागू नहीं NA
33	यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा अस्थायी If write-down, permanent or temporary	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent	लागू नहीं NA

		आईपीडीआई IPDI						टीयर II बॉण्ड्स Tier II Bonds					
		लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
34	यदि अस्थायी अवलेखन तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा If temporary write-down, description of write-up mechanism	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
35	परिसमापन में गौण वरिष्ठता की स्थिति (तत्काल वरिष्ठ लिखत का स्वरूप विनिर्दिष्ट) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank
36	गैर-अनुपालित परिवर्ती विशेषताएं Non-compliant transitioned features	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes
37	अगर हां तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature

सारणी डीएफ 14: नियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें

डीएफ-14 बैंक की वेबसाइट 'www.bankofmaharashtra.in' पर बेसल III प्रकटन के अंतर्गत लिंक में उपलब्ध है।

सारणी डीएफ 15 - पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकटन : लागू नहीं

सारणी डीएफ 16 - इक्विटी : बैंक बही स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

इक्विटी जोखिम के संबंध में आवश्यक सामान्य गुणात्मक प्रकटन.

- निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्रय की तारीख पर निवेशों का वर्गीकरण 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी), 'विक्रय हेतु उपलब्ध' (एएफएस) तथा 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम) श्रेणियों में किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार एचटीएम श्रेणी में धारित इक्विटी निवेशों को पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन के लिए बैंक के बही में वर्गीकृत किया जाता है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सहायक एवं संयुक्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत करना आवश्यक है. इन्हें रणनीतिक संबंध बनाए रखने अथवा रणनीतिक व्यवसाय प्रयोजन के उद्देश्यों से धारित किया जाता है.
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर लिए गये हैं और उन्हें बाजार पर चिन्हित नहीं किया गया है. इक्विटी निवेशों के मूल्य में गिरावट, अस्थायी गिरावट को छोड़कर, का प्रावधान किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर किसी भी हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री से किसी भी लाभ को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 'पूँजी आरक्षित' के प्रति सांविधिक आरक्षित और करों के निवल के रूप में समायोजित किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, प्रारम्भिक 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश को बैंकिंग बही (एचटीएम श्रेणी) में धारित करने की अनुमति है

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों के मूल्य (₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य
बिना भाव वाले	841.32	841.32
भाव वाले	शून्य	शून्य

2. निवेशों का प्रकार एवं स्वरूप (₹ मिलियन में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	निजी रूप से धारित
सहायक, संबद्ध और संयुक्त कंपनियां	शून्य	734.71
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य
उद्यम पूंजी निधि	शून्य	107.11

3. लाभ/हानि विवरण (₹ मिलियन में)

विवरण	रकम
वसूले गए संचयी लाभ (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री एवं नकदीकरण से उद्भूत हानियां)	शून्य

TABLE DF - 14 : Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

DF-14 is available on the Bank's website 'www.bankofmaharashtra.in' under the line "Basel III Disclosure"

Table DF - 15 : Disclosure Requirement For Remuneration

Quantitative and Qualitative Disclosures: Not Applicable

TABLE DF - 16 : Equities : Disclosure For Banking Book Positions

Qualitative Disclosure:

General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with RBI guidelines, equity investments held under HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Bank is allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period.

Quantitative Disclosures

1. Value of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value
Unquoted	841.32	841.32
Quoted	NIL	NIL

2. Type and Nature of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures	NIL	734.71
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL
Venture Capital Funds	NIL	107.11

3. Gain/ Loss Statement

(Amount in ₹ million)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL

वसूले न गए कुल लाभ (हानियां)	शून्य
कुल अप्रकटित मूल्यांकन लाभ (हानियां)	शून्य
उपर्युक्त में से कोई भी रकम टीयर I एवं टीयर II पूंजी में सम्मिलित है	शून्य

4. बैंकिंग बही हेतु पूंजी आवश्यकता (₹ मिलियन में)

निवेश	बेसल III के अधीन व्यवहार	विगोपन	जोखिम आधारित आस्तियां	पूंजी आवश्यकता 9.625% की दर से
सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां, उद्यम पूंजी निधियां	250% पर जोखिम भारित	732.71	1831.78	176.31
	150% पर जोखिम भारित	107.11	160.67	15.46
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ 17 - लिवरेज अनुपात प्रकटन

बेसल III के अधीन एक सरल, पारदर्शी एवं गैर जोखिम आधारित लिवरेज अनुपात का आरंभ किया गया है. लिवरेज अनुपात को व्यापक रूप से जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय अनुपूरक उपाय के रूप में माना गया है तथा इससे निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करना अपेक्षित है -

- क) बैंकिंग क्षेत्र में लिवरेज को नियंत्रित करना ताकि गैर-लिवरेजिंग अस्थिर प्रक्रियाओं के कारण व्यापक वित्तीय प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति को टाला जा सके तथा
 - ख) एक सरल, गैर जोखिम आधारित 'बैकस्टॉप' के माध्यम से जोखिम आधारित आवश्यकताओं को सुदृढ़ करना.
- पूंजी की मात्रा की तुलना में विगोपन की मात्रा के प्रतिशत को बेसल III लिवरेज अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है.

पूंजी मात्रा :

लिवरेज अनुपात की पूंजी मात्रा टीयर 1 पूंजी के जोखिम आधारित पूंजी ढांचा है.

विगोपन मात्रा :

लिवरेज अनुपात के लिए विगोपन मात्रा हेतु सामान्यतः लेखांकन मूल्यों का पालन किया जाता है. ऋणों एवं जमा राशियों के निवल को ध्यान में न रखते हुए, बैंक के कुल विगोपन निम्नलिखित विगोपनों का जोड़ रहेंगे:

- क. तुलनपत्र में शामिल विगोपन
- ख. व्युत्पन्न विगोपन
- ग. प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार (एसएफटी) विगोपन तथा
- घ. तुलनपत्र में शामिल न किए गए (ओबीएस) मद

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	1609573.25

Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier 1 and Tier 2 capital	NIL

4. Capital Requirement for Banking Book

(Amount in ₹ million)

Investments	Treatment under Basel III	Exposure	Risk Weighted Assets	Capital Requirement @9.625%
Subsidiary, Associate and Joint Ventures, Venture Capital Funds	Risk weighted at 250%	732.71	1831.78	176.31
	Risk weighted at 150%	107.11	160.67	15.46
Other shares of PSU/ Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL	NIL	NIL

TABLE DF-17 – LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

Under Basel III, a simple, transparent, non-risk based leverage ratio has been introduced. The leverage ratio is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements and is intended to achieve the following objectives:

- (a) Constrain the build-up of leverage in the banking sector to avoid destabilizing deleveraging processes which can damage the broader financial system and the economy: and
- (b) Reinforce the risk-based requirements with a simple, non-risk based "backstop" measure.

Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (the numerator) divided by the exposure measure (the denominator) expressed as a percentage.

Capital measure:

The capital measure for the leverage ratio is the Tier 1 capital of the risk based capital framework.

Exposure measure:

The exposure measure for the leverage ratio generally follows the accounting value. A bank's total exposure is the sum of the following exposures without netting of loans and deposits:

- a. On-balance sheet exposure
- b. Derivative exposure
- c. Securities financing transaction (SFT) exposures : and
- d. Off- balance sheet (OBS) items.

Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure		
Sr. No.	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	1609573.25



2	बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा तथा वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों का समायोजन जिन्हें लेखांकन प्रयोजनों हेतु समेकित किया है किंतु वे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है (उपर्युक्त 1 में से)	(1.50)
3	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त, प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, जिन्हें लिक्विड अनुपात विगोपन उपाय में शामिल नहीं किया है	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	3967.66
5	प्रतिभूति वित्तीय व्यवहारों के लिए समायोजन (यथा रैपो एवं सामान्य प्रतिभूति उधार)	823.73
6	तुलनपत्र में शामिल न किए गए मदों का समायोजन (यथा तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की राशि के समकक्ष ऋण का परिवर्तन)	126960.75
7	अन्य समायोजन (टीयर 1 पूंजी से कटौती की गई अमूर्त आस्तियाँ)	(453.60)
8	लिक्विड अनुपात विगोपन	1740870.29

सारणी डीएफ-18- लिक्विड अनुपात सामान्य प्रकटन ढांचा

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
	अंतः तुलन-पत्र विगोपन	
1	तुलनपत्र में शामिल मदें (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर परंतु समर्थक को शामिल करते हुए)	1609573.25
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने हेतु कटौती की गई आस्तियों की रकम)	(455.10)
3	तुलनपत्र में शामिल कुल विगोपन (व्युत्पन्न एवं एसएफटी के अलावा) (पंक्ति क्र. 1 एवं 2 का जोड़)	1609118.15
4	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध बदली की लागत (यथा पात्र नकद विचलन मार्जिन का निवल)	1117.20
5	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध पीएफई की अड-ऑन रकम	2850.46
6	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में जहां तुलनपत्र आस्तियों से प्रदत्त व्युत्पन्न समर्थक मदों के सकल जोड़ की कटौती की गई है	0.00
7	(व्युत्पन्न व्यवहारों में प्रदान किए गए नकद विचलन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0.00
8	(ग्राहक द्वारा स्पष्ट किए गए व्यापार विगोपनों में सीसीपी का छूट प्राप्त अंश)	0.00
9	बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	0.00
10	(बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्न के समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ-सेट एवं अड-ऑन)	0.00
11	कुल व्युत्पन्न विगोपन (पंक्ति क्र. 4 से 10 का जोड़)	3967.66
12	विक्री लेखांकन व्यवहारों का समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियों (निवल जोड़ को मान्यता न देते हुए)	784.50
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय एवं नकद प्राप्यों की निवल रकम)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर विगोपन	39.23
15	एजेंट व्यवहार विगोपन	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार विगोपन (पंक्ति क्र. 12 से 15 का जोड़)	823.73
	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपन	
17	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की सकल अनुमानित रकम	321743.60

2	Adjustments for Investments in Banking, Financial, Insurance and Commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation (Out of 1 above)	(1.50)
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	3967.66
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	823.73
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	126960.75
7	Other adjustments (Intangible assets deducted from Tier 1 capital)	(453.60)
8	Leverage Ratio Exposure	1740870.29

Table Df-18 – Leverage Ratio Common Disclosure Template

Sr. No.	Item	(₹ in millions)
	On-Balance Sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	1609573.25
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(455.10)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	1609118.15
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1117.20
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2850.46
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	3967.66
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	784.50
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	39.23
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	823.73
	Off-Balance Sheet Exposure	

18	(ऋण की समकक्ष रकमों में परिवर्तित हेतु समायोजन)	(194782.85)
19	तुलनपत्र में शामिल न की गई मर्दे (पंक्ति क्र. 17 एवं 18 को जोड़)	126960.75
	पूंजी एवं कुल विगोपन	
20	टीयर 1 पूंजी	91773.50
21	कुल विगोपन (पंक्ति क्र. 3, 11, 16 एवं 19 को जोड़)	1740870.29
	लिवरेज अनुपात	
22	बेसल III लिवरेज अनुपात	5.27%

बैंक का लिवरेज अनुपात सांकेतिक विनियामक न्यूनतम 4.50% की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2016 को 5.27% रहा।

17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	321743.60
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(194782.85)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 & 18)	126960.75
	Capital and total Exposures	
20	Tier 1 Capital	91773.50
21	Total Exposures (sum of lines 3,11,16 and 19)	1740870.29
	Leverage Ratio	
22	Basel III Leverage Ratio	5.27%

Bank's Leverage ratio as of 31st March 2016 is 5.27% above the indicative regulatory minimum of 4.50%.



31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March 2015

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A Cash Flow From Operating Activities:		
Income		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	13052,98,57	12665,44,35
अन्य आय Other Income	1019,28,97	1005,98,08
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions		
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	9174,28,93	8790,40,47
परिचालन व्यय Operating Expenses	2552,80,93	2525,93,04
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	2244,49,20	1904,39,73
व्यय के उपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि		
Net increase in Cash due to increase of Income over Expenses	100,68,48	450,69,19
जोड़ें: गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें		
Add : Non Cash items & items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	2244,49,20	1904,39,73
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	149,19,72	115,28,48
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	18,07	10,18
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	—	—
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	478,33,70	354,64,83
	2972,89,17	2825,12,41
घटाएं: प्रवृत्त प्रत्यक्ष कर(निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)	439,00,00	521,00,00
परिचालन से अर्जित नकद लाभ		
Cash Profit Generated From Operations (I)	2533,89,17	2304,12,41
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) :		
Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियां Deposits	16870,87,53	5315,85,34
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings	-1898,62,16	800,25,10
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-2950,48,41	-962,93,05
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	12021,76,96	5153,17,39
घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी		
Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	3465,86,64	-201,68,65
अग्रिम Advances	8963,57,08	9678,70,08
अन्य आस्तियां Other Assets	-759,18,23	-936,25,58
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि	11670,25,49	8540,75,85
Total of Increase of Operating Assets		
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)		
Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)	351,51,47	-3387,58,46
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क) = (I+II)		
Cash Flow From Operating Activities (A) = (I+II)	2885,40,64	-1083,46,05
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
B. Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	6,07,42	3,79,63
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-138,04,84	-154,78,66
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	—	—
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		
Net Cash Flow From Investing Activities (B)	-131,97,42	-150,99,03
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
C Cash Flow From Financing Activities:		

i) बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		2000,00,00	
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPs	-85,05,46	-136,82,96	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-17,00,59	-23,25,42	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-478,33,70	-354,64,83	
v) शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares including share premium	394,00,00	400,00,00	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Financing Activities	(ग) (C)	-186,39,75	1885,26,79
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	(क+ख+ग) (A+B+C)	2567,03,47	650,81,71

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

व्योरे Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By- वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	6652,74,93	5991,38,72
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	100,36,49	110,90,99
	6753,11,42	6102,29,71
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	8382,28,66	6652,74,93
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balance with banks & money at call & Short notice	937,86,23	100,36,49
	9320,14,89	6753,11,42
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	2567,03,47	650,81,71

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R.K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
EXECUTIVE DIRECTOR

एस. मुह्नोट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
General Manager, FM&A

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन: 301178ई
सनदी लेखाकार
For Kothari & Co.
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
For CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678W/W100068
Chartered Accountants

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 079236
Membership No: 079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 37290
Membership No: 37290

सीए अमिताव कोठारी
CA Amitav Kothari
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 016639
Membership No: 016639

सीए महेश्वर एम. मराठे
CA Maheshwar M Marathe
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 212175
Membership No: 212175

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 12 मई, 2016 Date : 12th May, 2016



मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
323 तीसरी मंजिल,
गणपति प्लाजा
जयपुर 302 001

M/s. Parakh & Co.
Chartered Accountants,
323 Third Floor, Ganpati Plaza,
Jaipur - 302001

मेसर्स ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आनंद अपार्टमेंट
1180/2, शिवाजीनगर
पुणे 411005

M/s. A. R. Sulakhe & Co.
Chartered Accountants,
Anand Apartments,
1180/2, Shivajinagar,
Pune - 411005

मेसर्स कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
1ई, नीलकंठ, 26बी,
कामाक स्ट्रीट,
कोलकाता 700016

M/s. Kothari & Co.
Chartered Accountants,
1E, Neelkanth, 26B, Camac
Street, Kolkata 700016

मेसर्स सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
सनदी लेखाकार
ऑफिस क्र.12, पी.जे. चैम्बर्स
पिंपरी, पुणे - 411018

M/s CMRS & Associates, LLP
Chartered Accountants,
Off No-12, P J Chambers,
Pimpri, Pune-411018

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

प्रति,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य

To,

Members of Bank of Maharashtra

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. Report on Financial Statements

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2016 के संलग्न वित्तीय विवरण, जिसमें 31.03.2016 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और खातों पर टिप्पणियां शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और 20 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित 903 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं।

We have audited the accompanying Financial Statements of Bank of Maharashtra as at 31st March 2016 which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2016 Profit and Loss Account and the cash Flow Statement for the year ended and a summary of significant accounting policies and Notes on Accounts. Incorporated in these financial statements the return of 20 branches, and also Treasury & International Banking Division, audited by us and 903 branches audited by branch auditors.

हमारे द्वारा लेखा परिक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता विवरण में 962 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरिक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.55%, जमाशायियों में 25%, ब्याज आय में 7.43% और ब्याज खर्च में 22.99% हिस्सा है।

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss account and the return from 962 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.55 % of the advances, 25% of deposits, 7.43% of interest income and 22.99% of interest expenses.

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. Management's responsibility for the Financial Statements:

इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण में तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कि जालसाजी या किसी भी अन्य गलती के कारण से किए गए भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. Auditors' Responsibility:

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन

4. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditors' judgment,

का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए इकाई की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें। उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।

5. हम विश्वास करते हैं कि प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

6. अभिमत :

हमारी राय में, बैंक की खाता-बहियों में दर्शाए गये अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि :

क) समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित पठित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2016 के व्यवहारों का सही और उचित चित्र सामने आ सके।

ख) समेकित लाभ-हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियों के साथ पठित, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप लाभ/ हानि का सही तुलन दर्शाती हैं; और

ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है।

7. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

समेकित तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म "A" तथा "B" के अनुसार तैयार किया गया है।

8. उपर्युक्त परिच्छेद 1 से 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधधीन तथा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

ख) बैंक के संव्यवहार जो हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of exercising an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.

6. Opinion:

In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, we hereby report that:

a. The Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

b. Profit and loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

7. Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the third Schedule to the Banking Regulation Act 1949.

8. Subject to the limitation of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970/1980, and also subject to the limitations of disclosure required therein we report that:

a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.



9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि;

- क) इस रिपोर्ट द्वारा संचालित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता, विवरणियों और लेखा बहियों के अनुसरण में है.
- ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा, कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उसका समुचित उपयोग किया गया है.
- ग) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

9. We further report that;

- a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन: 301178ई
सनदी लेखाकार
For Kothari & Co.
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
For C M R S & Associates, LLP
FRN: 101678W/W100068
Chartered Accountants

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 079236
Membership No: 079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J V Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 37290
Membership No: 37290

सीए अमिताव कोठारी
CA Amitav Kothari
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 016639
Membership No: 016639

सीए महेश्वर एम. मराठे
CA Maheshwar M Marathe
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 212175
Membership No: 212175

स्थान : पुणे

दिनांक : 12 मई, 2016

Place : Pune

Date : 12th May, 2016

समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated Financial Statements



31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2015 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1168,33,37	1063,18,29
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7691,78,86	7059,63,08
जमा राशियां Deposits	3	138979,99,00	122110,27,41
उधारियां Borrowings	4	9228,10,29	11126,72,45
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	3960,59,42	4713,12,74
जोड़ TOTAL		161028,80,94	146072,93,97
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8382,28,75	6652,75,05
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	937,92,14	100,42,47
निवेश Investments	8	36301,73,32	32818,76,79
अग्रिम Advances	9	107562,67,06	98599,09,98
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1694,50,83	1432,20,70
अन्य आस्तियां Other Assets	11	6149,68,84	6469,68,98
जोड़ TOTAL		161028,80,94	146072,93,97
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	29971,43,72	31005,86,84
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		3756,43,76	3334,74,51
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
EXECUTIVE DIRECTOR

एस. मुह्नोत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

डॉ. अर्चना आर. डोलकिया
निदेशक
Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA
DIRECTOR

आर. थामोदरान
निदेशक
R. THAMODHARAN
DIRECTOR

पी. ए. सेठी
निदेशक
P. A. SETHI
DIRECTOR

संजीव जैन
निदेशक
SANJEEV JAIN
DIRECTOR

आर. एल. सायदीवाल
निदेशक
R. L. SAYADIWAL
DIRECTOR

जी. श्रीकुमार
निदेशक
G. SREEKUMAR
DIRECTOR

अतीश सिंह
निदेशक
ATEESH SINGH
DIRECTOR

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
General Manager, FM&A

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 12 मई, 2016

Date : 12th May, 2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	13053,00,62	12665,46,41
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		17,09,90	13,63,34
अन्य आय Other Income	14	1020,07,25	1006,67,42
जोड़ TOTAL		14090,17,77	13685,77,17
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	9173,57,07	8789,72,88
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	2553,75,12	2526,87,60
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		2244,67,09	1904,54,07
जोड़ TOTAL		13971,99,28	13221,14,55
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		118,18,49	464,62,62
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		146,41,60	—
जोड़े : राजस्व आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Revenue Reserve		12,95,89	—
जोड़ TOTAL		277,55,98	464,62,62
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		29,54,62	116,15,66
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		28,83,32	35,39,06
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		16,10,69	—
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		130,00,00	50,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		—	14,60,25
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		—	85,05,46
लाभांश पर कर Tax on Dividend		—	17,00,59
लाभांश वितरण कर (वि. व. 2014-15) Dividend Distribution Tax (FY 2014-15)		30,92	—
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		72,76,43	146,41,60
जोड़ TOTAL		277,55,98	464,62,62
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		1.06	4.64

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खाते का अभिन्न भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A. R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन: 301178ई
सनदी लेखाकार
For Kothari & Co.
FRN: 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
For CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 079236
Membership No: 079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J. V. Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 37290
Membership No: 37290

सीए अमिताव कोठारी
CA Amitav Kothari
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 016639
Membership No: 016639

सीए महेश्वर एम. मराठे
CA Maheshwar M. Marathe
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 212175
Membership No: 212175

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 12 मई, 2016

Date : 12th May, 2016



अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 : CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
₹ 10/- के इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each		3000,00,00		3000,00,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
₹10/- के 116,83,33,708 (गत वर्ष 106,31,82,921) इक्विटी शेयर 116,83,33,708 Equity Shares (Previous year 106,31,82,921) of ₹10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1063,18,29		839,09,58	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	105,15,08	1168,33,37	224,08,71	1063,18,29
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	953,52,46		848,37,38	
₹10/- के 95,35,24,561 (गत वर्ष 84,83,73,774) इक्विटी शेयर 95,35,24,561 (Previous year 84,83,73,774) Equity shares of Rs.10/- each				
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	214,80,91		214,80,91	
₹10/- के 21,48,09,147 (गत वर्ष 21,48,09,147) इक्विटी शेयर 21,48,09,147 (Previous year 21,48,09,147) Equity Shares of Rs.10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due		1168,33,37		1063,18,29
		1168,33,37		1063,18,29
जोड़ TOTAL		1168,33,37		1063,18,29

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1242,66,86		1126,51,20	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	29,54,62	1272,21,48	116,15,66	1242,66,86
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	188,06,02		152,66,96	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	28,83,32		35,39,06	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		216,89,34		188,06,02
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	2648,43,32		1884,52,03	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	288,84,92	2937,28,24	763,91,29	2648,43,32
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1407,81,16		1372,17,69	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	16,10,69		35,63,47	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	54,21,28	1369,70,57		1407,81,16
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	368,00,00		318,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	130,00,00	498,00,00	50,00,00	368,00,00

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1016,13,77		1065,57,63	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	386,49,12		"	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	106,84,54	1295,78,35	49,43,86	1016,13,77
घ) निवेश आरक्षित खाता				
d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	42,10,34		27,50,09	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	—		14,60,25	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	12,95,89	29,14,45		42,10,34
V. लाभ व हानि खाते में शेष	72,76,43	72,76,43	146,41,60	146,41,61
BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT				
जोड़ TOTAL		7691,78,86		7059,63,08

अनुसूची - 3 : जमा राशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
क A. I. मांग जमा राशियां DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	290,70,65		476,71,75	
ii) अन्यो से From others	11837,31,79	12128,02,44	10928,18,51	11404,90,26
II. बचत बैंक जमा राशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		38837,98,66		33889,76,54
III. मीयादी जमा राशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	1827,38,53		1443,29,92	
ii) अन्यो से From others	86186,59,37	88013,97,90	75372,30,69	76815,60,61
जोड़ TOTAL (I, II & III)		138979,99,00		122110,27,41
ख B. (i) भारत में सहायक कंपनियों की जमा राशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		—		—
(ii) भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमा राशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		—		—
(iii) मूल कंपनी की जमा राशियां Deposits of Parent		138979,99,00		122110,27,41
जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		138979,99,00		122110,27,41
ग C. (i) मूल कंपनी की भारत में जमा राशियां Deposits of parent in India		138979,99,00		122110,27,41
(ii) भारत में सहायक कंपनियों की जमा राशियां Deposits of subsidiaries in India		—		—
(iii) भारत में कुल जमा राशियां Total Deposits in India (i + ii)		138979,99,00		122110,27,41
(iv) मूल कंपनी की भारत से बाहर जमा राशियां Deposits of parent outside India		—		—
(v) सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमा राशियां Deposits of subsidiaries outside India		—		—
(vi) भारत से बाहर कुल जमा राशियां Total Deposits outside India (iv + v)		—		—
जोड़ TOTAL (III & VI)		—		—
जोड़ TOTAL (C iii + C vi)		138979,99,00		122110,27,41



अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	500,00,00		2490,00,00	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	—		300,00,00	
iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	3620,76,67		3225,69,36	
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings				
क) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1295,00,00		1295,00,00	
ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00		1250,00,00	
ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	1555,00,00		1555,00,00	
घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	1000,00,00	9220,76,67	1000,00,00	11115,69,36
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		7,33,62		11,03,09
जोड़ TOTAL (I & II)		9228,10,29		11126,72,45
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		574,53,80		2490,00,00

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable	442,38,51		435,65,07	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
a मूल कंपनी Parent	—		92,57,44	
b सहायक कंपनी Subsidiary	—		—	
III. अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)	—		—	
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	187,52,18		482,67,89	
IV. अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	707,60,39		691,78,36	
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	2623,08,34	3330,68,73	3010,43,98	3702,22,34
जोड़ TOTAL		3960,59,42		4713,12,74

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)	818,97,73		815,29,72	
II. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खातों में In Current Accounts	6363,31,02		5837,45,33	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	1200,00,00	7563,31,02	—	5837,45,33
जोड़ TOTAL (I & II)		8382,28,75		6652,75,05

अनुसूची - 7 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)		31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	31,12,70		31,10,49	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	15,94,29	47,06,99	15,18,56	46,29,05
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	—		—	
(ख) अन्य संस्थों के पास				
(b) With Other Institutions	—	—	—	—
जोड़ TOTAL (i & ii)		47,06,99		46,29,05
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	—		—	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	890,85,15		54,13,42	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(c) Money at Call & Short Notice	—	890,85,15	—	54,13,42
जोड़ TOTAL		890,85,15		54,13,42
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		937,92,14		100,42,47



अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. भारत में निवेश Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित)		
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	32325,21,19	29364,32,62
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
b) Other approved securities	—	—
ग) शेयर्स		
c) Shares	220,90,92	176,61,05
घ) डिबेंचर्स और बांड		
d) Debentures and Bonds	1590,73,70	1715,22,86
इ) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822)		
e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)	144,04,00	126,94,10
च) अन्य		
f) Others		
i) यू.टी.आई. / म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	134,61,41	98,63,01
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	1555,34,99	1195,90,91
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	330,87,11	141,12,24
iv) पीटीसी PTCs	—	—
v) अन्य Others	2020,83,51	1435,66,16
जोड़ TOTAL	36301,73,32	32818,76,79
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)	—	—
ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	—	—
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)	—	—
जोड़ TOTAL	—	—
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	36301,73,32	32818,76,79
III भारत में सकल निवेश Investments in India		
i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	36402,77,96	32872,99,32
ii) मूल्य-हास हेतु प्रावधानों का जोड़ Aggregate of Provisions for Depreciation	101,04,64	54,22,53
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)	36301,73,32	32818,76,79
निवेशों के विवरण Details of Investments:		
i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	144,04,00	126,94,10
ii) अन्य निवेश Other Investments	36157,69,32	32691,82,69
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)	36301,73,32	32818,76,79

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
क. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल A. i) Bills purchased and discounted	805,68,24	1217,53,78
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	44143,60,42	35824,97,69
iii) मीयादी ऋण iii) Term Loans	62613,38,40	61556,58,51
iv) प्राप्य लीज iv) Lease Receivable	— 107562,67,06	— 98599,09,98
जोड़ TOTAL	107562,67,06	98599,09,98
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	96726,33,19	88092,63,30
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	43,79,63	46,46,07
iii) असंरक्षित Unsecured	10792,54,24 107562,67,06	10460,00,61 98599,09,98
जोड़ TOTAL	107562,67,06	98599,09,98
ग. I. भारत में अग्रिम C. Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	36898,46,58	34266,36,76
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	7856,16,31	9884,93,40
iii) बैंक Banks	13,68,24	4,22,00
iv) अन्य Others	62794,35,93 107562,67,06	54443,57,82 98599,09,98
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		
i) बैंकों से देय Due from banks	—	—
ii) अन्यो से देय Due from others	—	—
iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	—	—
iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	—	—
v) अन्य Others	—	—
जोड़ TOTAL (C.I & C.II)	107562,67,06	98599,09,98

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. परिसर* Premises *		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1335,39,31	1325,58,73
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	—	9,80,58
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	1402,62,89	—
	2738,02,20	1335,39,31
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	1181,27,53	—
	1556,74,67	1335,39,31
5. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	166,39,52 1390,35,15	221,00,51 1114,38,80
II. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		



1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1113,39,89	991,61,72
2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	138,15,66	144,98,88
	1251,55,55	1136,60,60
3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	28,43,31	23,20,71
	1223,12,24	1113,39,89
4. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	918,96,56	795,57,99
	304,15,68	317,81,90
जोड़ TOTAL (I & II)	1694,50,83	1432,20,70

इसमें “कार्य प्रगति पर” पूंजी ₹ शून्य शामिल है (गत वर्ष रु. शून्य) *Includes Capital “Work in Progress” ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
क a. मूल प्रतिष्ठान Parent	294,25,65	—
ख b. सहायक प्रतिष्ठान Subsidiaries	—	—
II उपचित ब्याज Interest accrued	932,50,41	909,70,98
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	1149,11,12	990,83,01
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	4,12,41	4,54,24
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. अन्य * Others * (incl RIDF)	3769,69,25	4564,60,75
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	6149,68,84	6469,68,98

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.

*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2015 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावों जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	1503,99,83	1381,03,20
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	14089,80,03	17374,16,51
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	7667,16,23	6850,53,84
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	2065,22,86	1855,07,94
9732,39,09		8705,61,78
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	4153,75,39	3392,39,15
VI. अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है. Other items for which Bank is contingently liable	491,49,38	152,66,20
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	29971,43,72	31005,86,84

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	9934,82,60	9820,77,70
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2787,67,86	2595,42,92
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	52,45,85	55,88,51
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	52,02,07	57,07,07
IV अन्य Others (incl RIDF)	330,93,94	248,07,23
जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)	13053,00,62	12665,46,41

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	675,29,79	593,17,34
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	170,69,49	207,93,57
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	13,75,88	2,16,02
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	—	—
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	—	—
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	51,57	55,37
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	70,05	65,55
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	77,82,76	75,12,05
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	—	—
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	3,31,14	2,97,30
VII. विविध आय Miscellaneous Income	106,88,43	129,73,36
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)	1020,07,25	1006,67,42



अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	8421,17,17	8084,06,02
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	54,88,01	79,92,07
III. अन्य Others	697,51,89	625,74,79
जोड़ TOTAL (I, II & III)	9173,57,07	8789,72,88

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2016 (Current Year)	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2015 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1541,71,46	1634,06,07
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	196,20,17	171,52,21
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	21,59,07	21,59,04
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	18,06,60	18,46,73
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्य-हास (मूल्य-हास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षित को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	149,24,63	115,29,05
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	69,28	63,47
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	18,14,13	18,80,67
VIII. विधि प्रभार Law Charges	14,05,25	11,47,81
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	36,14,16	36,06,21
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	76,36,46	72,89,83
XI. बीमा Insurance	119,88,06	116,83,79
XII. अन्य व्यय Other expenditure	361,65,86	309,22,72
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	2553,75,12	2526,87,60

अनुसूची 17

लेखा नीतियां और खातों पर टिप्पणियां

(31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ
संलग्न और उसका भाग)

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है.
- 1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.
- 1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.
- 1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2015 के अनुसार बनाये गये हैं.

2. समेकन के सिद्धांत

क) **मूल इकाई** : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं.

ख) **संबद्ध इकाई** : लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटोर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (अब मेटको के रूप में निर्दिष्ट)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100% प्रतिशत

लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहयोगी उद्यम	35% प्रतिशत

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016.)

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.
- 1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 1.6 The financial statements of the Subsidiary and Associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2016.

2. Principles of Consolidation:

A) Parent Entity:

The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%



ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेर्षों/संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी मदों को लाइन-दर-लाइन आधार पर आपस में जोड़कर समेकित किया गया है। अपनी सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के दिनांक को, मूल कंपनी के समानुपातिक निवेश की लागत के आधिक्य को साख माना गया है। जबकि इक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान के हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है।

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को इक्विटी पद्धति आधार पर एकत्र किया गया है। सहायक प्रतिष्ठान में रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में साख माना गया है।

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान व्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फिमडा - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यंकित/बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यंकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” और हानि के मामले में इसका प्रभाव “अन्य आस्तियों” को प्रभावित किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

4. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।

क. परिपक्वता तक धारित

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध

ग. व्यापार के लिए धारित

ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छः भागों में वर्गीकृत की गई हैं :

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

C) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances / transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]- Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to “Other Assets” in case of gain or to “Other Liabilities” in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

i. Investments are classified in following categories:

a. Held to maturity

b. Available for sale

c. Held for trading

ii. All the securities are classified in the following six baskets:

a. Government Securities

b. Other approved securities

c. Shares

- घ. डिबेंचर तथा बांड
ड. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि इत्यादि)
- iii. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. “व्यापार हेतु धारित” “व्यापार हेतु धारित” से “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण को छोड़कर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है. “व्यापार के लिए धारित” श्रेणी से निवेशों का “बिक्री हेतु उपलब्ध” श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढ़ाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा.
- iv. **रेपो/रिवर्स रेपो :**
रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविदिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियों/ऋण परिचालन माना जाता है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. बकाया रेपो/मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है. लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है.
- v. **निवेशों का मूल्यन :**
क. **परिपक्वता तक धारित :**
i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन औसत लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है. निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है.
ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.
iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षित से निवल करके आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.
- ख. **बिक्री हेतु उपलब्ध :** इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन “स्थिर आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ” (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात् तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन ₹ 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है.
बढ़ागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया

- d. Debentures and bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Fund etc).
- iii. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.
- iv. **REPO / Reverse REPO**
The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.
- v. **Valuation of investments**
a. **Held to Maturity:**
i. Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at average cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.
ii. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.
iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and proportionate statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.
- b. **Available for Sale:**
The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹1/- per company / Scrip.
Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon

है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है।
- जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

- इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन फिमडा द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दरों से किया गया है।
- बट्टागत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।
- निवल श्रेणीवार मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है। यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
- निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. पुनर्निवेशों सहित लागत का प्रावधान एवं वर्गीकरण किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है।

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यन :

- हेजिंग स्वैप :** हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्केड टू मार्केट) नहीं है।
- ट्रेडिंग स्वैप :** ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्केड टू मार्केट) है।

Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- If it results in appreciation, the same is ignored.
- If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.
- The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.
- Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.
- Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits, commercial papers and Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.
- Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account

d. Classification of provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

- Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क) हेजिंग स्वेप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(iii) स्वेप निरसन पर आय या लाभ का लेखा

- क) हेजिंग स्वेप : निरस्त हुए स्वेप पर किसी भी लाभ या हानि को (क)स्वेप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : स्वेप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

5. अग्रिम :

- 5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन से निवल हैं।
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 5.3 मानक पुनर्संचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोड़कर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
- 5.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्संचित खातों के संबंध में पुनर्संचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है।
- 5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को 2 वर्षों की अवधि में नामे डाला गया है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। बशर्ते कि अनर्जक आस्तियों की बिक्री हेतु अतिरिक्त प्रावधान, यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक हो, को उस वित्तीय वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया जाए, जिसमें राशियां प्राप्त हुई हों, जब प्राप्त राशि (आरंभिक बिक्री और/अथवा एसआर/पीटीसी के उन्मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो, बशर्ते कि अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक किया गया हो, जहां तक आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक राशि प्राप्त हुई हो।

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

- 6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है।
- 6.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 6.3, और 6.4, को छोड़कर) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पद्धति से निम्नानुसार दरों पर किया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी शेष अवधि के आधार पर उच्च मूल्यह्रास किया गया है।

क्रमांक	आस्ति की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)
1	भवन एवं परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं	18.10
3	विद्युत उपकरण	13.91
4	कार्यालय मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	सायकिल	20.00

(ii) Accounting of income on derivative deals:

- (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- (b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(ii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. Advances:

- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.
- 5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.
- 5.5 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.
- 5.6 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company / Securitisation Company, if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is amortised over a period of 2 years. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets provided the excess provision on sale of NPAs, if the sale value is for a value higher than the NBV, shall be reversed to the Profit & Loss A/c in the financial year in which amounts are received when the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of SRs / PTCs) is higher than the NBV of the asset provided reversal of excess provision shall be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- 6.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 6.3 and 6.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00



- 6.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.
- 6.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के मामले में पूरे वर्ष के मूल्यहास का प्रावधान किया गया है. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है.
- 6.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत से अधिक मूल्यांकित राशि से संबंधित मूल्यहास का प्रावधान परिच्छेद 6.2 में दिए अनुसार और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की तुलना में समायोजन के अनुसार स्थिर आस्तियों की शेष अवधि हेतु हासमान शेष पद्धति से किया गया है. पूर्णतः मूल्यहासित परिसंपत्तियों पर पुनर्मूल्यांकित आरक्षित का ऋण परिशोधन उसकी शेष अवधि के आधार पर अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार किया गया है.
- 6.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति से पट्टा अवधि में किया जाता है. सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :
- 6.7 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यहास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है. इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं. बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यहास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई. आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए हासमान शेष पद्धति से मूल्यहास लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

- 7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :
- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
- ख. कमीशन अर्थात् गारंटियों, साख-पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड और लॉ कर किराए से आय.
- ग. खरीदे गए तथा बड़ाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे.
- ड. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक.
- च. प्रोसेसिंग शुल्क.
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.
- ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क.
- 7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमा राशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

- 6.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.
- 6.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.
- 6.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 6.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.
- 6.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).
- In case of the subsidiary:
- 6.7 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the Written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

- 7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time.
 - Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.
 - Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
 - Insurance claims.
 - Remuneration on Debenture Trustee Business.
 - Processing Fees.
 - Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
 - Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28-आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभावित किया गया है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबद्धता के लिए प्रावधान करता है। यह संभावित है कि जब प्रतिबद्धता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित), अग्रिमों और आकस्मिकताओं/अन्य के लिए प्रावधान शामिल हैं।

12. आयकर:

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब दूसरी अपील (अर्थात आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा) में मांग को उचित ठहराया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशि का जोड़ हैं।

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) “प्रति शेयर अर्जन” के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है। संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- “Impairment of Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.



अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां (कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः “परिपक्वता तक धारित”, “बिक्री हेतु उपलब्ध” और “विपणन हेतु धारित” में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान मूल बैंक के संबंध में ₹ 12.96 करोड़ की राशि कर समानुपातिक अंतरण मूल्यहास के कारण निवेश आरक्षित खाते से सांविधिक आरक्षित जिसे एफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में निवेश के अंतर्गत रखने के लिए आवश्यक होगा।

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/व्यय की पूर्व अवधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/लेखाबद्ध किया गया है।

2.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है।

3. अचल संपत्ति

3.1 बैंक की नीति के अनुसार 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान 122 पात्र संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि ₹1402.63 करोड़ (₹1181.28 करोड़) वर्ष के अन्त में संपत्ति/परिसरों में पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यहास विचार करते हुए शामिल किया गया। दिनांक 31.03.2016 को अंतिम पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की राशि ₹1295.78 करोड़ (₹1016.14) है।

3.2 चालू वर्ष के लिए मूल्यहासित कुल राशि ₹106.85 करोड़ (₹ 49.44 करोड़) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का समायोजन पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते के साथ समायोजित की गई।

3.3 4(7) के संबंध में पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों के स्वत्व विलेख जिनकी लागत ₹ 6.54 करोड़ (₹ 7.00 करोड़) है, काफी समय से लंबित विधि विवादों/ औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005)-“कर्मचारी लाभ” (मूल बैंक)

क. परिभाषित अंशदान योजना : (₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2016	31.03.2015
क.	भविष्य निधि	0.31	0.24
ख.	कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	0.00	0.00

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क. पेंशन योजना - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

ख. उपदान योजना - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग. छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है। यह निधिगत योजना है।

SCHEDULE-18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

In respect of Parent Bank, during the current financial year 2015-16, an amount of ₹12.96 crores net of taxes and proportionate transfer to Statutory Reserve, has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/ accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

3. Fixed Assets

3.1 As per Bank's policy, revaluation of 122 eligible properties has been done during the year ended 31.03.2016. The gross amount of such revaluation included in properties / premises as at the end of the year is ₹ 1402.63 crores (₹ 1181.28 crores) and considering the depreciation on revaluation, the closing Revaluation Reserve as on 31.03.2016 is ₹1295.78 crores (₹ 1016.14 crores)

3.2 Depreciation for the current year amounting to ₹106.85 crore (₹ 49.44 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.

3.3 The title deeds in respect of 4 (7) revalued properties / premises having cost of ₹ 6.54 crores (₹7.00 crores) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- “Employee Benefits” (Parent Bank)

A. Defined Contribution Plans:

(₹ In Crores)

Particulars		31.03.2016	31.03.2015
a.	Provident Fund	0.31	0.25
b.	Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. Defined Benefit Plans:

a) Pension Plan- This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) Gratuity Plan- This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) Leave Encashment/ Compensated Absences-This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : Change in the Present value of Defined Benefit Obligations: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	3729.84	3216.27	495.39	506.05	275.06	235.24
2	ब्याज लागत Interest Cost	274.79	247.45	34.57	36.97	19.92	17.68
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	413.77	454.02	29.32	26.79	36.39	35.67
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(368.31)	(246.19)	(98.54)	(87.87)	(36.38)	(28.40)
6	वर्ष हेतु बीमाकिक लाभ / हानि (Losses) for the year	132.14	58.29	23.08	13.45	(24.76)	14.87
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	4182.24	3729.84	483.82	495.39	270.23	275.06

II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन : Change in the Fair Value of Plan Assets: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	3676.60	3115.90	489.12	453.68
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	321.70	293.83	42.80	34.39
3	दिया गया अंशदान Contributions made	540.76	481.05	52.27	85.74
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(368.31)	(246.19)	(98.54)	(87.87)
5	बीमाकिक लाभ / (हानि) Actuarial gains/(Losses)	9.73	32.01	(3.79)	3.18
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	4180.48	3676.60	481.86	489.12

III. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि : Amount recognized in the Balance Sheet: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैर निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15	31.03.16	31.03.15
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	4182.24	3729.84	483.82	495.39	4666.06	4225.23	270.23	275.06
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(4180.48)	(3676.60)	(481.86)	(489.12)	(4662.34)	(4165.72)	(0.00)	(0.00)
3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	1.76	53.24	1.96	6.27	3.72	59.51	270.23	275.06



4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	1.76	53.24	1.96	6.27	3.72	59.51	270.23	275.06

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि : Amount recognized in the Profit & Loss Account: (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	413.77	454.02	29.32	26.79	36.39	35.67
2	ब्याज लागत Interest Cost	274.79	247.45	34.57	36.97	19.91	17.68
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(321.70)	(293.83)	(42.80)	(34.39)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gains/(Losses) for the year	122.42	26.27	26.86	10.27	(24.76)	14.87
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	489.28	433.92	47.96	39.64	31.54	68.22
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	489.28	433.92	47.96	39.64	31.54	68.22

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	53.24	100.37	6.27	52.37	275.06	235.24
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	489.28	433.92	47.96	39.64	31.54	68.22
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(540.76)	(481.05)	(52.27)	(85.74)	(36.37)	(28.40)
4	अंतिम निवल देयता Closing Net Liability	1.76	53.24	1.96	6.27	270.23	275.06

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	321.70	293.83	42.80	34.39
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(losses) on plan assets	9.73	32.01	(3.79)	3.18
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	331.43	325.84	39.01	37.57

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएँ (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
1	बट्टा दर Discount rate	7.75%	8.00%	7.75%	8.00%	7.75%	8.00%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.75%	9.43%	8.75%	7.58%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%	5.50%	6.00%

3. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ :

(₹ करोड़ में)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.2016	31.03.2015
1	पुनर्वास भत्ता	1.20	0.26
2	छुट्टी किराया रियायत	18.85	10.16
3	रजत जयंती अवार्ड	0.03	0.11
	कुल	20.08	10.53

C. Other Long Term Benefits:

(₹ In Crore)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2016	31.03.2015
1	Resettlement Allowance	1.20	0.26
2	Leave Fare Concession	18.85	10.16
3	Silver Jubilee Award	0.03	0.11
	Total	20.08	10.53



5. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ In Crore)

व्यवसाय खंड Business Segments>	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Whole- sale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking operations		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व Revenue	3106.57	2942.40	6676.80	6555.92	3899.26	3864.19	407.55	323.26	14090.18	13685.77
परिणाम Result	323.79	260.22	(293.36)	409.57	338.50	82.69	66.46	74.98	435.39	827.46
अ-आबंटित खर्च Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालनगत लाभ Operating profit									435.39	827.46
आस्थगित कर सहित कर Taxes including de- ferred taxes									317.20	362.83
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									118.19	464.63
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	39000.66	37451.69	72228.59	60680.26	37924.10	40320.86	10930.76	6682.92	160084.10	145135.73
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									944.71	937.21
खंड देयताएं Total assets									161028.81	146072.94
खंड आस्तियां Segment liabilities	38336.91	36784.11	67345.86	55640.23	35167.74	36764.10	12486.51	8659.62	153337.02	137848.07
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	102.06
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Re- serves									7691.79	8122.81
कुल देयताएं Total liabilities									161028.81	146072.94

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

- कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
- किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
- एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है।

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

ड) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

- Total average annual turnover is less than ₹ 50.00 Crores and
- No aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
- The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crores.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6. लेखा मानक 18- संबंध पक्ष प्रकटन: इस संबंधी व्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्म -

- 1) श्री सुशील मुहनोट, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (09.11.2013 से आज तक)
- 2) श्री आर. आत्माराम, कार्यपालक निदेशक (07.08.2013 से आज तक)
- 3) श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से आज तक)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.16	31.03.15
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	0.62	0.55
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मों को ऋण एवं अग्रिम	0.55	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों की जमाराशि	0.06	0.26
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा जमा संग्रहण	0.25	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मों को प्रदत्त ब्याज	0.03	0.03
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मों से प्राप्त ब्याज	0.05	0.00

मूल बैंक की अनुषंगी और सहायक इकाईयों के साथ के लेनदेन को लेखा मानक-18 संबंधित पार्टी प्रकटन को ध्यान में रखते हुए प्रकट नहीं किया गया है जिससे उनके द्वारा अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पार्टी द्वारा किसी प्रकार के प्रकटन से छूट मिलती है.

7. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
मूल/डायल्यूटेड प्रति शेयर आय	₹ 1.06	₹ 4.64
मूल/डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	₹ 11818.48	₹ 46462.62
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	₹ 11117.36	₹ 10011.75
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 1.06	₹ 4.64
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

8. समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक (एस-21)

सहायक इकाई अर्थात् महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों का मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात् महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के साथ क्रमशः लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है और यह समेकन ऐसी सहायक कंपनी की अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है.

6. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

- 1) Shri Sushil Muhnot Chairman & Managing Director (from 09.11.2013 till date)
- 2) Shri R Athmaram, Executive Director (from 07.08.2013 till date)
- 3) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 till date)

(B) Transactions with Related parties (₹ In Crore)

Particulars	31.03.16	31.03.15
Salary & Allowances (including perquisites)	0.62	0.55
Loans & Advances to Key Management Personnel	0.55	0.00
Deposits of Key Management Personnel	0.06	0.26
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.25	0.00
Interest paid to Key Management Personnel	0.03	0.03
Interest received from Key Management Personnel	0.05	0.00

The transactions with the subsidiary and associate of the parent bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

7. Accounting Standard 20- Earning per Share

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Basic / Diluted E.P.S.	₹1.06	₹4.64
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (₹ in lakhs)	11818.48	46462.62
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	11117.36	10011.75
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	₹1.06	₹4.64
d) Nominal Value Per Share	₹10.00	₹10.00

8. Accounting Standard on Consolidated Financial Statements (AS – 21)

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively and consolidation is made on the strength of unaudited financial statements of such associate.



9. लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखा

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है। तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	0.00	0.00
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	92.49	78.20
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	40.03	199.41
कुल	132.52	277.61
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	171.68	121.93
2) निवेश में ह्रास के कारण	161.08	194.30
3) अचल संपत्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	3.29	14.42
कुल	336.05	330.65
निवल आस्थगित कर आस्तियां	(203.53)	(53.04)

राजस्व निर्धारण पर आईसीडीएस 4 के अनुसार राजस्व निर्धारण उपचित आधार पर किया जाएगा। चूंकि कुछ राजस्वों का उल्लेख महत्वपूर्ण लेखा नीतियां अनुसूची 17 के पैरा 6.1 किया गया है, जिसे नकदी आधार पर लेखांकन किया गया है जिसका प्रभाव कर व्यय की गणना में परिलक्षित नहीं है।

10. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि	3 वर्ष
परिशोधन दर	33.33%
परिशोधन पद्धति	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	33.86	15.99
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	34.17	34.80
वर्ष के दौरान परिशोधन	22.67	16.93
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	45.36	33.86

11. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक - 28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि स्थिर आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

13. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य

9. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ In Crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	0.00	0.00
2) On account of provisions for Employees benefits	92.49	78.20
3) Other Provisions where DTA is created	40.03	199.41
Total	132.52	277.61
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	171.68	121.93
2) On account of Depreciation on Investment	161.08	194.30
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	3.29	14.42
Total	336.05	330.65
Net Deferred Tax Asset	(203.53)	(53.04)

As per ICDS 4 on Revenue Recognition, the revenue recognition shall be on accrual basis. As some of the revenues as mentioned in Para 6.1 to Schedule 17- Significant Accounting Policies, are accounted for on cash basis, the impact thereof has not been factored in the computation of tax expense.

10. Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	- 3 years.
Amortization Rate	- 33.33 %
Amortization Method	- Straight line at cost

(₹ In Crores)

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Software at the beginning of the year	33.86	15.99
Software acquired during the year	34.17	34.80
Amortization during the year	22.67	16.93
Net carrying amount at the end of the year	45.36	33.86

11. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

12. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

13. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances

आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है. राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है .

14. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख “खातों पर टिप्पणियां” के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है.

15. ऋण एवं अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामलों का प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को धोखाधड़ी की पहचान की तारीख के प्रारंभ से चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के मामलों और जहां दो विभिन्न वित्तीय वर्षों में प्रावधान किया गया है, के प्रावधान में परिशोधन करने की अनुमति है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्रक्रमांक डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 के अनुसार प्रावधान नहीं की गई राशि को संबंधित वर्ष की समाप्ति पर राजस्व आरक्षित में प्रभारित करना है. तदनुसार मूल बैंक द्वारा ऐसे प्रावधान चार तिमाहियों में किया गया है, जो निम्न रूप में है:

in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

14. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under “Notes on Accounts” as given in the Stand alone Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

15. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, Scheduled Commercial Banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end. Accordingly, the parent bank has made such provision in four quarters; as detailed below:

(₹ करोड़ में) (₹ In Crores)

31.03.2016 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या) Up to the year ended 31.03.2016 (No. of Cases)	31.03.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या) During the quarter ended 31.03.2016 (No. of Cases)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष तक (राशि) Up to the year ended 31.03.2016 (Amount)	31.03.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि) During the quarter ending 31.03.2016 (Amount)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of provision made during the year ended 31.03.2016 (Amount)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षित को नामे डाली गई परिशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of amortised provision debited to “Revenue Reserves” as at the year ended 31.03.2016 (Amount)
3441	12	1685.19	95.45	41.24	54.21

15. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध/ पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके.

15. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the Year Ended 31st March 2016

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities:		
आय Income		
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	13053,00,62	12665,46,41
अन्य आय Other Income	1037,17,15	1020,30,76
	14090,17,77	13685,77,17
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions		
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	9173,57,07	8789,72,88
परिचालन व्यय Operating Expenses	2553,75,12	2526,87,60
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	2244,67,11	1904,54,07
	13971,99,30	13221,14,55
व्यय के उपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses	118,18,47	464,62,62
जोड़े: गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	2244,67,11	1904,54,07
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	149,24,63	115,29,05
सहयोगी कंपनियों में आय/हानि का भाग Share of Earnings/Loss in associates	-17,09,90	-13,63,34
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	10,18	10,18
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	-	-
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	478,33,70	354,64,83
	2855,25,72	2360,94,79
	2973,44,18	2825,57,41
घटाएं: प्रत्यक्ष कर Less: Direct Taxes Paid (Net)	439,07,20	521,04,00
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	(I) 2534,36,98	2304,53,41
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:		
जमा राशियां Deposits	16869,71,59	5316,67,19
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings excluding Bond borrowings	-1898,62,16	800,25,10
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-2930,67,11	-964,04,05
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	12040,42,32	5152,88,24
घटाएं: परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets		
निवेश Investments	3465,86,63	-201,68,64
अग्रिम Advances	8963,57,08	9678,70,08
अन्य आस्तियां Other Assets	-759,07,34	-936,13,57
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	11670,36,37	8540,87,87
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	(II) 370,05,95	-3387,99,63
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	(A) = (I+II) 2904,42,93	-1083,46,22
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Investing Activities		
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	3,79,65	3,79,65
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-154,79,46	-154,79,46
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow Form Investing Activities	(ख) (B) -150,99,81	-150,99,81

C. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Cash Flow From Financing Activities:		
i) गौण बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds	—	2000,00,00
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-85,05,46	-136,82,96
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-17,00,59	-23,25,42
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-478,33,70	-354,64,83
v) ईक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares	394,00,00	400,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)	-186,39,75	1885,26,79
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	(क+ख+ग) (A+B+C)	2567,03,37 650,80,76

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2016	31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2015
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	6652,75,05	5991,38,82
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	100,42,47	110,97,94
	6753,17,52	6102,36,76
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	8382,28,75	6652,75,05
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्त धन Balance with banks & money at call & Short notice	937,92,14	100,42,47
	9320,20,89	6753,17,52
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	2567,03,37	650,80,76

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R.K. GUPTA
EXECUTIVE DIRECTOR

आर. आत्माराम
कार्यपालक निदेशक
R. ATHMARAM
EXECUTIVE DIRECTOR

एस. मुहनोंत
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
S. MUHNOT
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

आर. एच. फडणीस
महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
R. H. PHADNIS
General Manager, FM&A

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A R Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन: 301178ई
सनदी लेखाकार
For Kothari & Co
FRN: 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स
एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
For CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :079236
Membership No:079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J. V. Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :37290
Membership No:37290

सीए अमिताव कोठारी
CA Amitav Kothari
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :016639
Membership No:016639

सीए महेश्वर एम. मराठे
CA Maheshwar M. Marathe
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. :212175
Membership No:212175

स्थान : पुणे
दिनांक : 12 मई, 2016

Place : Pune
Date : 12th May, 2016



मेसर्स पारख एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
323 तीसरी मंजिल,
गणपति प्लाजा, जयपुर 302 001

M/s. Parakh & Co.
Chartered Accountants,
323 Third Floor,
Ganpati Plaza,
Jaipur - 302001

मेसर्स ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आनंद अपार्टमेंट
1180/2, शिवाजीनगर, पुणे 411005

M/s. A. R. Sulakhe & Co.
Chartered Accountants,
Anand Apartments,
1180/2, Shivajinagar,
Pune - 411005

मेसर्स कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
1ई, नीलकंठ, 26बी, कामाक स्ट्रीट,
कोलकाता 700016

M/s. Kothari & Co.
Chartered Accountants,
1E, Neelkanth, 26B,
Camac Street,
Kolkata 700016

मेसर्स सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
सनदी लेखाकार
ऑफिस क्र.12, पी.जे. चैम्बर्स,
पिंपरी, पुणे - 411018

M/s CMRS & Associates, LLP
Chartered Accountants,
Off No-12, P J Chambers,
Pimpri,
Pune-411018

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2016 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है।

इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं : क) 4(चार) संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित बैंक के लेखा परीक्षित खाते जो 31.03.2016 को ₹160957.32 करोड़ की कुल आस्तियां, ₹14072.27 करोड़ का कुल राजस्व, ₹100.68 करोड़ का लाभ और समाप्त वर्ष के लिए ₹2567.03 करोड़ की राशि का निवल नकद अंतर्वाह प्रदर्शित करते हैं। साथ ही, एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित खाते तथा एक सहयोगी संस्था के गैर-लेखा परीक्षित खाते जिनके वित्तीय विवरण 31.03.2016 को कुल आस्तियों में ₹161028.81 करोड़ का समूह का हिस्सा, कुल राजस्व में ₹14090.18 करोड़ का समूह का अंश तथा निवल नकद अंतर्वाह में ₹2567.03 करोड़ की राशि का समूह का हिस्सा प्रदर्शित करते हैं। समूह की इकाइयों जिनके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं अनुसूची 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों में सूचीबद्ध हैं जो समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

2. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.03.2016 को ₹1135.80 लाख के कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु ₹40.08 लाख का निवल लाभ दर्शाया गया है। साथ ही सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य किया है, समूह के लाभ कि हिस्से को ₹1709.90 बताया गया है। यह वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए और इस सहायक कंपनी तथा सहयोगी संस्था से संबंधित राशियों को शामिल करने के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है।
3. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी : इन वित्तीय विवरणों के परिचालन के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एस23-समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्था में निवेश के लिए लेखांकन' तथा 'लेखांकन मानक (एस) 21 समेकित वित्तीय विवरण' की आवश्यकताओं के अनुसरण में बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत समूह के वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का ढांचा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कि धोखाधड़ी अथवा गलती से महत्वपूर्ण विवरणों में होनेवाली चूक से मुक्त रहते हैं।
4. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी : हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा करते हैं। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा का

AUDITORS' REPORT

To,

The Board of Directors of Bank of Maharashtra,

Report on Consolidated Financial Statements.

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra, its subsidiary and an associate (the Group), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2016, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Incorporated in these consolidated financial statements are the: (a) audited accounts of the bank audited by 4 (Four) Joint Auditors which reflect total assets of ₹160957.32 crore as at 31st March 2016, total revenue of ₹14072.27 crore, profits of ₹100.68 crore and net cash inflows amounting to ₹2567.03 crore for the year ended; audited accounts of one subsidiary, & unaudited accounts of one associate whose financial statements reflects the group's share in total assets of ₹161028.81 crore as at 31st March 2016, the group's share in the total revenue of ₹14090.18 crore, the group's share in net cash inflows amounting to ₹2567.03 crore. The entities of the group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 17- Significant Accounting Policies and Notes on Accounts – which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

2. We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statement reflect total asset of ₹1135.80 lacs as on 31st March 2016, and net profit of ₹40.08 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of ₹1709.90 lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial statements have been furnished to us and our opinion is so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.
3. Management's Responsibility for the Financial Statements: The Management of the bank is responsible for the operation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21 – Consolidated Financial Statements' and 'AS – 23 Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements of the Group that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
4. Auditors' Responsibility: Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on

निष्पादन करना होता है ताकि उचित रूप से यह आश्वासन किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण बयानी में गलती से मुक्त हैं या नहीं।

5. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिम का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें। उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के पर्याप्त और उचित आधार हैं।

6. हमारी राय में बैंक की खाता बहियों में दर्शाए अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में सत्य और स्पष्ट चित्र प्रदान करते हैं :

क) 31 मार्च, 2016 को समूह के व्यवहारों के मामले के समेकित तुलनपत्र की स्थिति में

ख) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के समेकित लाभ के समेकित लाभ व हानि खाते के मामले में

ग) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में

Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the explanation given to us.

6. In our opinion, as shown by books by bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, the attached financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- In the case of the Consolidated Balance Sheet of the state of the affairs of the Group as at 31st March 2016;
- In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Consolidated Profit of the Group for the year ended on that date; and
- In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

कृते पारख एंड कंपनी
एफआरएन: 001475सी
सनदी लेखाकार
For Parakh & Co.
FRN: 001475C
Chartered Accountants

कृते ए. आर. सुलाखे एंड कंपनी
एफआरएन: 110540डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
For A. R. Sulakhe & Co.
FRN: 110540W
Chartered Accountants

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन: 301178ई
सनदी लेखाकार
For Kothari & Co.
FRN: 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी
एफआरएन: 101678 W/ W100068
सनदी लेखाकार
For CMRS & Associates, LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए थलेंद्र शर्मा
CA Thalendra Sharma
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 079236
Membership No: 079236

सीए जे. वी. धोंगडे
CA J. V. Dhongde
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 37290
Membership No: 37290

सीए अमिताव कोठारी
CA Amitav Kothari
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 016639
Membership No: 016639

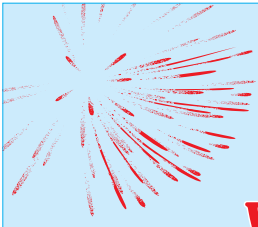
सीए महेश्वर एम. मराठे
CA Maheshwar M. Marathe
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र. : 212175
Membership No: 212175

स्थान : पुणे
दिनांक : 12 मई, 2016

Place : Pune
Date : 12th May, 2016



टिप्पणियाँ Notes



आपके सपनों को हम करें साकार
We Believe in Building Your Dream

0%
Processing Fee*
Limited Period Offer



महा सुपर गृह ऋण

- ऋण राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं
- आयु सीमा 65 वर्ष
- पुनर्भुगतान अवधि 30 वर्षों तक
- कोई छिपे हुए शुल्क नहीं
- ₹ 10 लाख तक का उपभोक्ता ऋण

MAHA SUPER HOUSING LOAN

- No Upper Limit of Loan Amount
- Age limit upto 65 years
- Repayment period up to 30 years
- No Hidden Charges
- Consumer Loan upto Rs. 10 lakhs



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

नियम व शर्तें लागू

Terms & Conditions apply

Bank will never ask your Card details, CVV number and Personal Information

Toll Free No.: 1800 233 4526

Website: www.bankofmaharashtra.in

Net Banking: <https://www.mahaconnect.in>



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

आपके सहयोगी होने पर हमें गर्व है

Pradhan Mantri
Jeevan Jyoti Bima Yojana



कपरेव